



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

Exam of Skipper & Mate of
Fishing Vessels
1964

Exam of Skipper and
Mate of Fishing Vessel

सं. 265]
No. 265]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 18, 1987/वैशाख 28, 1909
NEW DELHI, MONDAY, MAY 18, 1987/VAISAKHA 28, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय
(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 18 मई, 1987

अधिसूचना

सा.का.नि. 509(अ).—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 : (1958 का 44) की धारा 83 के साथ पठित धारा 87 के खण्ड (ख), (ग) और (घ) द्वारा प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए और वाणिज्य पोत परिवहन (मछली पकड़ने का जलयान स्कोपर और सैकिड हैण्ड परीक्षा) नियम, 1964 को अधिकांश करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पोत परिवहन (मछली पकड़ने का जलयान स्कोपर और सैकिड परीक्षा), नियम 1987 है।

(2) राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से छह मास के पश्चात् उप नियम (3) के अधीन रहते हुए, प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम ऐसे किसी अधिनियम को लागू होंगे।

(क) जो भारत का नागरिक है,

(ख) जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इन नियमों के अधीन परीक्षा दे के लिए अनुज्ञात किया गया है।

2. परिभाषाएँ :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) अभिप्रेत है,

(ख) "परिशिष्ट" से इन नियमों से लगाने पर लिखित अभिप्रेत है,

(ग) "अनुमोदित" से नौवहन महानिदेशक द्वारा अनुमोदित अभिप्रेत है,

(घ) "मुख्य परीक्षक" से मास्टर और नेट परीक्षक अभिप्रेत है;

(ङ) "निरन्तर सेवामुक्ति प्रमाणपत्र" से वाणिज्य पोत परिवहन (निरन्तर सेवामुक्ति प्रमाणपत्र) नियम, 1960 के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(च) "प्रभावी भार-साधन" से, निगरानी सेवा के संबंध में, निगरानी का पूरा दायित्व ग्रहण करता अभिप्रेत है, किन्तु यह किसी ज्येष्ठ अधिकारी को परामर्श पत्रों के निवारण नहीं करता है;

- (छ) "परीक्षक" से अधिनियम की धारा 79 के अधीन नियुक्त किया गया परीक्षक अभिप्रेत है।
- (ज) "गैर व्यापारी पोत" से ऐसा पोत अभिप्रेत है जो किसी विदेश को गमन नहीं करता है या देशी-व्यापार में व्यापार नहीं करता है।
- (झ) "साधारण व्यापारी का पोत" से कोई विदेशगामी या देशी व्यापार पोत, जैसा कि अधिनियम में परिभाषित है, अभिप्रेत है;
- (ट) "अर्हक समुद्री सेवा" से समुद्र में किसी मत्स्यन जलयान या व्यापारी पोत या भारतीय नौसेना या तटरक्षक के किसी समुद्रगामी पोत के फलक विभाग में की गई सेवा अभिप्रेत है जिसमें सेवा में नियुक्त ऐसे जलयान ने स्पष्ट रूप से जब तक कि वह अन्यथा उपबंधित न हो, सूखा गोदी या खोख अथवा मरम्मत में लगा समुचित समय सम्मिलित है;
- (ठ) "सेवा अभिलेख" से मत्स्यन जलयान की की गई सेवा का अभिलेख, जैसा परिशिष्ट 'क' में विहित है, अभिप्रेत है।
- (ड) "निगरानी सेवा" से अभिप्रेत है—

- (1) किसी मत्स्यन जलयान पर की यह सेवा, जिसके दौरान यथास्थिति किसी अभ्यर्थी ने सम्पूर्ण कार्यभार या दावा की गई सेवा के हर चौबीस घंटों में आठ घंटों से अन्तर्गत अवधि के लिए किसी निगरानी का प्रभावी और संभाला हो, या
- (2) किसी मत्स्यन जलयान पर की यह सेवा जिसके दौरान यथा स्थिति किसी अभ्यर्थी ने संपूर्ण कार्यभार या हर चौबीस घंटों में छः घंटों से अन्तर्गत किसी निगरानी का प्रभावी कार्यभार संभाला हो, यदि उसने दावा की गई सेवा की अवधि हर चौबीस घंटों में दो घंटों से अन्तर्गत अवधि के लिए मत्स्यन प्रचालन या मत्स्यन जलयान की मरम्मत संबंधी अतिरिक्त नेमी कार्य किया हो और किसी भी मामले में ऐसी सेवा में सूखा गोदी में या खोखू या फलक मरम्मत में बिताया गया गया समुचित समय शामिल किया जाएगा।

(ड) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं।

3. सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा की श्रेणियां

(1) इन नियमों के अनुसार परीक्षाएं निम्नलिखित श्रेणियों के सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए आयोजित की जाएंगी, अर्थात्:—

- (1) मत्स्यन जलयान का मेट,
- (2) मत्स्यन जलयान श्रेणी II का स्कीपर,
- (3) मत्स्यन जलयान श्रेणी I का स्कीपर।

(2) प्रत्येक सफल अभ्यर्थी को इस नियमों के उपबंधों के अनुसार क्रमशः श्रेणियों के लिए कोई सक्षमता प्रमाणपत्र परिशिष्ट ख में विहित प्ररूप में दिया जाएगा।

(3) सक्षमता प्रमाणपत्र दो प्रतियों में बनाया जाएगा और मूल प्रमाणपत्र नियम 44 के उपनियम (2) में विहित प्राधिकार पत्र धारण करने वाला सफल अभ्यर्थी को दिया जाएगा दूसरा प्रति मुख्य परीक्षक के पास रहेगी।

(4) मुख्य परीक्षक एक रजिस्टर रखेगा जिसमें जारी किए गए सक्षमता प्रमाणपत्र के ब्योरे दर्ज किए जायेंगे। ऐसे रजिस्टर में सक्षमता

प्रमाणपत्र का अधिनियम के अधीन रद्दीकरण या विलंबन को और नियम 46 के अर्थ के अंतर्गत उस पर किया कोई पुष्ठांकन भी दर्ज किया जाएगा।

4 मत्स्यन जलयान का मेट:—

(1) मत्स्यन जलयान के मेट के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा तीन भागों में आयोजित की जाएगी, अर्थात्:—

- (1) भाग 'क'—लिखित,
- (2) भाग 'ख'—मौखिक,
- (3) भाग 'ग'—संकेत।

(2) इस परीक्षा के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी परीक्षा मास के प्रथम दिन पर 19 वर्ष की आयु से कम का नहीं होगा।

(3) नियम 17 और 19 के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी के मास तीन साल की अर्हक सेवा होगी जिसमें—

(क) कम से कम किसी जलयान पर छः मास की सेवा की हो जिसकी लंबाई 15 मीटर से कम न हो, और

(ख) किसी मत्स्यन जलयान पर परीक्षा मास के ठीक पहले 18 मास में कम से कम 3 मास सेवा की हो।

(4) प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित प्रमाणपत्र होंगे:—

(क) अनुमानित रडार प्रेक्षक प्रमाणपत्र,

(ख) अनुमोदित समुद्र पर प्राथमिक उपचार प्रमाणपत्र,

(ग) अनुमोदित खानगीका नाविक का प्रमाणपत्र, और

(घ) नियम 7 के अधीन जारी किया गया प्रारंभिक मत्स्यन औद्योगिकी प्रमाणपत्र

औद्योगिक प्रमाण पत्र

परन्तु किसी अभ्यर्थी को उद्भूत कोई भी प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पहले परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी ऐसे मामले में प्रमाण पत्र या प्राधिकार पत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि उद्भूत सभी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर दिये जाते।

5. मत्स्यन जलयान श्रेणी II का स्कीपर

(1) मत्स्यन जलयान श्रेणी II के स्कीपर के रूप में सक्षमता के प्रमाण पत्र के लिए परीक्षा तीन भागों में आयोजित की जाएगी अर्थात्:—

- (1) भाग 'क' लिखित,
- (2) भाग 'ख' मौखिक,
- (3) भाग 'ग' संकेत।

(2) इस परीक्षा के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी परीक्षा मास के पहले दिन 20-1/2 वर्ष से कम की आयु का नहीं होगा।

(3) नियम 19, 23 और 24 के अधीन ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी के पास मत्स्यन जलयान के मेट के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद कम से कम 18 मास की मत्स्यन जलयान पर की हुई निगरानी सेवा होगी जिसमें—

(क) किसी मत्स्यन जलयान पर जिसकी लंबाई 15 मीटर से कम न हो कम से कम 6 मास की निगरानी सेवा की हो, और

(ख) किसी मत्स्यन जलयान पर, परीक्षा मास के ठीक पहले 18 मास में कम से कम, 3 मास सेवा की हो।

(4) प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी के पास निम्न लिखित अतिरिक्त प्रमाण पत्र होंगे:—

(क) समुद्र पर अनुमोदित प्रारंभिक उच्चारण प्रमाणपत्र।

(ख) अनुमोदित रक्षा नौका नाविक का प्रमाणपत्र।

(ग) नियम 7 के अधीन प्रदत्त प्रारंभिक मत्स्यन प्रौद्योगिकी प्रमाणपत्र।

(घ) अनुमोदित अग्नि शमन प्रवीणता का प्रमाणपत्र।

(ङ) अनुमोदित रडार प्रेक्षक प्रमाणपत्र।

(च) नियम 7 के अधीन प्रदत्त उच्च मत्स्यन टेक्नोलोजी प्रमाणपत्र।

(छ) भारतीय बेतार टेलिग्राफी (वाणिज्यिक रेडियो प्रचालक प्रवीणता प्रमाणपत्र और बेतार टेलिग्राफी प्रचालन का अनुपालन नियम, 1954 के अंतर्गत दिया गया रेडियो टेलीफोन प्रचारक (प्रतिबंधित) के रूप में प्रवीणता-प्रमाणपत्र।

परन्तु किसी अभ्यर्थी को उपरोक्त कोई भी प्रमाणपत्र प्राप्त करने में पहले परीक्षा से बैठने के लिए अनुज्ञा दी जाएगी। ऐसे मामलों में सक्षमता प्रमाणपत्र या प्राधिकार पत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि उपरोक्त सभी प्रमाणपत्र पेश नहीं कर दिये जाते।

6. मत्स्यन जलयान श्रेणी I का स्कीपर

(1) मत्स्यन जलयान श्रेणी I के स्कीपर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा तीन भागों में आयोजित की जाएगी अर्थात् :—

(1) भाग 'क' : लिखित,

(2) भाग 'ख' : मौखिक,

(3) भाग 'ग' संकेत।

परन्तु किसी अभ्यर्थी को, जिसके पास मत्स्यन जलयान श्रेणी II के स्कीपर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र हो उसे व्यापवाहक और चिकित्सालय की सैद्धांतिक परीक्षा और भाग 'क' में बाच काय और भाग 'ख' में की परीक्षा से छूट दी जाएगी।

(2) इस परीक्षा के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी परीक्षा माह के प्रथम दिन को 22-1/2 वर्ष आयु से कम का नहीं होगा।

(3) नियम 19, 23 और 24 के अधीन रहते हुए ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी के पास मत्स्यन जलयान ने मेट की सफलता प्रमाणपत्र धारक के रूप में मत्स्यन जलयानों पर कम से कम 30 मास की निगरानी सेवा होगी, जिसमें

(क) किसी मत्स्यन जलयान पर जिसकी लंबाई कम से कम 24 मीटर से कम न हो कम से कम 6 मास की निगरानी सेवा की हो।

(ख) किसी मत्स्यन जलयान पर, परीक्षा माह के ठीक पहले के 18 मास में कम से कम 3 मास सेवा की हो।

(4) प्रत्येक अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अतिरिक्त प्रमाणपत्र होंगे —

(क) समुद्र पर अनुमोदित प्रारंभिक उपचार प्रमाणपत्र।

(ख) अनुमोदित रक्षा नौका नाविक प्रमाणपत्र।

(ग) नियम 7 के अधीन प्रदत्त मत्स्यन प्रारंभिक प्रौद्योगिकी प्रमाणपत्र ;

(घ) अनुमोदित अग्निशमन प्रवीणता प्रमाणपत्र।

(ङ) अनुमोदित रडार प्रेक्षक प्रमाणपत्र।

(च) नियम 7 के अधीन दिया गया उच्चतर मत्स्यन प्रौद्योगिकी प्रमाणपत्र।

(छ) भारतीय बेतार टेलिग्राफी (वाणिज्यिक रेडियो प्रचालक प्रवीणता प्रमाणपत्र और बेतार टेलिग्राफी चालन की अनुज्ञापत्र।

नियम, 1954 के अधीन दिया गया रेडियो टेलीफोन प्रचालक (प्रतिबंधित) के रूप में प्रवीणता प्रमाणपत्र ; और

(ज) अनुमोदित रडार अनुकारी पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र ;

परन्तु किसी अभ्यर्थी को उपर्युक्त प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पहले परीक्षा के बैठने की अनुमति दी जाएगी और ऐसे मामले में सक्षमता प्रमाणपत्र या प्राधिकार पत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक उपर्युक्त सभी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर दिए जाते।

7. (1) प्रारंभिक मत्स्यन प्रौद्योगिकी प्रमाणपत्र :—

(क) प्रत्येक ऐसा अभ्यर्थी जिसने अर्हक सेवा पूर्णतः मत्स्यन जलयानों पर की है और वह मत्स्यन जलयान के मेट के रूप में किसी सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा में बैठने के लिए पात्र है, उसे परीक्षा में सफल होने पर प्रारंभिक मत्स्यन प्रौद्योगिकी प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। यदि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने केन्द्रीय मत्स्यकी समुद्री और इंजीनियरी प्रशिक्षण में संस्थान से कोई अनुमोदित समुद्र पूर्व संस्थान प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो और ऐसे प्रशिक्षण के अंत में परीक्षा उत्तीर्ण की हो उसने ऐसा प्रमाणपत्र की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो ऐसा समझा जाएगा।

(ख) ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी को जिसने साधारण व्यापारिक पोत और/या भारतीय नौसेना या तटरक्षक समुद्रगामी पोतों पर सेवा की है, किसी अनुमोदित संस्थान के मार्गदर्शन के अधीन के अनुमोदित पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् इस परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा दी जाएगी। संस्थान में ऐसे पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण की अवधि 2 मास से कम की नहीं होगी और मत्स्यन जलयानों में 4 मास से कम की नहीं होगी।

(ग) इस प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा केन्द्रीय मत्स्यकी, समुद्री और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्था या अन्य अनुमोदित संस्थानों द्वारा परिशिष्ट "ग" में विहित पाठ्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी।

2. उच्च मत्स्यन प्रौद्योगिकी प्रमाणपत्र :—

(क) ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी को जो मत्स्यन जलयान श्रेणी 11 या श्रेणी I के स्कीपर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए पात्र है और जिसने पूर्णतः मत्स्यन जलयान पर सेवा की है, सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् उच्च मत्स्यन प्रौद्योगिकी प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

(ख) ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी को, जिसने साधारण व्यापारिक पोतों और/या भारतीय नौसेना या तटरक्षक समुद्रगामी पोतों पर सेवा की है किसी अनुमोदित संस्थान के मार्गदर्शन के अधीन अनुमोदित पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् इस परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा दी जाएगी। संस्था में ऐसे पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण की अवधि 2 मास और मत्स्यन जलयानों में 4 मास से कम की नहीं होगी।

(ग) इस प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा केन्द्रीय मत्स्यकी समुद्री और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्था या अन्य अनुमोदित संस्थानों द्वारा परिशिष्ट "घ" में विहित पाठ्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी।

8. दृष्टि परीक्षण : (1) उद्दिष्ट (2) के अधीन रहते हुए प्रत्येक अभ्यर्थी किसी श्रेणी के सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा में बैठने के पहले परिशिष्ट "ङ" में विनिर्दिष्ट अक्षर परीक्षण उत्तीर्ण करेगा।

(2) प्रत्येक अभ्यर्थी किसी मत्स्यन जलयान के मेट के 8 में सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा के लिए अप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अक्षर परीक्षण के अतिरिक्त परीक्षा में बैठने के पहले परिशिष्ट "च" में विनिर्दिष्ट समुचित परीक्षण उत्तीर्ण करेगा।

(3) इस नियम के प्रयोजन के लिए कोई दृष्टि परीक्षण में उत्तीर्ण होगा 6 मास की अवधि तक विधि मान्य होगा।

9. आवेदन प्ररूप : (1) यदि कोई अभ्यर्थी नियम 4, 5 और 6 की अपेक्षाओं का समाधान करता है तो वह सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा के लिए जिसके लिए पात्र है, परिशिष्ट "ब" में दिये गये प्ररूप में आवेदन कर सकेगा।

(2) आवेदन में सभी प्रविष्टियां ठीक रूप से भरी जाएगी। समुद्री सेवा, निगरानी सेवा और सेवा के समय अभ्यर्थी द्वारा धारित रैंक की जैसे कि आवेदन प्ररूप के समुचित स्तंभ में विनिर्दिष्ट हो वे प्रस्तुत किए जाएंगे और वे साक्ष्य के अनुरूप होंगे। इन प्रविष्टियों में पास गए किसी फर्क से आवेदन जब तक कोई ऐसी फर्क या समुद्री सेवा में अंतर को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षक के समाधान प्रदत्त रूप से स्पष्ट नहीं कर दिया जाता अविधिमान्य हो जाएगा।

(3) आवेदन परीक्षापत्र के वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग के प्रधान अधिकारी को यथाशीघ्र और किसी भी दशा में परीक्षा प्रारंभ होने की तारीख से 10 दिन पूर्व भेजी जाएगी।

(4) प्रत्येक ऐसे आवेदन में अभ्यर्थी स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा वह किस विनिर्दिष्ट मास में परीक्षा के भाग या भागों में बैठने का इच्छुक है।

10. आवेदन के साथ लगाए जाने वाले दस्तावेज :

(1) प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ राष्ट्रिकता प्रमाणपत्र जन्म की तारीख का प्रमाणपत्र, इन नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करने वाले शंसापत्र मत्स्यन जलयान पर की गई सेवा का अभिलेख और/या निरंतर सेवा-मुचित प्रमाणपत्र, सक्षमता या सेवा-प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, और नियम 4, 5, 6, और 7 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने वाले अतिरिक्त प्रमाणपत्र और नियम 8 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने वाले समुचित दृष्टि परीक्षण उत्तीर्ण करने का साक्ष्य साथ लगा हो :

परन्तु कोई ऐसा अभ्यर्थी जो भारतीय नागरिक हो, के मामले में जन्म की तारीख का प्रमाणपत्र या नागरिकता अंगीकरण प्रमाण-पत्र राष्ट्रिकता प्रमाणपत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

11. शंसापत्र :

(1) प्रत्येक अभ्यर्थी किसी श्रेणी के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा के लिए उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और अनुप्रमाणित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा। प्रमाणपत्र में आचरण जिसके अन्तर्गत मिताचार योग्यता और अभ्यर्थी द्वारा किसी मत्स्यन जलयान के फलक पर की गई यथास्थित अर्हक समुद्री सेवा की पूरी अवधि के दौरान की हुई सेवा या निगरानी सेवा के आधार पर मास्टर या स्कीपर द्वारा की गई अभ्यर्थी की योग्यता और अनुभव पर निर्धारित टिप्पणियां होंगी। निगरानी सेवा के मामले में ऐसे प्रमाणपत्र परिशिष्ट "छ" में दिये गये प्रपत्र में होंगे और जिस अवधि के लिए प्रमाणपत्र दिया जाता है, उसमें इसके अतिरिक्त पोत पर की गई सेवा और सेवा का सही स्वरूप और रैंक भी होगा।

(2) किसी भारतीय पोत या किसी मत्स्यन जलयान पर की गई किसी सेवा के प्रमाणपत्र मास्टर या स्कीपर द्वारा हस्ताक्षरित होंगे।

परन्तु जहां मत्स्यन जलयान पर स्कीपर यात्रा के आधार पर नियोजित हैं, वहां आचरण मिताचार, योग्यता और अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र किसी स्कीपर द्वारा मास के समाप्त होने पर सेवा अभिलेख में अभिलिखित किया जाएगा। सेवा अभिलेखी में की गई ऐसी प्रविष्टि की स्वामी या उसका द्वारा प्राधिकृत प्रबंधक/अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा। जहां कोई स्कीपर किसी ऐसे अभ्यर्थी का आचरण योग्यता और मिताचार की बाबत प्रतिकूल रिपोर्ट करना चाहता है तो वह अभिलेख इस प्रकार की जाने वाली किसी प्रविष्टि का पूरा विवरण देते हुए उसके सा करने के कारण भी दंगा।

12. समुद्री सेवा की बाबत आंच

(1) जहां कोई अभ्यर्थी इन नियमों के अधीन यथास्थिति अपनी समुद्री सेवा या निगरानी सेवा निर्धारित करने की बांछा करता है तो वह नियम 9 के अनुसार अपना आवेदन ऐसे निर्धारण के लिए किसी जिले के प्रधान अधिकारी, वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग को प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि किसी अभ्यर्थी का उप नियम (1) के अधीन यथास्थिति अपनी समुद्री सेवा या निगरानी सेवा के निर्धारण से समाधान न हुआ हो तो वहां वह किसी जिले के वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग के प्रधान अधिकारी का माध्यम से मुख्य परीक्षक को वे कारण बताते हैं हुए जिनसे उसका समाधान न हुआ हो तो वह अपनी सेवा के पुनः निर्धारण के लिए आवेदन करेगा प्रत्येक ऐसे अनुरोध के साथ नियम 9 के अधीन विहित आवेदन के साथ नियम 10 के अधीन प्रेषित दस्तावेज, शंसापत्र आदि भेजे जाएंगे। प्रत्येक ऐसे आवेदन पर उसकी योग्यता के आधार पर मुख्य परीक्षक द्वारा विचार किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) अन्य जांच :—परीक्षा के किसी पहलू से संबंधित सभी अन्य जांच किसी जिले के वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग के प्रधान अधिकारी को, जिस मुद्दे का स्पष्टीकरण मांगा गया हो उसकी विवरण के साथ सम्बोधित किया जाएगा। ऐसे जांच के साथ सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज भी भेजे जाएंगे।

13. फीस : प्रत्येक आवेदन के साथ परिशिष्ट "ज" में विनिर्दिष्ट समुचित फीस भी भेजी जाएगी।

14. चिकित्सक दृष्टया योग्यता :—ऐसा प्रत्येक अभ्यर्थी जो सक्षमता प्रमाणपत्र की किसी श्रेणी के लिए परीक्षा में बैठ रहा हो वह किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी से परिशिष्ट "झ" में विनिर्दिष्ट प्ररूप में शारीरिक योग्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

15. असंतोषजनक आचरण :

यदि नियम 10 के अधीन प्रस्तुत किये गये शंसापत्र के कारण, या अन्यथा यह माना जाएगा कि कोई अभ्यर्थी ने पोत या मत्स्यन जलयान पर उपग्रहण किए जाने की अपेक्षा करता हो फलक पर अधिक अवधार के कारण दोषी पाया जाता है तो उससे पश्चात् वर्षों दो वर्ष की अन्यून समुद्री सेवा की अवधि के लिए सदाचार का संतोषजनक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जा सकेगी, परन्तु मुख्य परीक्षक ऐसे अवस्था के पश्चात् जांच जैसा वह उपयुक्त समझे यथास्थित, किसी अभ्यर्थी की दशा में पश्चात् वर्षों समुद्री सेवा की अवधि का ऐसी सीमा तक कम कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।

16. कपट व्यपदेशन रिफूत :

(1) यदि कोई व्यक्ति जो स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए इन नियमों के अधीन किसी सक्षमता प्रमाणपत्र को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए मिथ्या व्यपदेशन करता है या करता है या करने में सहायता करता है तो वह किसी दंडिक न्यायालय में कार्यवाही किए जाने का दोषी होगा।

(2) यदि कोई अभ्यर्थी जो महानिदेशालय या वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा विभाग का किसी अधिकारी को परीक्षा में उस पर किसी प्रकार का अनुग्रह दिखाने के प्रयोजन के लिए कुछ पक्षोपेक्षा देता या देने का प्रयत्न करता है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही उसे पुनः परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसकी अभ्युक्ति रद्द किए जाने की तारीख से कम से कम बारह मास की अवधि न बीत जाए।

17. समुद्री सेवा में छूट :

(1) कोई अभ्यर्थी किसी मत्स्यन जलयान के मेट के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र का 12.6।

अर्हक समुद्री सेवा में छूट के लिए अधिकतम 12 मास की छूट के अधीन रहते हुए प्राप्त होगा तथा ऐसी छूट नियम 4 के उपनिबन्ध (3) (क) में विनिर्दिष्ट मत्स्यन जलयान पर की गई सेवा को लागू नहीं होगा।

(2) ऐसा कोई प्रमाण जो केन्द्रीय विदेशक, मत्स्यक, नागरिक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान में प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता जो अनुमोदित पाठ्यक्रम में उसकी हाजरी, सदाचार और प्रवीणता प्रमाणित करता हो तो वह संस्थान के बिताए गए पूरे समय के लिए जो अधिकतम 12 मास के अधीन होगा, छूट के लिए पात्र होगा।

(3) ऐसा कोई अन्यथा जिसने लान बहादुर शास्त्री नाविक और इंजीनियरी महाविद्यालय, मुंबई मत्स्यन जलयान पर परीक्षा के लिए प्रशिक्षण के अधीन जो समय बिताया है, उस समय के दौरान उसकी हाजरी की अवधि प्रारंभ और प्रमाणपत्र का बावत महाविद्यालय उस के प्रधानाचार्य से प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने पर वह महाविद्यालय में बिताये गए समय के आवे समय की छूट के लिए 3 मास अधिकतम छूट के अधीन रहते हुए पात्र होगा।

(4) ऐसा कोई अन्यथा, जिसने कोई अनुमोदित खरार प्रेषक प्रमाणपत्र, कोई अनुमोदित रक्षा नाविक प्रमाणपत्र और कोई अनुमोदित प्रारंभिक उच्चतर प्रमाणपत्र प्राप्त किया है, ऐसे प्रमाणपत्रों के प्रस्तुत किए जाने पर अर्हक समुद्री सेवा में दो सप्ताह की छूट के लिए पात्र होगा :

परन्तु यदि किसी अन्यथा ने किसी मत्स्यन जलयान के मेट के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र को परीक्षा में बैठने के पहले उच्चतर पाठ्यक्रम पूरा न किया हो तो उसे परीक्षा में बैठने के लिए ऐसी छूट दी जा सकती।

18. अन्य प्रशिक्षण पोत और तटीय विद्यालयों और महाविद्यालयों को मान्यता :

(1) किसी अन्यथा द्वारा ऐसे किसी प्रशिक्षण पोत या तट पर स्थित समुद्री विद्यालय या महाविद्यालय में जो नियम 17 या 25 में विनिर्दिष्ट से मिला हो तो वह यथास्थिति उक्त प्रशिक्षण पोत या समुद्री विद्यालय या महाविद्यालय में बिताये गई अवधि के बढ़ने में अर्हक समुद्री सेवा में छूट प्राप्त करने के लिए मुख्य परीक्षक के पास आवेदन कर सकेगा।

(2) ऐसे आवेदन के प्राप्त होने पर मुख्य परीक्षक जैसा वह आवश्यक समझे ऐसे संस्थान के पाठ्यक्रमों, पाठ्यचर्या और प्रशिक्षण के ढंग का निरीक्षण या अन्वेषण करेगा और उसके बाद ऐसी संस्था में किसी अन्यथा द्वारा बिताए गए समय के पहले की सीमातक छूट दिए जाने का निर्देश देने की अनुज्ञा दे सकेगा।

19. साधारण निर्धारण :

(1) यथास्थिति अर्हक समुद्री सेवा या निगरानी सेवा को संगणना ऐसी निपुणता की प्रारंभ होने की तारीख से लेकर उसकी समाप्ति तक और उसके दौरान ली गई छुट्टियों की अवधि को कटौती करके की जाएगी। जहां कोई पोत या मत्स्यन जलयान किसी पत्तन में अकारण रूप से काफ़ी लम्बी अवधि तक पड़ा रहे अर्थात् वह किसी पत्तन में कुल सेवा अवधि के एक तिहाई से अधिक की अवधि के लिए या चार सप्ताह इनमें से जो भी कम हो, के लिए पड़ा रहा हो, तो ऐसी अवधि की संगणना यथास्थिति अर्हक सेवा या निगरानी सेवा के लिए नहीं की जाएगी।

(2) सेवा या निरंतर सेवानुपुक्ति में दर्ज की गई प्रविष्टियों समुद्र सेवा के प्रमाण के रूप में ऐसी प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार को गड़बड़ किए जाने से किसी अन्यथा को किसी भी प्रकार के सक्षमता प्रमाणपत्र को परीक्षा में बैठने के लिए मुख्य परीक्षक के अनुमोदन के अधीन रहते हुए बार मास की अवधि के लिए निरहित किया जाएगा।

(3) किसी मत्स्यन जलयान पर जिसकी लंबाई 15 मीटर से कम न हो जाएगी की गई अर्हक समुद्री सेवा या निगरानी सेवा का निर्धारण पूरी दूर पर किया जाएगा।

(4) किसी मत्स्यन जलयान पर जिसकी लंबाई 15 मीटर से कम हो की गई यथास्थिति अर्हक सेवा या निगरानी सेवा का निर्धारण अधिकतम

सेवा के रूप में पूरी दूर पर किया जाएगा जो मेट मत्स्यन जलयान पर सक्षमता प्रमाणपत्र की परीक्षा के लिए अधिकतम 30 मास होगी और मत्स्यन जलयान ग्रेड-I या ग्रेड-II के स्कीयर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए निगरानी सेवा 2/3 या अधिकतम 12 मास होगी।

(5) यंत्रचालित मत्स्यन जलयानों पर जो अधिकतम 12 मास तक निर्धारित की जाएगी परन्तु सेवा अभिवेक, पक्ष या सोमा शुल्क विभाग के जहां से ऐसे जलयान सामान्यतः प्रचालित किये जाते हैं, के किसी अधिकारी द्वारा उचित रूप से आक्षेपप्रमाणित किए गए हो।

(6) किसी व्यापारिक पोत पर की गई अर्हक समुद्री सेवा नियम 20 के अनुसार निर्धारित की जाएगी। किसी व्यापारिक पोतों पर की गई सेवा नियम 21 के अनुसार निर्धारित की जाएगी। जहां किसी अन्यथा ने भागतः किसी व्यापारिक पोत पर और भागतः किसी गैर व्यापारिक पोत पर और भागतः किसी मत्स्यन जलयान पर मिश्रित सेवा की है, तो सभी ऐसी सेवा अर्हक समुद्री सेवा के लिए संगणित की जाएगी।

(7) जहां किसी अधिकारी को निगरानी सेवा में जलयान के दौरान की हुई दोहरी निगरानी सेवा सम्मिलित हो तो इस प्रकार की गई वास्तविक निगरानी सेवा की अवधि का केवल दो तिहाई भाग 9 मास की अधिकतम अवधि के प्रमाण रहते हुए गणना में लिया जाएगा।

(8) यथास्थिति, अर्हक समुद्री सेवा या निगरानी को संगणना कैलेंडर मास द्वारा की जाएगी अर्थात् किसी मास में दी गई किसी तारीख और उस मास के बाद आने वाले मास की पूर्व दिन जिसके अन्तर्गत यह दिन भी है, के बीच आने वाला समय सम्मिलित है। पहले पूरे किए गए मासों की संख्या संगणित की जाएगी और उसके बाद बचे हुए दिनों की संख्या की संगणना की जाएगी। जब कुछ सेवा की संगणना की जाएगी तब बचे हुए दिनों को जोड़कर 30 दिन को एक मास के रूप में संगणित किया जाएगा।

20. व्यापारिक पोतों पर सेवा :

(1) मत्स्यन जलयान के मेट के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र की परीक्षा के लिए इन नियमों के अधीन अधिकतम अर्हक समुद्री सेवा को यदि व्यापारिक पोत पर की गई हो, तो नियम 4 और 19 के उपबंधों के अधीन रहते हुए पूरी संगणित की जाएगी।

(2) जहां किसी अन्यथा ने भारतीय पोत से भिन्न किसी व्यापारिक पोत पर सेवा की हो, उतनी समुद्री सेवा इन नियम के उपबंधों के अनुसार निर्धारित की जाएगी परन्तु ऐसी सेवा नियम 11 के उपबंधों के अनुसार प्रमाणपत्र द्वारा समपित होगी।

21. गैर व्यापारिक पोतों पर की गई सेवा :

(1) निम्न प्रकार के पोतों, जिनमें नौदन के यांत्रिक उपकरण लगे हों और जो समुद्रगामी हों, में की गई समुद्री सेवा विचार के लिए मुख्य परीक्षक को प्रस्तुत की जाएगी। ऐसी सेवा को स्वीकार किए जाने और जिस सोमा तक ऐसी सेवा को स्वीकार किया गया है, का बावत मुख्य परीक्षक का विनिश्चय अंतिम होगा :

- (क) वे पोत जो पत्तन प्राधिकारियों द्वारा नियोजित हो जैसे ड्रेजर, हारर बजरे, पाइलट जलयान, सर्वेक्षण जलयान, आदि,
- (ख) दीप घर टैंडर
- (ग) केबल पोत,
- (घ) समुद्र विज्ञान, गवेषण या अनुसंधान जलयान,
- (ङ) तट से दूर ड्रिलिंग परिवारानों में इस्तेमाल किए जाने वाले तट से दूर आपूर्ति पोत,
- (च) जैतानी पोत,]

(छ) प्रवाह मुक्त और भागतः प्रवाहमुक्त जन के पुरे निर्वाचित कर्णनोकाए (टग), और

(ज) शक्ति नोदित यांच

(2) ऐसे पोतों पर की गई सेवा निम्नलिखित को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाएगी :

(क) परिचालन क्षेत्र,

(ख) जलयान की दूरी,

(ग) पत्तन और समुद्र में ठहरने की वास्तविक अवधि और पत्तन में और समुद्र पर की गई संक्रियाओं का स्वरूप और।

(घ) निगरानी कार्यों पर संबंधित अधिकारी द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति यदि कोई हो।

3. ऐसे पोतों पर की गई समुद्री सेवा के निर्धारण के लिए आवेदन किसी जिले के प्रधान अधिकारी, वाणिज्यिक समुद्री विभाग के माध्यम से उप-नियम (2) के अधीन अपेक्षित विवरणों के व्यौरों के साथ शंसापत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। ऐसे शंसापत्र मास्टर और स्वामी द्वारा पृष्ठांकित होंगे।

22. नाविक और नौदल नाविक :

(1) किसी व्यापारिक पोत के डेक विभाग में नाविकों द्वारा की गई समुद्री सेवा और भारतीय नौसेना और तटरक्षक की संचार शाखा में डेक नाविकों या दृष्टि संकेतन नाविकों द्वारा की गई समुद्री सेवा उप-नियम (2) (3) और (4) के अनुसार अधिकतम 30 मास के अधीन रहते हुए निर्धारित की जाएगी इस प्रकार निर्धारित की गई संगणना अवधि संगणना किसी मत्स्यन जलयान के मेट के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र की परीक्षा के लिए अर्हक सेवा में की जाएगी और अभ्यर्थी को यदि वह नियम एक की अपेक्षा पूरी करता हो तो इस परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा दी जाएगी।

(2) किसी व्यापारिक पोत के डेक विभाग में किसी नाविक की हसियत में या सामान्य प्रयोजन के कर्मचाल के सदस्य के रूप में की गई समुद्री सेवा की संगणना पूरी मानी जाएगी।

(3) भारतीय नौसेना और तटरक्षक के समुद्रगामी पोतों के डेक विभाग में नाविकों द्वारा की गई समुद्री सेवा दावा की गई वास्तविक सेवा के दो तिहाई की दर से निर्धारित की जाएगी।

(4) भारतीय नौसेना और तटरक्षक के समुद्रगामी पोतों पर संचार शाखा में दृष्टि संकेतन नाविकों द्वारा की गई समुद्री सेवा दावा की गई वास्तविक सेवा के आधे दर पर निर्धारित की जाएगी।

23. वाणिज्यिक नौसेना अधिकारी :

(1) नियम 5 के उप-नियम (3) में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसके पास वाणिज्यिक पोत और मेट परीक्षा नियम, 1979 के अधीन दिया गया विदेश गामी पोत के द्वितीय मेट या नौपरिवहन निगरानी अधिकारी के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र है वह मत्स्य जलयान श्रेणी II के स्कीपर के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र की परीक्षा के लिए पात्र होगा परन्तु उसके पास व्यापारिक पोतों पर की गई कम से कम 18 मास की निगरानी सेवा और किसी मत्स्यन जलयान पर जिसकी लंबाई 15 मीटर से कम न हो कम से कम किसी अर्हक अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन मत्स्यन और बिज निगरानी से संबंधित कार्य में कम से कम 6 मास की हो।

(2) नियम 6 के उप-नियम (3) में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसके पास वाणिज्यिक पोत (मास्टर और मेट परीक्षा) नियम, 1979 के अधीन दिया गया विदेश गामी पोत के प्रथम मेट या देशी व्यापारिक पोत के मेट के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र है, वह किसी मत्स्यन जलयान श्रेणी 1 के स्कीपर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र

की परीक्षा के लिए पात्र होगा परन्तु उसके पास व्यापारिक पोतों की गई कम से कम 30 मास की निगरानी सेवा होनी चाहिए और किसी मत्स्यन जलयान पर जिसकी लंबाई 24 मीटर से कम न हो किसी अर्हक अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन मत्स्यन और बिज निगरानी से संबंधित कार्य में कम से कम 6 मास सेवा की हो।

(3) यथास्थान ऐसा प्रत्येक अभ्यर्थी नियम 5 या 6 के उन नियम (1) (2) और (4) का अनुपालन करेगा किन्तु उसे नियम 5 और 6 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट भाग क और ग की परीक्षा से छूट मिलेगी।

24. भारतीय नौसेना आफिसर :

(1) भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा का कोई मिडशिपमैन या कमीशंड विशेष कार्य आफिसर जिसने भारतीय नौसेना या तटरक्षक के समुद्रगामी पोत पर सेवा की है किन्तु जिसके पास पूर्ण नौसेना निगरानी प्रमाणपत्र नहीं है, वह मत्स्यन जलयान के मेट के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र की परीक्षा के लिए यदि वह नियम 4 का पालन करता है तो पात्र होगा। ऐसे अधिकारी की समुद्री सेवा के रूप में पूरी दर पर 30 मास की अधिकतम सेवा के अधीन रहते हुए निर्धारित की जाएगी।

(2) भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में कोट्ट कमीशंड आफिसर जिसके अन्तर्गत और जिसके पास पूर्ण नौसेना निगरानी प्रमाणपत्र है वह किसी मत्स्यन जलयान श्रेणी 1 या श्रेणी 2 के स्कीपर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र की परीक्षा के लिए उप-नियम (3) के अधीन रहते हुए पात्र होगा।

(3) (क) नियम 5 के उप-नियम (3) में अन्तर्निहित किसी पोत के होते हुए भी प्रत्येक अभ्यर्थी किसी मत्स्यन जलयान श्रेणी 2 के स्कीपर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र की परीक्षा के लिये पात्र होगा, परन्तु उसके पास पूर्ण नौसेना निगरानी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् कम से कम 18 मास की निगरानी सेवा होनी चाहिये और उसके किसी मत्स्यन जलयान जिस की लंबाई 15 मीटर से कम न हो किसी अर्हक अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन मत्स्यन और बिज निगरानी से संबंधित कार्य में कम से कम 6 मास की सेवा होनी चाहिये।

(ख) नियम 6 के उप-नियम (3) में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए भी ऐसा प्रत्येक अभ्यर्थी मत्स्यन जलयान श्रेणी 1 के स्कीपर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र की परीक्षा के लिये पात्र होगा परन्तु उसके पास पूर्ण नौसेना निगरानी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् कम से कम 30 मास की निगरानी सेवा होनी चाहिये और उसने किसी मत्स्यन जलयान पर जिसकी लंबाई 24 मीटर से कम न हो, किसी अर्हक अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन मत्स्यन और बिज निगरानी से संबंधित कार्य में कम से कम 6 मास की सेवा की होनी चाहिये।

(ग) ऐसा प्रत्येक अभ्यर्थी नियम 5 या 6 के यथास्थिति, उप-नियम (1) (2) और (4) का अनुपालन करेगा।

25. भारतीय नौसेना आफिसरों के लिये समुद्री सेवा में छूट :

(1) मत्स्यन जलयान के मेट के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र की परीक्षा के लिये बैठने वाला भारतीय नौसेना का कोई मिडशिपमैन या कार्यकारी आफिसर उप-नियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट अर्हक समुद्री सेवा में छूट के लिये अधिकतम 12 मास के अधीन रहते हुए, पात्र होगा जैसा कि उप-नियम (2) में निर्दिष्ट है, बशर्त अधिकतम छूट 12 महोनों की हो। ऐसी छूट नियम 4 के उप-नियम (3) (क) में यथा-निर्दिष्ट मत्स्यन जलयानों पर की गई सेवा को लागू नहीं होगी।

(2) (क) नौसेना कैंडेट द्वारा राष्ट्रीय रक्षा प्रकाशनी खड़कवासला में बित्तोया समय, की संगणना 6 मास की समुद्री सेवा के रूप में की

जायेगी परन्तु उस अभ्यर्थी ने और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी द्वारा संचालित अंतिम परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की हो।

(ख) नौसेना अकादमी, कोचीन में प्रशिक्षणाधीन नौसेना कैंडेटों या उप लेफ्टिनेन्टों द्वारा बिताया गये समय की संगणना अपेक्षित समुद्री सेवा के लिये अधिकतम 6 मास के अधीन रहते हुए आधे दर की जायेगी परन्तु अभ्यर्थी उस नौसेना मुख्यालय से नौसेना अकादमी में उसकी समाधान-प्रद रूप से उपस्थिति दशित करने वाला प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

(ग) भारतीय नौसेना आई.ए.एन.एस. "वेन्ड्रि" पर किसी अधिकारी द्वारा जो कार्यकारी सब-लेफ्टिनेंट की रैंक से कम का न हो, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में बिताया समय की संगणना अपेक्षित समुद्री सेवा के लिये रूप में अधिकतम 6 मास के अधीन रहते हुए आधे दर पर की जायेगी परन्तु वह अभ्यर्थी उस नौसेना मुख्यालय से ऐसे पाठ्यक्रम में उसकी समाधानप्रद रूप से उपस्थिति दशित करने के लिये प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

(3) इस नियम के अधीन दावा की गई समुद्री सेवा में छूट नियम 17 में उपबंधित छूटों के अधिकतम 12 मास के अधीन रहते हुए अतिरिक्त होगी।

26. भारतीय नौसेना आफिसरों के आवेदन :

(1) भारतीय नौसेना में कोई मिडशिपमैन या कार्यकारी आफिसर जिसके अन्तर्गत विशेष कार्य आफिसर भी हैं नियम 24 की अपेक्षाओं का समाधान करता हो, तो वह परिशिष्ट "ब" में दिये गये विहित प्ररूप में परीक्षा में बैठने के लिये आवेदन कर सकेगा।

(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ जन्म का प्रमाणपत्र नौसेनाध्यक्ष या उसके द्वारा अपनी उसकी ओर से नियुक्त किये गये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणपत्र यथास्थिति अर्हक समुद्री सेवा या अभ्यर्थी द्वारा भारतीय नौसेना में की गई निगरानी सेवा की पूरी विशिष्टियों और नौसेना निगरानी प्रमाणपत्र और की प्रविष्टियों के साथ नियम 25 के अर्थात् अन्तर्गत प्रशिक्षण संस्थान में प्राप्त प्रशिक्षण के प्रमाणपत्र वाणिज्यिक जहाजों नौसेना और मत्स्यन समुद्री सेवा की बाबत नियम 11 के अनुसार प्रशंसापत्रों यदि कोई हो सक्षमता प्रमाणपत्र या सेवा, यदि कोई हो और मत्स्यन जलयानों में कोई गई समुद्री सेवा के विवरण से भेजे जायें।

(3) आवेदन अभ्यर्थी द्वारा नौसेनाध्यक्ष के माध्यम से स्वीकृत परीक्षा पत्र के प्रधान अधिकारी, वाणिज्यिक समुद्री विभाग को भेजा जायेगा और आवेदन परीक्षा शुरू होने की तारीख से एक मास पूर्व पहुंच जाना चाहिये परिशिष्ट "ज" में विनिर्दिष्ट फीस प्रधान अधिकारी को सीधे भेजी जायेगी।

27. परीक्षा के स्थान और तारीख :

(1) इन नियमों में विहित सक्षमता प्रमाणपत्र के लिये परीक्षा वाणिज्यिक समुद्री विभाग मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास, विशाखापत्तनम और कोचीन और इस संबंध में मुख्य परीक्षक द्वारा अधिसूचित किसी अन्य पत्तन में आयोजित की जायेगी।

(2) प्रत्येक श्रेणी के लिये लिखित परीक्षा मुख्य परीक्षक द्वारा अधिसूचित तारीख और समय पर आयोजित की जायेगी।

(3) मौखिक और संकेत परीक्षाओं के लिये तारीख और समय परीक्षक द्वारा नियत किया जायेगा और उसकी पर्याप्त अग्रिम सूचना अभ्यर्थियों को दी जायेगी।

28. समय-पाबन्दी :

प्रत्येक अभ्यर्थी उचित को समय पर परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा हाल में उपस्थित होगा। विलंब से आने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जायेगा सिवाय विशेष परिस्थितियों में जहां

परीक्षक का यह समाधान हो जाये कि निरोध का कारण अभ्यर्थी के नियंत्रण से परे था। ऐसे मामलों में परीक्षक का विनिश्चय अंतिम होगा।

29. उन व्यक्तियों के जिनको कार्य पर रहना आवश्यक है, से भिन्न व्यक्ति को परीक्षा हाल में आने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

30. फालतू कागज-पत्र और पुस्तकें :

नियम 31 में यथा उपबंधित के सिवाय, कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा हाल में कोई फालतू कागज-पत्र संदर्भ पुस्तकें या अन्य नोट या प्रकाशन नहीं रखेगा। परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ऐसे कागज-पत्र, पुस्तकें प्रकाशन या नोट परीक्षा हाल से बाहर निकाल दिये जायेंगे। किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार के व्यतिक्रमी होने पर इन नियमों के अर्थात् अन्तर्गत उसे व्यतिक्रमी माना जायेगा। और ऐसे व्यतिक्रमी को परीक्षा में अनुत्तीर्ण समझा जायेगा। इन नियमों के अधीन उसे किसी परीक्षा में बैठने से, मुख्य परीक्षक के अनुमोदन के अधीन रहते हुए अधिकतम 6 मास की अवधि के लिये विवर्जित भी किया जा सकेगा।

31. प्रकाशनों और सारणियों के लिये उपबंध :

(1) प्रत्येक अभ्यर्थी को समुचित परीक्षा के समय निम्नलिखित सारणियां और पुस्तकें दी जायेगी, अर्थात् :—

(क) अटलांटिक महासागर और हिन्द महासागर के लिये नाव-धिकरण ज्वार-भाटा सारणियां,

(ख) भारतीय पत्तनों के लिये भारतीय ज्वार भाटा सारणी,

(ग) नौ-पंचांग

(घ) मौसम रिपोर्टों के लिये अन्तराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संहिता, और

(ङ) किसी चुने गये मत्स्यन जलयान का शुकाव और स्थिरता।

2. अभ्यर्थी समुचित परीक्षा के समय अपनी नौ-सारणी जिसके अन्तर्गत लघुगणक सारणियां भी हैं, लायेंगे। ऐसी सारणियों पर कोई हस्तलिखित नोट नहीं होंगे और परीक्षा प्रारंभ होने से पहले परीक्षक को समीक्षा के लिये प्रस्तुत की जायेगी इन नियमों के अर्थात् किसी व्यतिक्रमी को दुराचरण माना जायेगा और व्यतिक्रमी को परीक्षा में अनुत्तीर्ण समझा जायेगा। उसे किसी परीक्षा में बैठने से, अधिकतम 3 मास से अधिक अवधि तक मुख्य परीक्षक के अनुमोदन के अधीन विवर्जित भी किया जा सकेगा। नौरी और बर्टन्स नौ-सारणियों के उपयोग को समुचित परीक्षा के समय सामान्यतः अनुज्ञा दी जायेगी।

32. उपकरण :

परीक्षक की पूर्व अनुज्ञा के अधीन रहते हुए अभ्यर्थी परीक्षा हाल में अपने उपकरण ला सकते हैं और उनका उपयोग प्रश्नपत्रों के उत्तर देने के लिये कर सकते हैं। मत्स्यन जलयान के मेट के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र की परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों से भिन्न अभ्यर्थी को किसी स्लाइट रूल या चार बुनियादी गणनाओं और किसी एकल स्मृति वाले इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का उपयोग करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी। दोनों मामलों में उम्मीदवार को संपूर्ण कार्य दिखाना होगा।

33. सारणियों, पुस्तकों या उपकरणों का नुकसान :

ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो परीक्षक द्वारा उसके उपयोग के लिये दिये गये किन्हीं सारणियों, पुस्तकों या उपकरण को विकसित करे उन पर खट्टा या उन पर लिखे अन्यथा किसी को क्षति पहुंचाते हैं तो वह ऐसी क्षतिग्रस्त सारणियों, पुस्तकों या उपकरण के स्थान पर नये देने का दायी होगा। जब तक ऐसी वस्तुओं का प्रतिस्थापन नहीं हो जाता तब तक नियम 10 के अधीन अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये कागजात परीक्षक द्वारा रोक दिये जायेंगे और अभ्यर्थी को परीक्षा में अनुत्तीर्ण माना जायेगा और जब तक ऐसी वस्तुओं का प्रतिस्थापन नहीं हो जाता तब तक उस अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

34. परीक्षा हाल छोड़ना :

कोई भी अभ्यर्थी परीक्षक की अनुमति में बिना और उसे अपनी उत्तर-पुस्तिका सीपे बिना परीक्षा हाल नहीं छोड़ेगा। किसी भी स्थिति में किसी अभ्यर्थी को जब तक उसकी परीक्षा चल रही हो तब तक भवन छोड़ने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। व्यतिक्रमी को परीक्षा में असफल माना जायेगा।

35. उत्तर पुस्तिकाएं :

(1) कोई भी अभ्यर्थी उसको दी गई उत्तर पुस्तिकाओं के अलावा किसी पत्र पर प्रश्न हल नहीं करेगा। अभ्यर्थी को दिये गये स्याही सोख पत्र का उपयोग कच्चे कार्य के लिये नहीं किया जायेगा। ऐसे स्याही सोख पत्र प्रत्येक दिन के अन्त में परीक्षक को वापिस कर दिये जायेंगे। व्यतिक्रमी को परीक्षा में असफल माना जायेगा।

(2) उत्तरपुस्तिकाओं में सभी कार्य स्याही से किये जायेंगे परन्तु रेखाचित्र पेन्सिल से खींचे जायेंगे।

(3) उत्तर साफ और सुवाच्य लिखे जायें। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लिखते समय उसका क्रमांक उत्तरपुस्तिका के बायीं ओर के हाशिये में लिखा जायेगा।

36. परीक्षा के दौरान नकल करना :

अन्य अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिकाओं से या अप्राधिकृत पुस्तकों, प्रकाशनों, नियमों या अन्य पाण्डुलिपियों जो भी हों से नकल करना या अपनी उत्तरपुस्तिका से नकल करने में किसी अन्य अभ्यर्थी की मदद करना अन्यथा किसी दूसरे उम्मीदवार को कोई सूचना देना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। ऐसे किसी व्यतिक्रमी को परीक्षा में असफल माना जायेगा और मुख्य परीक्षक के अनुमोदन के अधीन रहते हुए 6 मास से अनधिक समयावधि के लिये इन नियमों के अधीन किसी परीक्षा में बैठने से भी विवर्जित होगा।

37. दुराचरण :—जब तक इन नियमों में अन्यथा उपबंधित है ऐसा कोई अभ्यर्थी जो किसी प्रकार का दुराचरण, जिसके अन्तर्गत किसी परीक्षक या अन्य परीक्षा कर्मचारियों के साथ धृष्टता भी सम्मिलित है करे या कोई अभ्यर्थी परीक्षा हाल में अनुचित या बृच्छल आचरण करे या इन नियमों में से किसी एक को भंग करे तो वह नीचे विनिर्दिष्ट एक या अधिक तरीकों से दंड का भागी होगा, अर्थात् :—

(1) जहां परीक्षा शुरू नहीं हुई हो या समाप्त नहीं हुई हो वहां अभ्यर्थी को यथास्थिति परीक्षा में बैठने से या परीक्षा में आगे उसमें भाग लेने से उसे विवर्जित कर दिया जाएगा।

(2) जहां परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया हो वहां ऐसे अभ्यर्थी का परिणाम मुख्य परीक्षक के अनुमोदन के अधीन रहते हुए संशोधित किया जा सकेगा।

(3) जहां अभ्यर्थी की परीक्षा में सफल घोषित कि गया हो लेकिन उसे आवश्यक प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया हो वहां प्रमाण-पत्र ऐसी अवधि के लिए जो मुख्य परीक्षक द्वारा विनिश्चित की जाय, रोका जा सकेगा।

(4) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को ऐसी अवधि के लिए जैसे मुख्य परीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं इन नियमों के अधीन किसी परीक्षा में बैठने के लिए विवर्जित किया जाएगा।

38. पाठ्यक्रम :—नियम 48 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई अभ्यर्थी सक्षमता प्रमाणपत्र की परीक्षा जिसके लिए वह पात्र है, के किसी भाग या भागों की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेगा जैसा नियम 4.5 और 6 के उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट है। सभी भागों की परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम, परिशिष्ट "ज" में यथा विनिर्दिष्ट है।

39. लिखित परीक्षा :

(1) प्रत्येक श्रेणी की परीक्षा के लिखित भाग के विषय, प्रत्येक विषय के प्रश्न के उत्तर देने के लिए अनुज्ञात समय, प्रत्येक विषय के लिए आंशिक कुल अंक और उस प्रश्नपत्र तथा लिखित भाग में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त किये जाने वाले अपेक्षित अंकों की प्रतिशतता निम्नलिखित सारणियों में यथाविनिर्दिष्ट है :—

किसी मत्स्यन जलयान का मेंट	घंटे	कुल अंक	उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशतता
(क) सीमन्तशिप, सुरक्षा और निगरानी	3	150	50%
(ख) मौसम विज्ञान	2	100	50%
(ग) नौचालन	3	200	70%
(घ) चार्ट कार्य	2	150	70%
कुल	—	600	60%

किसी मत्स्यन जलयान श्रेणी II का स्कीपर :

(क) नौचालन के प्रयोग और सिद्धांत	3	200	70%
(ख) चार्ट कार्य	2	150	70%
(ग) निर्माण और स्थिरता	3	150	50%
(घ) दिक्चालक साधन	2	100	50%
कुल	—	600	60%

मत्स्यन जलयान श्रेणी I का स्कीपर

(क) नौचालन के प्रयोग और सिद्धांत	3	200	70
(ख) चार्ट कार्य	2	150	70
(ग) निर्माण और स्थिरता	3	150	50
(घ) दिक्चालक साधन	2	100	50
कुल	—	600	60

(2) कोई अभ्यर्थी किसी सक्षमता प्रमाणपत्र की इस परीक्षा में दिखायी गई उसकी गंभीर कमजोरी के कारण असफल हो जाता है तो उसे इस परीक्षा में पुनः बैठने की अनुज्ञा देने के पहले, मुख्य परीक्षक के अनुमोदन के अधीन रहते हुए किसी अनुमोदित संस्थान से अनुदेय पाठ्यक्रम, जिसकी समयावधि 6 महीनों से अधिक हो, पूरा करेगा।

(3) संबंधित अनुमोदित संस्थान के प्रधान से ऐसे पाठ्यक्रम के दौरान उपस्थिति की अवधि, आचरण और दक्षता दिखाने वाला कोई प्रमाणपत्र अभ्यर्थी को पुनः परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त प्रमाण समझा जाएगा।

40. मौखिक परीक्षा :

(1) परीक्षा के मौखिक भाग के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी नियत समय पर परीक्षा के लिए स्वयं उपस्थित होगा यदि अभ्यर्थी बिना उचित आधार के ऐसा करता है तो वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण समझा जाएगा।

(2) कोई उम्मीदवार किसी सक्षमता प्रमाण-पत्र की इस परीक्षा में व्यावहारिक ज्ञान में उसकी गंभीर कमजोरी के कारण असफल रहे तो उसे :

(क) आगे 6 मास से अनधिक अवधि के लिए समुद्री सेवा करना; और/या

(ख) किसी संस्थान में, इस परीक्षा में पुनः बैठने की अनुमति देने से पूर्व 6 मास से अनधिक अवधि के लिए अनुदेश पाठ्यक्रम के उपस्थित होना आवश्यक होगा।

(3) ऐसी समुद्री सेवा किसी मत्स्य जलयान के डेक में किसी भी हैसियत में की होनी चाहिए और ऐसी अतिरिक्त सेवा को नियम 17 और 25 के उपबंध लागू नहीं होंगे। अनुमोदित संस्थान में उपस्थिति को संबंधित अनुमोदित संस्थान के प्रमुख से उपस्थिति की अवधि आचरण और ऐसी अवधि के दौरान प्राप्त प्रवीणता को दर्शाते हुए एक प्रमाणपत्र द्वारा साबित करना होगा।

41. संकेत परीक्षा :

(1) परीक्षा के संकेत भाग के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी ऐसी परीक्षा में नियत समय पर स्वयं उपस्थित रहेगा। किसी अभ्यर्थी के ऐसा करने में असफल रहने पर उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ ऐसा माना जाएगा।

(2) (क) पाठ्य विवरण में विनिर्दिष्ट मोर्स प्रकाशन संकेत परीक्षा में प्रत्येक सही अक्षर या परीक्षण कार्ड के आंकड़ों के लिए दो-तिहाई अंक और वर्तनी संदेश के प्रत्येक सही शब्द के लिए 5 अंक नियत होंगे। वर्तनी संदेश में 12 शब्द होंगे।

(ख) मोर्स प्रकाशन संकेत और सेमाफोर परीक्षण में पृथक रूप से कुल अंकों के 90 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ ऐसा माना जाएगा बशर्त कि वह यथोचित ग्रेड के पाठ्य विवरण में विनिर्दिष्ट शेष विषयों में अपनी प्रवीणता से परीक्षक का समाधान करे।

42. पुनः परीक्षा :—कोई अभ्यर्थी नियम 39 और 60 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसके अन्तिम प्रयत्न से एक मास के समाप्त होने के पश्चात् पुनः परीक्षा के लिए स्वयं उपस्थित कर सकेगा।

43. आंशिक उत्तीर्ण :

(1) जहां कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी एक या अधिक भागों में उत्तीर्ण होता है वहां उसे परीक्षा में आंशिक रूप से उत्तीर्ण माना जाएगा और इस प्रकार आंशिक रूप से उत्तीर्ण होना परीक्षा की तारीख से 12 मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

परन्तु मुख्य परीक्षक, विशेष परिस्थितियों में, आंशिक रूप से उत्तीर्ण विधि मान्यता को दो मास से अनधिक अवधि तक बढ़ा सकेगा।

(2) जहां कोई अभ्यर्थी किसी आंशिक रूप से उत्तीर्ण किसी मान्यता की अवधि के लिए दौरान परीक्षा के शेष सभी भागों को उत्तीर्ण करने में असफल रहता है वहां उससे उसके अगले प्रयत्न में उस भाग या भागों में फिर से बैठने की अपेक्षा की जाएगी।

(3) आंशिक रूप से उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम परिशिष्ट "ब" में उपजित प्ररूप में उपदर्शित किया जाएगा। उस अभ्यर्थी को यदि वह ऐसा चाहे तो परिशिष्ट "ट" में उपजित प्ररूप में परीक्षा का परिणाम दिया जा सकेगा। दोनों विहित प्ररूपों में परीक्षा के संबंधित भाग में अभ्यर्थी के उत्तीर्ण होने की तारीख उसके अगले प्रयत्न के लिए जिसके लिए वह पात्र है परीक्षा में बैठने की तारीख और जहां अभ्यर्थी से आगे समुद्री सेवा या कोई दिशा पाठ्यक्रम करना अपेक्षित हो तो ऐसी समुद्री सेवा या ऐसे पाठ्यक्रम में उपस्थित की अवधि विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस नियम के प्रयोजनों के लिए परीक्षा की तारीख से उस मास की पहली तारीख अभिप्रेत है।

276 GI/87—2

44. प्राधिकार-पत्र :

(1) ऐसा अभ्यर्थी जो नियम 39, 40 और 41 के अधीन (और नियम 4, और 6 के अनेकानुसार अतिरिक्त प्रमाणपत्र धारण करता है, सम्पूर्ण परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ माना जाएगा।

(2) ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी को परिशिष्ट "ड" में विहित प्ररूप में अभ्यर्थी द्वारा विकल्प दिए गए पत्र के प्रधान आफिसर को संबोधित करते हुए एक प्राधिकार-पत्र दिया जाएगा जिसके बदले में जब सक्षमता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए तैयार हो सक्षमता प्रमाण-पत्र परिदत्त किया जाएगा।

(3) जब तक उप-नियम (2) में निर्दिष्ट पत्र मुख्य परीक्षक द्वारा या उसकी ओर से रद्द नहीं कर दिया जाता उस समय तक जब तक कोई सक्षमता प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी को जारी नहीं किया जाता उसका भाव होगा मानो वह इन नियमों के अधीन संबंधित ग्रेड के लिए कोई सक्षमता प्रमाण-पत्र जारी किया हो।

45. अपर्याप्त सेवा :

(1) यदि किसी परीक्षा के परिणाम की घोषणा के पश्चात् यह पता चलता है कि अभ्यर्थी को जिसे परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया है, यथास्थिति पर्याप्त समुद्री सेवा या निगरानी सेवा के अभाव के कारण उस परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं था, सक्षमता प्रमाण-पत्र या प्राधिकार-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

(2) ऐसे अभ्यर्थी की यथास्थिति आवश्यक समुद्री सेवा, या निगरानी सेवा पूरी करने के पश्चात् पुनः परीक्षा लेना अपेक्षित होगा।

परन्तु मुख्य परीक्षक, जहां उसका समाधान हो जाता है कि यथास्थिति समुद्री सेवा, या निगरानी सेवा की संगणना में की गलती अभ्यर्थी की ओर से किसी त्रुटि या जानबूझकर मिथ्या अभिवेदन करने के कारण नहीं की उसे पुनः परीक्षा से छूट दे सकेगा और ऐसी दशा में अभ्यर्थी को सेवा में कमी को पूरा करने के पश्चात् सक्षमता प्रमाण-पत्र या प्राधिकार-पत्र जारी किया जा सकेगा।

46. सक्षमता प्रमाणपत्रों के पृष्ठांकन :—

(1) इन नियमों के अधीन जारी किए गए सक्षमता प्रमाणपत्र का धारण करने वाला कोई व्यक्ति सरकार से कोई पुरस्कार प्राप्त करने पर ऐसे पुरस्कार से संबंधित साक्ष्य अपने सक्षमता प्रमाण-पत्र सहित मुख्य परीक्षक को प्रमाण-पत्र पर समुचित पृष्ठांकन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(2) इन नियमों के अधीन जारी किए गए किसी सक्षमता प्रमाणपत्र धारण करने वाला कोई व्यक्ति उसके नीचे विनिर्दिष्ट से कोई प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर उसे मुख्य परीक्षक को ऐसे प्रमाणपत्र से संबंधित उसके सक्षमता प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकन करने के लिए प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :—

(क) वाणिज्य पोत परिवहन (मास्टर और मेट परीक्षा) नियम, 1979 के अधीन दिया गया सक्षमता प्रमाणपत्र।

(ख) संचार मंत्रालय द्वारा रेडियो अधिकारी के रूप में जारी किया गया प्रवीणता प्रमाणपत्र।

(ग) नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी या अनुमोदित रडार रखरखाव प्रमाणपत्र।

(घ) अग्नि नियम की धारा 80 के अधीन दिया गया सेवा प्रमाण-पत्र।

47. सक्षमता प्रमाणपत्र की प्रमाणित सत्य प्रति जारी करना

(1) जहां इन नियमों के अधीन जारी किया गया कोई सक्षमता प्रमाणपत्र या प्राधिकार-पत्र नष्ट या अन्यथा गुम

हो जाता है वहाँ धारक मुख्य परीक्षक से उसकी प्रति प्राप्त कर सकेगा। ऐसी प्रमाणित प्रति के लिए किसी जिले के वाणिज्यिक समुद्री विभाग प्रधान आफिसर के माध्यम से मुख्य परीक्षक को परिशिष्ट "ड" में विहित प्ररूप में आवेदन किया जाएगा। ऐसे आवेदन पत्र के साथ, उन परिस्थितियों को जिनमें मूल सक्षमता प्रमाणपत्र या प्राधिकार पत्र नष्ट विरुजित या अन्यथा गुम हुआ था स्पष्टीकरण करते हुए एक घोषणा संलग्न होगी। घोषणा उस प्रधान आफिसर को जिसको आवेदन पत्र आगे मुख्य परीक्षक को भेजने के लिए किया जाना है की उपस्थिति में की जाएगी।

- (2) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ परिशिष्ट "ज" में विनिर्दिष्ट समुचित फीस भेजी जाएगी।

परन्तु जहाँ सक्षमता प्रमाणपत्र या प्राधिकार पत्र की हानि का कारण पोत का नष्ट होना या पोत पर आग लगना है, वहाँ कोई फीस देय नहीं होगी।

48. कठिनाइयों का निराकरण:—

- (1) ऐसा अभ्यर्थी जिसने वाणिज्य पोत परिवहन (मत्स्य जलयान के स्कीपर और सेकण्ड हैंड परीक्षा) नियम, 1964 के उपबंधों के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है इन नियमों के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र की परीक्षा के लिए नीचे दिए गए ब्यौरे अनुसार पात्र होगा :—

नियम 1964 के अधीन अभ्यर्थी द्वारा धारित सक्षमता प्रमाणपत्र का ग्रेड	इन नियमों के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र का ग्रेड जिसके लिए वह पात्र है	पूर्ववर्ती शर्त
(क) सेकंड हैंड (मत्स्य जलयान)	मत्स्य जलयान नियम 5 का पूर्ण ग्रेड-II का स्कीपर	रूप से अनुपालन
(ख) स्कीपर (म. ज.)	मत्स्य जलयान नियम 6 का पूर्ण ग्रेड-I का स्कीपर	रूप से अनुपालन

परन्तु इन नियमों के प्रवृत्त होने के समय किसी अभ्यर्थी के पास 1964 के नियमों के अधीन मत्स्य जलयान के स्कीपर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद 24 मीटर से अन्यून लंबाई के मत्स्य जलयान के प्रभावी कमान में 24 मास की सेवा या 24 मीटर से कम की लंबाई के मत्स्य जलयान की प्रभावी कमान में 36 मास की सेवा की है तो

नियम 6 के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट उसे मत्स्य जलयान ग्रेड I के स्कीपर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा के लिखित और संकेत भागों से छूट दी जाएगी।

- (2) ऐसा अभ्यर्थी जो 1964 के नियमों के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा में बैठे हैं और इन नियमों से प्राप्त होने की तारीख को उस परीक्षा में सफल नहीं होता है तो वही नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा में बैठने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा :—

1964 के नियमों के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र	इन नियमों के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र का समतुल्य ग्रेड	पूर्ववर्ती शर्त
(क) सेकंड हैंड (म. ज.)	मत्स्य जलयान का ग्रेड II	नियम 4 का पूर्ण रूप से अनुपालन
(ख) स्कीपर	मत्स्य जलयान ग्रेड II का स्कीपर	नियम 5 का पूर्ण रूप से अनुपालन

- (3) 1984 नियमों के अधीन परीक्षा के संकेत और मौखिक भागों में आंशिक रूप से उत्तीर्ण होने का उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट समतुल्य सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए संबंधित परीक्षा में आंशिक रूप से उत्तीर्ण माना जाएगा और उस अभ्यर्थी को उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट समतुल्य सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए उस परीक्षा के लिखित भाग में बैठने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

- (4) ऐसा अभ्यर्थी जो 1964 के नियमों के अधीन परीक्षा के लिखित भाग में उत्तीर्ण हुआ है किंतु उस परीक्षा के मौखिक या संकेत भाग में उत्तीर्ण नहीं हुआ है, उसे उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट समतुल्य सक्षमता प्रमाणपत्र की परीक्षा के संकेत या मौखिक भाग को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु ऐसे अभ्यर्थी को 1964 के नियमों के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

- (5) इस नियम के उप-नियम (3) और (4) में विनिर्दिष्ट परीक्षा के लिखित संकेत या मौखिक भागों में विधिमाम्य आंशिक रूप से उत्तीर्ण होने से इन नियमों के लागू होने की तारीख से 6 मास की अवधि के लिए और विधिमाम्य होगा।

परिशिष्ट "क"

नियम 2(अ) देखिए

क्र. सं.

सेवा का अभिलेख

धारक के हस्ताक्षर
सात्यापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नाम

पता

.....

.....

धारक का चित्र

जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम
और मुद्रा

(कृपया अंतिम पृष्ठ पर का रिमाक देखिए)

धारक का पूरा नाम

(स्पष्ट अक्षरों में)

रैंक/रेटिंग

पिता/स्थानीय अभिभावक का नाम

घर का स्थायी पता

जन्म तारीख स्थान

राष्ट्रियता

बालों का रंग आँख वर्ण

पहचान चिह्न

शैक्षिक अर्हताएं

प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र का प्रकार

सं. जारी करने की
तारीख और स्थानजारी करने
की तारीख

1. निरंतर लगातार सेवोन्मुक्ति प्रमाणपत्र
2. पासपोर्ट
3. नौसेना समुद्री सेवा प्रमाणपत्र
4. पूर्व समुद्री सेवा प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
5. रेडार प्रेक्षक-प्रमाणपत्र
6. जीवन रक्षा नाविक प्रमाणपत्र
7. समुद्री प्राथमिक उपचार-प्रमाणपत्र
8. समजीवित समुद्री जीवन रक्षा प्रमाणपत्र
9. अग्नि शमन प्रमाणपत्र
10. रेडार अनुकारी प्रमाणपत्र
11. रेडियो-टेलीफोन ऑपरेटर प्रमाणपत्र
12. प्राथमिक मत्स्य प्रौद्योगिकी प्रमाणपत्र
13. उच्च मत्स्य प्रौद्योगिकी प्रमाणपत्र
14.
15.
16.
17. निगरानी प्रमाणपत्र
18.
19.

20. मत्स्य जलयान सेट का सक्षमता प्रमाणपत्र

21. मत्स्य जलयान के स्कीपर ग्रेड- II सक्षमता प्रमाणपत्र

22.

23.

क्र.	जलयान का नाम सं. और लंबाई	तारीख और स्थान		मत्स्य जलयान सेवा				
		नियोजन	सेवामुक्त	रैंक	आचरण	योग्यता	संयत	टिप्पणियाँ
								हस्ताक्षर

टिप्पण

1. यह अभिलेख नियोजक द्वारा तैयार किया जाएगा और इसे मत्स्य जलयान में सम्मिलित होने से पूर्व रेटिंग को जारी कर दिया जाएगा।
2. प्रमाणपत्रों के संबंधित में प्रविष्टियाँ जब वह उन्हें अर्जित करे रेटिंग द्वारा भरी जाएंगी।
3. मत्स्य जलयान सेवा से संबंधित प्रविष्टियाँ मत्स्य जलयान से सेवानुक्ति के समय स्कीपर द्वारा भरी जाएंगी। इस सारणी में कोई संशोधन की उस स्कीपर द्वारा सम्यक् रूप से सम्मिलित की जाएगी जिसने मूल प्रविष्टि की है।
4. यह अभिलेख रेटिंग के कब्जे में रहेगा जिससे कि नियोजन के बदलते समय असावधानी से बचा जा सके।
5. नियोजक और स्कीपर के भविष्य में सत्यापन या पुष्टि, यदि कोई हो के लिए इस दस्तावेज में की गई प्रविष्टियों के अभिलेख रखेंगे।

परिशिष्ट "ख"

[नियम 3 (2) देखिए]

भारत सरकार

मत्स्य जलयान—I के स्कीपर

के रूप में

सक्षमता प्रमाणपत्र

भारत सरकार द्वारा
जारी किया गया,
सेवा में

आपको मत्स्य जलयान पर मत्स्य जलयान ग्रेड 1 के स्कीपर के कर्तव्य करने के लिए सम्यक् रूप से अर्हता प्राप्त पाया गया है, केन्द्रीय सरकार वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको यह सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान करती है।

प्रतिहस्ताक्षरित
मुख्य परीक्षक,
नौवहन महानिदेशालय
बम्बई में रजिस्ट्रीकृत,

तारीख

नौवहन महानिदेशक

भारत सरकार

मत्स्य जलयान ग्रेड—II के स्कीपर

के रूप में

सक्षमता प्रमाणपत्र

भारत सरकार द्वारा
जारी किया गया
सेवा में

आपको मत्स्य जलयान पर मत्स्य जलयान ग्रेड-II के स्कीपर के कर्तव्य करने के लिए सम्यक् रूप से अर्हता प्राप्त पाया गया है, केन्द्रीय सरकार वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको यह सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान करती है।

प्रति हस्ताक्षरित :
मुख्य परीक्षक,
नौवहन महानिदेशालय
बम्बई में रजिस्ट्रीकृत,

तारीख

भारत सरकार
मत्स्य जलयान के मेट
के रूप में
सक्षमता प्रमाणपत्र

भारत सरकार
द्वारा जारी किया गया
सेवा में

आपका मत्स्य जलयान पर मत्स्य जलयान के मेट के कर्तव्य करने के लिए सम्यक् रूप से अर्हता प्राप्त पाया गया है, केन्द्रीय सरकार वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको यह सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान करती है।

प्रतिहस्ताक्षरित
मुख्य परीक्षक,
नौवहन महानिदेशालय,
बम्बई में रजिस्ट्रीकृत,

तारीख

नौवहन महानिदेशक

परिशिष्ट—ग

[नियम 7 (1) देखिए]

प्राथमिक मत्स्य प्रौद्योगिकी के लिए पाठ्यविवरण

1. मत्स्य गियर और डिजाइन
 - (1) मत्स्य गियर का परिचय
 - (2) देशी मत्स्य गियर का वर्गीकरण
 - (3) आधुनिक मत्स्य गियर और उसका वर्गीकरण
 - (4) विभिन्न प्रकार के मत्स्य गियर—गिल जालियाँ, जालपोत, कोनाजालियों, डोरियों, धैलेदार जालियों, ट्रैपों आदि के डिजाइन के मूल सिद्धांत।
 - (5) जाली और जाली चयनात्मकता
 - (6) जाली गांठदार और गांठ रहित निवार
 - (7) अवलम्ब और सत
2. मत्स्य गियर सामग्री का परिचय और मत्स्य तथा मत्स्यन पद्धतियों के संबंध में सामग्री का चयन।
 - (2) मत्स्य गियर सामग्री का विवरण प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशों का वर्णन और व्योरे। सामग्री के गुण धनत्व, प्रबलता, अपघर्षण प्रतिरोधी आदि लकड़ी का सामान।
 - (3) द्विनों और रस्सियों की संख्या प्रणाली—जडेनियर, टेक्स मिट्टिक और उसका परिवर्तन।
 - (4) द्विनों और रस्सियों की संरचना ऐसे सूत मरोड़ना गुम्फन आदि।
 - (5) इस्पात रस्सियाँ—सामग्री और संरचना मिश्रित रस्सियाँ।
 - (6) प्लव प्रयोजन और प्रकार—उत्प्लावकता, अतिरिक्त उत्प्लावकता।
 - (7) निमज्जका प्रयोजन और प्रकार
3. मत्स्य तकनीक :
 - (1) मछली पकड़ने के सिद्धांत
2. मछलियों को पकड़ने के संबंध में विभिन्न मत्स्य पद्धतियों का वर्णन:
 - क. क्लोम की जाली—मूल सिद्धांत
क—1 साधारण क्लोम की जाली (क—2) महाजाल (क. 3) संयुक्त क्लोम की जालियाँ उर्ध्व और क्षैतिज संयोजन
क—4 मत्स्यन गहराई तल मध्य जल और पैदी—जाल और प्रवाही जाल।
 - ख. कोना जाल (घेरना) मूल सिद्धांत
क-1 किभारा कोना जाल या तट कोना जाल
ख. 2 नौका कोना जाल—लम्पारा, रुर्की कोना जाल
 - ग. मत्स्यनौका मूल सिद्धांत
ग.1 मत्स्य नौका का वर्गीकरण—मोटर मत्स्य नौका बाह्य रिगर मत्स्य नौका और मध्यधारा मत्स्य नौका।
घ. डोरियों से मत्स्यन।
घ. 1 साधारण डोरी, बहुल राय डोरी और संबी डोरी।

- घ. 2 दुना लंबी रस्सी
- घ. 3 शार्क और अन्य मछली पकड़ने की लंबी डोरी ।
- ड. सेट थैला जरलियों मूल सिद्धांत
- ड. 1 पण्जालियां
- च. जाल मत्स्य—मूल सिद्धांत

4. डेक उपकरण :

- 1. डेक उपकरणों का परिचय तथा उनका प्रयोजन
- 2. विभिन्न प्रकार के मत्स्यन के लिए विभिन्न प्रकार के डेक उपकरण
 - 2.1 महाजाल विच
 - 2.2 खर्की कोना विच
 - 2.3 विच संयोजन
 - 2.4 जाल विचकु (जाल ड्रम)
 - 2.5 डोरी वहक गिल जाल और गुर्वी लम्बी डोरी वहक
 - 2.6 हस्तरील
 - 2.7 रस्सी रक्षक
 - 2.8 शक्ति ब्लाक और स्थानांतरण ब्लाक
- 3. अपर के कार्यकारी सिद्धांत

5. मत्स्य उशामान :

- 1. ओट्टर-बोर्डों, निभाव या उत्थान यंत्र, विस्थापन, धरन महाजाल, शीर्ष उद्देश्य
- 2. प्लव डलवों डन्गनों—प्रयोजन
- 3. स्टोपर लिंक सहित खर्की क्षिरिग शकल यिम्बल जी लिंक केल्ली की आंख
- 4. वार्फिक गियर

6. डेक विन्यास

विभिन्न प्रकार के मत्स्यन के लिए जिसके अंतर्गत संयोजन भी है, डेक विन्यासों को विभिन्न प्रकार

- 1. बलोम जालक.
नौका, बीजन यंत्र, डडसा बीजन यंत्र और रील गिल जालक
- 2. मत्स्य नौका
ड बूसा मत्स्य नौका, पार्श्व मत्स्य नौका और बाह्य-रिगर मत्स्य नौका
- 3. खर्की मत्स्यक नौकोनाजाल
- 4. लंबी डोरी
- 5. जलयानों आदि का संयोजन (मत्स्यन नौका-खर्की कोनाजाल, मत्स्य नौका गिल जालक और उनके प्रयोजन)

7. मत्स्यन जीव विज्ञान और मछली को संभालना :

- 1. समुद्री पर्यावरण
- 2. मछलियों का स्थानांतरण
- 3. भारतीय समुद्री मत्स्यना
- 4. जालक पर मछली को संभालना

8. समुद्री विज्ञान और समुद्री गौसम विज्ञान ।

- 1. वायुमंडल, वायुमंडलीक दाब, वायुमंडल में जल-वाष्प, दृश्यता, बादल
- 2. दाब प्रवणता और वायु, हिन्दमहासागर में साधारण दाब और वायु वितरण नियतकालिक और स्थानीय वायु ।
- 3. मौसम सन्देश
- 4. मत्स्यन जलयानों में साधारणतया उपयोग किए जाने वाले जालीदार उपकरण ।

9. मछलियों का पता लगाना :

- 1. प्रारम्भिक ध्वनि विज्ञान
- 2. मत्स्यन में उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

10. मूल-गियर के प्रयोग :

- मूल डंड पर छिद्रदार जाली-लगाना-जाली तानना और आड़ी जाली और समग्र जाली चलाना।
- जाली बनाने के उपकरण निडल और गैज
 - मूल रूप से जाली बनाना-महाजाल गांठ, पृष्ठ गांठ, (गोल गांठ, दोहरी गांठ आदि) का अभ्यास।
 - गुथी हुई जाली का आकार देना--सिलवट डालना, मच्छला का चारा डालना।
 - सिलाई द्वारा जाली का आकार देना
 - लटकन (आरोपण) जाली लगाना, शीर्ष और पार्श्व आरोपण, लटकन अनुपात को विभिन्न पद्धतियां
 - जाली को जोड़ना
 - मरम्मत करना
 - समनुबंधन-रस्सी समनुबंधन और तार रस्सी समनुबंधन

परिशिष्ट "घ"

[नियम 7 (2) देखिए]

उच्च मस्तक श्रौद्योगिकी पाठ्य विवरण के लिए पाठ्य विवरण:

11. मत्स्य गियर और डिजाइन

- मत्स्य गियर का परिचय--मच्छली पकड़ने के मूल सिद्धांत
- आधुनिक मत्स्य गियर का वर्गीकरण
- विभिन्न प्रकार के मत्स्य गियरों के डिजाइन तैयार करना के सिद्धांत
 - गिल जाली
 - पृष्ठ गिल जाली
 - पैदी गिल जाली--रुख और दूरी
 - बड़ी परकार जाली
 - ऊर्ध्वकर संयोजन और क्षैतिज संयोजन जाली

4. जाली लगाना--छिद्र जाली, छड़ जाली, तानना, आड़ी जाली

5. जाली को आकार देना गुथना चारा लगाना

6. विशेष प्रकार की मछली के संबंध में विभिन्न प्रकार के मत्स्य गियर के लिए लटकन अनुपात का महत्व।

2. मत्स्य गियर सामग्री :

- विभिन्न प्रकार की जाली बनाने की सामग्री-- प्राकृतिक और कृत्रिम
- मछली तथा मत्स्य पद्धतियों के संबंध में सामग्रियों का चयन अवेशित घनत्व अपघर्षण प्रतिरोधी व्यास लपेटन, प्रबलता डूबना गति आदि।
- इस्पात के तार की रस्सियों का चयन और संयोजन रस्सियों का निर्माण नम्यता, प्रबलता।

3. मत्स्यन तकनीक

1. आधुनिक मत्स्य पद्धतियां

1. 1. आधुनिक मत्स्य पद्धतियों की विशेष प्रकार वर्णन

1. 2. मत्स्य ग्रहण, खर्की--कोना जाल पर प्रकाश लगाना

1. 3. आधुनिक मत्स्य ग्रहण पद्धतियां जैसे लक्ष्य किए महाजाल से मत्स्य खर्की --कोना जाल पर प्रकाश लगाना, विजली से मत्स्यन आदि का आधुनिक विकास और सुधार

1. 4. मध्य धारा महाजाल से मत्स्य एकल नौका और द्विकल नौका

2. गिल जालियां

सरल गिल जाली, बड़ी सरकार जाली, ऊर्ध्वकर और क्षैतिज सहित गिल जाल-पृष्ठ पैदी और स्तंभ-रुख और दूरी

3. कांटा और मत्स्यन डोरी

3. 1. कलवा के लिए रील हथ डोरियां

3. 2. टुना लंबी डोरी लगाना

3. 3. शार्क के लिए लंबी डोरी लगाना

3. 4. अन्य मछलियों के लिए डोरी लगाना

3. 5. स्किव्ड

3. 6. जाल मत्स्यन

4. डैक उपस्कर :

1. सामान्य डैक उपकरण, विच गुडी डोरी कर्षण शक्ति ब्लाक मोफिदारस्सी जाल पिच-जाल ड्रग, रील रक्षक, जहाजी खूटा आदि

2. डैक मत्स्य उपस्कर

- (क) महाजाल विच (डोरी और सामानान्तरित ड्रम में) (वर्णन, कार्यकरण क्षमता) तार क्षमता और भार ग्रहण क्षमता, गति क्षमता तथा चयन
- (ख) खर्की--कोना विच (उपरोक्तानुसार)
- (ग) संयोजन विच (उपरोक्तानुसार)
- (घ) स्प्लिट विच (उपरोक्तानुसार)
- (ङ) जाली विच (उपरोक्तानुसार)
- (च) गुर्की--वर्णन, कार्यकरण, गति, भार ग्रहण क्षमता, चयन
- (छ) फुसाव डोरी--वर्णन, कार्यकरण और गति, भारग्रहण क्षमता, चयन
- (ज) हथ डोरी रील--वर्णन, कार्यकरण और चयन
- (झ) ब्लाक परिवर्तन--वर्णन, कार्यकरण और चयन
- (ञ) महाजाल आई विच (केबल विच)
- (ट) जालीदार केबल वच
- (ठ) ट्रिप्लेक्स जालीदार विच--वर्णन और कूल

5. मत्स्य उपसाधन :

1. ग्राउण्डर फ्लक

1.क. आयताकार

1.ख. अण्डाकार

1.ग. बी--फार्म

1.घ. उर्ध्वाकर वक्र

1.ङ. क्षैतिज वक्र--ग्राउण्डर फ्लकों का चयन

2. घरन ("महाजाल घरनों के लिए) वर्णन, आकार

3. महाजाल शीर्ष (महाजाल घरनों के लिए) वर्णन, कार्यकरण और आकार

4. निभाव/उत्थापन यंत्र--वर्णन, कार्यकरण और प्रकार

5. डोलेने कृत्य प्रकार और वर्णन

6. प्लवन, सिकर, बोविन रस्सी आदि, कृत्य, वर्णन, प्रकार, चयन

7. खर्की--वलय, कांड सिरा वलय, शैकलस् फिक्की थिम्बल--कृत्य वर्णन, प्रकार और चयन

8. रस्सी रक्षक--कृत्य वर्णन और कार

9. जहाजी खूटें, क्लीटस्, डोलखर्ची आदि

10. हाइड्रोग्राफिक विच प्रयोजन

6. डैक विन्यास :

1. गिल जालक

जलयान के प्रकार और आकार, डैक की आकृति इंजन की स्थिति, दक्ष प्रचालन के लिए डैक विन्यास, गिरर को संभालने के लिए समुचित डैक उपस्कर लगाना (मंडदान बीजन यंत्र, पिच्छन बीजन यंत्र, रील गिल जालक।

2. महाजाल:

विच के प्रकार, रक्षा रस्सी के प्रकार, गैलोस् के प्रकार, स्थिति और संस्थापन, पिच्छल महाजाल, खरा प्रकार के लिए व्यवस्थाएं, कांड सिराओं वालों के लिए व्यवस्थाएं, आउटरिगर महाजाल के लिए व्यवस्थाएं।

(ख) पार्श्व महाजाल

विच, रक्षा रस्सियों गैलोस् नौकपर्ण ब्लाक--प्रकार, आकार चयन, स्थिति और संस्थापन

(ग) आउट रिंगर महाजाल

विच रक्षा रस्सियों, आउट रिंगर घरन का प्रकार आकार और लंबाई, चयन स्थिति और संस्थापन।

(घ) खर्की कोनाजाल :

- घ. 1. खर्की कोनाजाल विच, (प्रकार, क्षमता, गति, चयन, स्थिति और संस्थापन) ।
- घ. 2. खर्की ड्रेविट—प्रकार, स्थिति और संस्थापन ((डावा बाज या जमना बाजू—घरोबन्दी की दिया—दखिणावत/प्रतिपक्षि जावत) ।
- घ. 3. मधान प्रणोदक, पिच्छल प्रणोदक—कृत्य
- घ. 4. जाल खींचने की विच (ट्रिप्लेक्स जाल विच—कृत्य, प्रकार स्थिति और संस्थापन) ।
- घ. 5. शक्ति ब्लोक—क्षमता, गति, प्रकार, स्थिति, और संस्थापन
- घ. 6. स्थानांतरण ब्लाक—प्रकार, स्थिति तथा संस्थापन
- घ. 7. नालीदार जाली—स्थिति
 - क. लम्बी रस्सी—जलयान का आकार और मत्स्य स्थल के संबंध में सहन शक्ति लंबी रस्सी कर्षण—प्रकार, आकार, गति (परिवर्तनशील गति) चयन, स्थिति तथा संस्थापन
 - ख. शूटिंग डू और नाली स्थिति
 - ग. चारा—तोरा आधान—भंडारण /
 - घ. कर्षण के समय वाहक पद्धति
 - ङ. रेल रोलर—प्रकार, कृत्य, स्थिति तथा संस्थापन
 - च. मत्स्य पकड़ने की स्थिति और क्षमता
 - छ. प्रसंस्करण सुविधा। संयोजन जलमान सहित उक्त के लिए विशेष डेक व्यवस्थाएँ—दक्ष प्रयोजन के लिए संयोजन की सर्वोत्तम प्रकार।

7. मत्स्य जी-विज्ञान और मछली को संभालना:

1. परिप्लावी और तलप्लावी मत्स्यकी के बीच आपसी संबंध समूह तल जीव और तल पैदी मत्स्यन भारतीय महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मत्स्य के श्रोत मत्स्य गियर के संबंध में मत्स्य व्यवहार मछली को संभालना

8. मछली डुंडना :

1. मत्स्यन में इलैक्ट्रानिकी
2. मछली ध्वनि, सोनार और जाली ध्वनि, व्यावहारिक रूप से लागू करना
3. प्रतिध्वनि ग्राम का निर्वचन

9. समुद्री विज्ञान और मौसम विज्ञान

1. पर्यावरण अवस्थाओं के संबंध में मछली का व्यवहार
2. मौसम की चेतावनी

10. प्लोट श्रृंखला :

1. मत्स्य प्लोट संगठन
श्रोतों मत्स्यन/स्थलों/प्रणाली विज्ञान की तुलना में अपेक्षित जलयान का प्रकार और आकार
2. तट सुविधाएँ
- 2.क. घाट लगाना—लवाई/उतराई
- 2.ख. ईंधन लेना
- 2.ग. ताजा जल
- 2.घ. भंडारण
- 2.घ. 1. शीत भंडारण बर्तन संग्रह
- 2.घ. 2 मत्स्य गियर
- 2.घ. 3. इंजन के फालतु पुर्जें
- 2.घ. 4. सामान्य
- 2.घ. 5. प्रसंस्करण—हिमीकरण/डिब्बा बंदी

3. कामिक प्रबंध

परिशिष्ट—४

(नियम 8 देखिए)

दृष्टि परीक्षण

भाग—1

1. प्राथमिक :

- (क) इन परीक्षणों का उद्देश्य यह पता लगाना है कि अभ्यर्थी की दृष्टि पर्याप्त रूप से अच्छी हो ताकि वह समुद्र में दूर के पोतों के प्रकाश को सही ढंग से पहचान सके। अनुभव से ज्ञात हुआ है कि इस उद्देश्य के लिये उसे रूप और वर्ण बोध में कतिपय न्यूनतम मानकों तक योग्य होना चाहिये।
- (ख) लिये जाने वाले परीक्षणों में "अक्षर परीक्षण" और "प्रकाश परीक्षण" सम्मिलित है जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं। अक्षर परीक्षण केवल रूप बोध का परीक्षण है और प्रकाश परीक्षण रूप और वर्ण बोध दोनों का संयुक्त रूप से परीक्षण है।
- (ग) परीक्षक अभ्यर्थी द्वारा अक्षर परीक्षण और प्रकाश परीक्षण दोनों में की गई सभी भूलों का अभिलेख रखेगा।

2. लागू होना :

- (क) प्रत्येक ऐसा अभ्यर्थी जो समुद्र में पहली बार किसी जलयान के डेक विभाग में सेवा के लिये जा रहा हो और ऐसा कोई अन्य अभ्यर्थी जो सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा के किसी भाग से भिन्न दृष्टि परीक्षण की बाधा करता हो, इस परिशिष्ट के उपबन्ध में विहित प्ररूप में आवेदन करेगा और परिशिष्ट "ज" में विहित फीस का संदाय करेगा।
- (ख) सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा के लिये किसी अभ्यर्थी से दृष्टि परीक्षण के लिये पृथक् रूप से आवेदन करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी और वह सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा के लिये परिशिष्ट "ज" में विहित फीस से भिन्न किसी फीस का संदाय नहीं करेगा।

भाग—2

अक्षर परीक्षण

3. साधित्र :

ऐसा प्रथमपरीक्षक जो अभ्यर्थी से अपेक्षित है वह अक्षर परीक्षण होगा और जो अक्षर कागजों के त्जारात से उन्नत निष्ठात पर संबलित होगा। हर, कागज पर पांचवीं, छठी और सातवीं पंक्तियां क्रमशः : 6/12, 6/9 और 6/6 मान के अनुरूप होंगी।

4. कृत्रिम साहाय्य

परीक्षण प्रारंभ होने से पूर्व ऐसा अभ्यर्थी जो नया प्रवेशकर्ता नहीं है परीक्षक को सलाह देगा कि वह दृष्टि के लिये कृत्रिम साहाय्य का प्रयोग करना चाहता है या नहीं। दृष्टि के लिये ऐसे साहाय्य ब्रश्म या कन्टेक्ट लेंस होंगे। रंगदार लेंसों को अनुमत नहीं किया जायेगा।

5. अपेक्षित दृष्टि का मानक :

- (क) अभ्यर्थी के प्रत्येक नेत्र का पृथक् रूप से परीक्षण होगा।
- (ख) नये प्रवेशकर्ता से भिन्न किसी ऐसे अभ्यर्थी से, जो कृत्रिम साहाय्यो प्रयोग के बिना दृष्टि परीक्षण का प्रयास करता है उससे नीचे लिखी सातवीं पंक्ति को अच्छे नेत्र से और उसके नीचे तथा दूसरी बांह से छठी पंक्ति को पढ़ने की अपेक्षा की जायेगी।
- (ग) नये प्रवेशकर्ता से भिन्न किसी ऐसे अभ्यर्थी से, जो कृत्रिम साहाय्यो को उपयोग करते हुए दृष्टि परीक्षण कराने का प्रयास करता है उससे निम्न-लिखित अपेक्षित होगा।
- (1) वह कृत्रिम साहाय्यो से नीचे और अधिक अच्छे नेत्र से सातवीं पंक्ति को और उसके नीचे तथा दूसरे नेत्र से छठी पंक्ति को पढ़े, और
- (2) कृत्रिम साहाय्यो के बिना नीचे और अधिक अच्छे नेत्र से पांचवीं पंक्ति को और उसके नीचे तथा दूसरे नेत्र से तीसरी पंक्ति को पढ़े।
- (घ) ऐसे अभ्यर्थी से, जो नया प्रवेशकर्ता है यह अपेक्षित होगा कि वह नीचे अच्छे नेत्र से सातवीं पंक्ति और दूसरे नेत्र से छठी पंक्ति को पढ़े। उससे यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह दोनों नेत्रों से सातवीं पंक्ति में सभी अक्षरों को पढ़े। उसे कृत्रिम साहाय्यो का प्रयोग करने की अनुज्ञा नहीं होगी।

6. परीक्षण की पद्धति :

- (क) परीक्षण कागज को किसी सुविधाजनक ऊंचाई पर रखा जायेगा और उसे समुचित रूप से प्रदीप्त किया जायेगा, दिन के प्रकाश का उपयोग नहीं किया जायेगा। परीक्षण कक्ष साधारणतया प्रकाशित किया जायेगा जिससे परीक्षण कागज और उसकी पृष्ठभूमि के मध्य अत्यधिक विपन्नता से बचा जा सके।
- (ख) अभ्यर्थी, कागज से उसकी और वर्गाकार रूप से मुंह करते हुए ठीक 6 मीटर की दूरी पर खड़ा होगा। तब उससे कागज पर ऊपर से आरंभ करके बायें से बायें और ऊपर से नीचे की ओर अक्षरों को पढ़ने की अपेक्षा की जायेगी।
- (ग) अभ्यर्थी की ओर से किसी धोके की संभावना के विरुद्ध बचाव के लिये परीक्षण शीट के क्रम में फेरफार करके सावधानी बरती जायेगी।

7. असफलता :

यदि कोई अभ्यर्थी पहली शीट पर अपेक्षित मानक स्तर तक पहुंचने में असफल रहता है तो, उसका कम से कम चार शीटों में उसका परीक्षण किया जायेगा। यदि वह चार शीटों में से कम से कम तीन में मानक स्तर तक पहुंचने में असफल रहता है तो उसे निम्नलिखित विकल्प सौंप दिये जा सकेंगे।

- (क) वह परीक्षण छोड़ दे और तीन मास से अन्यून की अवधि में पुनः परीक्षण के लिये स्वयं को उपस्थित करेगा, इस दशा में उसे इस परिशिष्ट के उपबन्ध 2 में विहित प्ररूप में असफलता का प्रभाव जारी किया जायेगा, या
- (ख) यदि वह नया प्रवेशकर्ता नहीं है और उसने अपने पहले प्रयास में कृत्रिम साहाय्यों का उपयोग न किया है, तो वह किसी भी समय कृत्रिम साहाय्यों सहित साध पुनः परीक्षण के लिये स्वयं को उपस्थित हो, या
- (ग) वह प्रकाश परीक्षण के लिये जा सकेगा। इस दशा में अक्षर परीक्षण में की गई भूलों का रखा जायेगा और प्रकाश परीक्षा में की गई सभी भूलों के अभिलेख यदि कोई हो, मुख्य परीक्षक को भेज दिया जायेगा, जो यह विनिश्चित करेगा कि अभ्यर्थी दृष्टि परीक्षण में उत्तीर्ण है या अनुत्तीर्ण।

भाग—3

प्रकाश परीक्षण

8. उत्तरकर :

- (क) इस परीक्षण के लिये विशेष सालटेन और दर्पण उपलब्ध कराई जायेगी। परीक्षण अंधेरे कक्ष में किया जायेगा जिससे सभी प्रकाश से बचा जा सके
- (ख) सालटेन प्रत्यक्षतः दर्पण के सामने रखी जायेगी जिससे कि सालटेन का अग्र भाग दर्पण से ठीक 3.05 मीटर की दूरी पर हो और ऐसी व्यवस्था में हो कि उसे अभ्यर्थी सालटेन के बायीं ओर से देखे तो उसे दर्पण में परावर्तित प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

9. कृत्रिम साहाय्य :

नये प्रवेशकर्ता से भिन्न ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने अक्षर परीक्षण में कृत्रिम साहाय्यों का उपयोग किया है, सालटेन—परीक्षण में भी ऐसे साहाय्यों का उपयोग करता रहेगा।

10. अंधेरा अनुकूलन :

यदि कोई अभ्यर्थी प्रकाश परीक्षण के प्रारंभ में भूल करता है तो उसे कम से कम एक चौलाई घंटे तक सम्पूर्ण अंधेरे या आंशिक रूप से अंधेरे कक्ष में रखा जायेगा और तब पुनः परीक्षण प्राप्त होगा।

11. परीक्षण की पद्धति :

- (क) परीक्षण के लिये प्रदान की गई सालटेन इस तरह निमित्त होगी कि उसमें एक बड़ा प्रकाश या दो छोटे प्रकाश दिखाई दे, और उसमें लाल सफेद और हरे तीन रंगों के कांच लगे हुए होंगे। परीक्षण के प्रारंभ में अभ्यर्थी को बड़े छिद्र से प्रकाश की दृष्टि दिखाई जायेगी और उससे उन रंगों का नाम बताने की अपेक्षा की जायेगी जो उसे दिखाई दे।
- (ख) बड़े छिद्र उसके पश्चात् अभ्यर्थी को दो छोटे छिद्रों से चार सम्पूर्ण परिपक्व और एक टूटा परिपक्व दर्शित किया जायेगा जो बायें से दायें दो प्रकाशों के दो सेटों के रंग का नाम बतायेगा।

12. परिणाम :

- (क) अक्षर परीक्षण उत्तीर्ण करने के पश्चात् यदि कोई अभ्यर्थी प्रकाश परीक्षण में भूल नहीं करता है, तो उसे सम्पूर्ण परीक्षण में उत्तीर्ण समझा जायेगा और परीक्षक इस परिशिष्ट के उपबन्ध 2 में विहित प्ररूप में उस आशय का प्रमाणपत्र जारी करेगा।
- (ख) यदि कोई अभ्यर्थी सालटेन के दोनों छिद्रों से लाल के लिये हरा या हरे के लिये लाल की भूल करता है तो उसे प्रकाश परीक्षण में असफल समझा जायेगा और उसे इस परिशिष्ट के उपबन्ध—11 में विहित प्ररूप में प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा।
- (ग) यदि कोई अभ्यर्थी प्रकाश परीक्षण में कोई भूल करता है अर्थात् यदि वह "सफेद" को "लाल" या लाल को "सफेद" बताता है या हरे और सफेद में भ्रम रखता है तो उसका मामला मुख्य परीक्षक को प्रस्तुत किया जायेगा, और उसे सूचित किया जायेगा कि वह उत्तीर्ण हुआ है या अनुत्तीर्ण या उसे आगे परीक्षण करवाना चाहिये और उसे सम्पूर्ण अनुक्रम से संसूचित किया जायेगा। मुख्य परीक्षक के अनुदेशों की प्राप्ति तक कोई अभ्यर्थी इस अभिव्यक्त समझ के साथ कि उसके दृष्टि परीक्षा में असफल होने की दशा में यह परीक्षा रद्द हो जायेगी।

13. असफल अभ्यर्थी का पुनः परीक्षण :

ऐसे किसी अभ्यर्थी का, जो प्रकाश परीक्षण में असफल हो जाता है स्थानोपस्थापित रूप से पुनः परीक्षण नहीं किया जायेगा जब तक कि मुख्य परीक्षक यह निश्चित न करे कि उसका इस प्रकार परीक्षण किया जायें।

भाग—3

विशेष परीक्षा और अपील

14. विशेष परीक्षा :

ऐसे किसी अभ्यर्थी की दशा में जिसके पैरा 12 के उन पैरा (ग) के उपबन्धों के अन्तर्गत मुख्य परीक्षक को निदिष्ट किया गया है, मुख्य परीक्षक किसी विशेष परीक्षा के लिये प्रबंध कर सकेगा।

15. अपील :

ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसे प्रकाश परीक्षण में असफल अधिनियमित किया गया है, पुनर्विलोकन के लिये अपील कर सकेगा। प्रत्येक दशा में मुख्य परीक्षक अभ्यर्थी की परीक्षा के लिये त्रुटि करेगा। प्रत्येक ऐसा अपीलार्थी परिशिष्टों में विहित व्यवहित नियम का संदाय करेगा, जो यदि उसे परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ घोषित कर दिया जाता है, तो उसे वापस कर दी जायेगी।

16. परीक्षा बोर्ड :

विशेष और अपील परीक्षाएं बोर्ड द्वारा संचालित की जाएंगी, जिनमें मुख्य परीक्षक या उसका नामनिर्देशित तथा मुख्य परीक्षक द्वारा नियुक्त कोई नेत्र दृष्टि की विशेषज्ञ सहायक होगा।

17. उपस्थिति की पाबंदी :

- (क) जब कभी बोर्ड द्वारा किसी विशेष या अपील परीक्षा का प्रबंध किया जाता है तो मुख्य परीक्षक अभ्यर्थी को ऐसी परीक्षा की तारीख और समय की सूचना पर्याप्त समय पूर्व देगा।
- (ख) कोई अभ्यर्थी, जो परीक्षा में उपस्थिति होने देने में असमर्थ है तुरंत अपनी असमर्थता और उसके कारणों को मुख्य परीक्षक को सूचना देगा यदि मुख्य परीक्षक का समाधान हो जाता है, तो वह परीक्षा कार्यक्रम में परिवर्तन कर सकेगा और वह अभ्यर्थी को परीक्षा की पुनरीक्षा समय-सारणी की सूचना देगा।
- (ग) यदि कोई अभ्यर्थी जो पैरा 14 के अधीन विशेष परीक्षा में नियत तारीख और समय पर परीक्षा में बैठने में असफल रहता है, तो मुख्य परीक्षक किसी अनिश्चित अवधि तक उसकी परीक्षा को आस्थगित कर सकेगा।
- (घ) यदि कोई अभ्यर्थी, जो पैरा 15 के अधीन अपीलार्थी है, नियत तारीख और समय पर परीक्षा में बैठने में असफल रहता है तो उसके द्वारा संवत् फीस समय कर ली जायेगी। परीक्षा के बोर्ड, पैरा 15 के अधीन और फीस के संदाय पर किसी अन्य तारीख को उसकी परीक्षा का प्रबंध कर सकेगा।

18. असफलता :

- (क) जहां पैरा 14 या 15 के अधीन बोर्ड के समक्ष परीक्षा में बैठने वाले किसी अभ्यर्थी को नेत्र दृष्टि में कोई स्थायी दोष पाया जाता है जिससे वह समुद्री सेवा के लिये अयोग्य हो जाता है, तो ऐसा अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अस्वीकृत कर दिया जायेगा और उसे भविष्य में पैरा 19 के अधीन के सिवाय किसी अवसर पर दृष्टि परीक्षण में बैठने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।
- (ख) कोई ऐसा अभ्यर्थी जो परीक्षण में असफल हो जाता है किन्तु उसे किसी स्थायी दृष्टि दोष से मुक्त पाये जाने होने पर उसके कारणों से अंतिम रूप से अस्वीकृत नहीं किया जाता है तो वह अपने चयन पर पैरा 15 के अधीन किसी अपीलार्थी के रूप में बोर्ड के समक्ष उस परीक्षा की तारीख से तीन मास की समाप्ति पर परीक्षा में बैठ सकेगा या पैरा 19 के अधीन पुनः परीक्षा में बैठने का आवेदन कर सकेगा।

19. पुनः परीक्षा :

- (क) कोई ऐसा अभ्यर्थी जो अपील परीक्षा में, नेत्र में स्थायी दोष के कारण या उनके बिना परीक्षा में असफल रहता है तो परिशिष्ट 8 में विहित फीस के संदाय पर उसकी ओर से नेत्र भण्ड चिकित्सा की उपस्थिति में बोर्ड द्वारा पुनः परीक्षा में बैठने का आवेदन कर सकेगा। चाहे अभ्यर्थी अंतिम रूप से उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण/अधिनिर्यात किया जाता है वापस नहीं की जायेगी।
- (ख) मुख्य परीक्षक अभ्यर्थी और नेत्र-शल्य चिकित्सक के परामर्श से पुनः परीक्षा की तारीख और समय नियत की जायेगी, यदि अभ्यर्थी पुनः परीक्षा में बैठने में असफल रहता है, तो फीस सम्पूत कर ली जायेगी। इस पैरा के अधीन में केवल और फीस के संदाय पर अन्य किसी तारीख को पुनः परीक्षा का प्रबंध किया जा सकेगा।

चक्रानुक्रम सं
(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)

उपाबंध-5

दृष्टि परीक्षण के लिए आवेदन पत्र

- क (1) परीक्षा का स्थान
- (2) क उप नाम
- (ख) पूरा नाम
- (3) स्थायी पता
- (4) सेवानुवृत्ति पुस्तिका सं
(यदि कोई हो)
- (5) राष्ट्रिकता
- (6) जन्म तारीख
- (7) जन्म स्थान
- (8) ऊंचाई (से. मी.)
- (9) आंखों का रंग
- (10) रंग

- (11) पहचान चिन्ह
 (12) रैंक (यदि समुद्र में सेवागत हों)
 (13) यदि समुद्र में जाने वाले हों
 (क) कम्पनी का नाम
 (ख) हस्तियत
 (14) वैवर्ती दृष्टि परीक्षण की तारीख

ख-परिणाम

उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण

अभ्यर्थी की घोषणा: मैं घोषणा करता हूँ कि उपर कथित विविधताओं मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और सत्य है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि स्तंभ 14 में कथित के सिवाय मेरी दृष्टि परीक्षा किसी वाणिज्यिक समुद्री विभाग में नहीं की गई थी। मैं दृष्टि के कृत्रिम साहाय्यों का उपयोग करता हूँ/नहीं करता हूँ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

उपरोक्त घोषणा पर मेरी उत्तराधिकार में हस्ताक्षर किए गए थे।

मास्टर और मेड

वाणिज्यिक समुद्री विभाग

जिला

का परीक्षक

(ख) दृष्टि परीक्षण के लिए

कीस प्राप्त हुई।

तारीख

स्थान

हस्ताक्षर

(ग) परीक्षक का प्रमाणपत्र :-

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर वर्णित अभ्यर्थी को वाणिज्यिक पोत परिवहन (मत्स्य जलयान के स्कीम) और मेड की परीक्षा नियम 1981 के परिशिष्ट ख के उपबंधों के अधीन दृष्टि परीक्षण किया गया था।

परीक्षण के परिणाम निम्नलिखित थे :

	दृष्टि साहाय्य के या उनके बिना	रूप	रंग	परिणाम
मानक				
नई प्रविष्टि				

- (1) उसकी दृष्टि के कृत्रिम साहाय्यों के साथ किसी भी समय परीक्षा की जाए।
- (2) उसकी परीक्षा तीन मास अवगत होने पर परीक्षा की जा सकेगी।
- (3) उसकी परीक्षा मुख्य परीक्षक के पूर्व अनुमोदन के बिना पुनः परीक्षा नहीं की जाएगी।

परीक्षक

टिप्पणी:—यदि असफल हो जाता है या आगे सलाह के लिए निवेष्ट किया जाता है, तो इस आवेदन प्रकृष्ट की एक प्रति एक विस्तृत रिपोर्ट सहित मुख्य परीक्षक को भेजी जाएगी।

*यदि परीक्षा नहीं हुई है तो "नहीं हुई" उपदर्शित करें। जो लागू न हों उन्हें काट दें।

कख-1

खपबंध-2

दृष्टि परीक्षण प्रमाण पत्र

पूरा नाम:

(स्पष्ट अक्षरों में)

जन्म की तारीख

स्थान

रैंक

ऊंचाई

आँखों का रंग

बाल

शरीर का रंग

पहचान चिन्ह

परीक्षा का परिणाम

*दृष्टि की सहायता के लिए कुक्षिम सहाय्यों सहित या उसके बिना ।

- *1. किसी भी समय स्थानीय तौर पर कुक्षिम सहाय्यों के साथ परीक्षा की जा सकती है ।
 2. स्थानीय तौर पर तीन मास के भीतर परीक्षा की जा सकती है ।
 3. मुख्य परीक्षक के आदेश के बिना स्थानीय तौर पर परीक्षा नहीं की जा सकती ।
- *जो शब्द लागू न होते हों, उन्हें काट दीजिए ।

में प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई विशिष्टियाँ सही हैं ।

तारीख जिला

तारीख 19

परीक्षक के हस्ताक्षर :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर :

टिप्पण:—अभ्यर्थी को यह प्रमाणपत्र पुनः परीक्षा करते समय पैस करना चाहिए ।

परिशिष्ट—ब

निबन्ध 9 (1); 43 (3) देखिए

चक्रानुक्रम सं

(केवल कार्यालय में उपयोग के लिए)

संरक्षण जलमान के लिए स्कीपर और शैटों की परीक्षा के लिए आदेश

1. परीक्षा का श्रेष्ठ
2. परीक्षा का स्थान : मुंबई/कलकत्ता/मद्रास/बिहार/बांग्लादेश/कोच्चिन

फोटो

(एक प्रति लगाइए और पत्र-आधारित प्रति संलग्न की जायिए)

3. (क) उप नाम

(स्पष्ट प्रक्षरों में)

4. (क) स्थायी पता

- (ख) वर्तमान पता

- (ग) टेलिफोन सं. (यदि कोई है)

5. सेवानुसृत पुस्तिका या सेवा अधिलेख सं.

6. राष्ट्रियता

7. जन्म तिथि

(सबूत पेश करना होगा)

8. जन्म स्थान

9. ऊँचाई सें. मी.

10. आँखों का रंग बाल

11. शरीर का रंग

12. व्यक्तिगत चिन्ह

13. सख्तता/सेवा पूर्व प्रमाणपत्र (यदि कोई हो) के व्योरे

(क) श्रेष्ठ एकजी/एचटी

(ख) प्रमाणपत्र सं.

(ग) जारी करने की तारीख ।

14. क्या आपका प्रमाणपत्र किसी प्राधिकारी द्वारा रद्द या निरस्त किया गया था और होजिए :
15. शैक्षिक योग्यता और वृत्तिक प्रशिक्षण के न्यौरे :—
 (क) शैक्षिक योग्यता : विद्यालय/महाविद्यालय
 उत्तीर्ण परीक्षा :
 (ख) समुद्र पूर्व प्रशिक्षण : लाल बहादुर शास्त्री नौसैनिक महाविद्यालय/भारतीय नौसेना अन्य
 (ग) पहले प्रयास के पूर्व सी. आई. एफ. एन. ई. टी./ए. आई. डी. सी./राजेंद्र/सोनी/राजिगर तारीख से
 उपस्थिति की अवधि (प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा) तारीख तक
 ध्यान दें :—कोई व्यक्ति जो अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए सक्षमता या सेवा प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने प्रयोजन के लिए कोई निष्ठा प्रमाणपत्र
 करता है, कराता है या उसमें सहायता देता है, तो वह प्रत्येक अवसर के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अधीन छत्र करने के लिए
 और धारा 182 के अधीन लोक सेवक को जानबूझकर निष्ठा जानकारी देने के लिए भी भारतीय दण्ड संहिता की दण्ड का भागी होगा।

16. समुद्री सेवा की पूरी विनिष्टियां

संसाधन	जलयान का नाम	जंबाई	रजिस्ट्री का पतन क्षमता और	भारत की तारीख से	तारीख तक	यदि भविष्य
17. केवल कार्यालय में प्रयोग के लिए : प्रमाणपत्र विनिष्टियां सं. जारी करने की तारीख						
समुद्री सेवा						कुल समुद्री सेवा जिसके लिए धन खर्च किया जा रहा है। (1) अर्थवर्ष की अवधि पुस्तिका की जांच की गई और वह संतोषजनक पाई गई/ नहीं पाई गई
जन्म						
निगरानी सेवा						
(कुल संख्या)						(2) ऊपर वर्णित अर्थवर्ष के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा में भाग लेने का पात्र हैं।
सक्षमता/सिखा						
समुद्र में प्राथमिक उपचार						
जीवन नौका						
रबार प्रेक्षक						अनुभाग में दिवसियों के अधीन
रबार भनूकारी						
रेडियो टेलीफोन पाठ्यक्रम पंचालक						
प्राथमिक मत्स्यन प्रशिक्षिका						
उच्च मत्स्यन प्रशिक्षिका						

18. अर्थवर्षों द्वारा की जाने वाली घोषणा :

परीक्षक

"मैं घोषणा करता हूँ कि इस प्रकरण के पैरा 1 से 16 में दी गई विनिष्टियां सही हैं और मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं। वे दस्तावेज जिनकी विनिष्टियां पैरा 17 में दी गई हैं और जो इस प्रकरण के साथ प्रेषित किए जा रहे हैं, सत्य और अवश्य हैं और उन व्यक्तियों द्वारा दिए गए तथा हस्ताक्षरित हैं जिनके नाम उनके ऊपर दिए गए हैं : मैं यह घोषणा भी करता हूँ कि पैरा 16 में दिए गए विवरण सही हैं।
 अपवाद के मेरी पूर्ण समुद्री सेवा का सत्य और सही लेखा प्रस्तुत करते हैं, और मैं यह घोषणा निष्ठापूर्वक और उसे सत्य मानते हुए कर रहा हूँ।"

उक्त घोषणा पर मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

परीक्षक

वाणिज्यिक समुद्री निभाग

मुंबई/मद्रास/कलकत्ता/विशाखापट्टनम/कोचीन

19. परीक्षा में स्थान के छांटन के लिए निवेदन

प्रयास की सं.	मास सदस्य फीस	परीक्षा का भाग	अर्थवर्षों के हस्ताक्षर और तारीख
		क ख ग	
	रकम तारीख द्वारा प्राप्त		

20. परीक्षा का परिणाम :-

दृष्टि परीक्षण	परिणाम	हस्ताक्षर	परीक्षा भाग	दिप्पण	हस्ताक्षर
पसत/तारीख			क ख ग		

21. नियम और के उपबंधों के अधीन इस अभ्यर्थी से निम्नलिखित अनुदेश पाठ्यक्रम में भाग लेने/और समुद्री सेवा करने की अपेक्षा की जाती है :-

भास	परीक्षा का पसत	अपेक्षा	भागों के लिए पात्रता	परीक्षक के हस्ताक्षर	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
-----	----------------	---------	----------------------	----------------------	-----------------------

22. परीक्षा का प्रमाणपत्र :-

मैं प्रमाणित करता हूँ कि :

(क) अभ्यर्थी ने समुद्री सेवा/निगरानी सेवा के संतोषप्रद प्रमाणपत्र और सबूत पेश कर दिए हैं।

(ख) अभ्यर्थी ने वाणिज्यिक पोर्ट परिवहन नियमों की अपेक्षा की (मत्स्यन जलयानस्कीपर और नेट परीक्षा) निम्नलिखित बातों के सिवाय पूर्ति की है। तथापि नियम के उपबंधों के अधीन उसे परीक्षा में भाग लेने की अनुज्ञा दी गई है।

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

(ग) अभ्यर्थी ने के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षण उत्तीर्ण कर ली है और उसे प्राधिकार पत्र सं. तारीख जारी किया गया है। उसका सक्षमता प्रमाणपत्र वाणिज्यिक समुद्री विभाग को, ऊपर पैरा (ख) के अनुपालन के अधीन रहते हुए लिए जाने के लिए भेजा जा सकता है।

परीक्षक
वाणिज्यिक समुद्री विभाग
..... जिला

परिशिष्ट 8

[नियम 11 (1) देखिए]

निगरानी प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ने तारीख से तारीख तक पर मेर कमान के अधीन प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ निगरानी आफिसर की हैसियत से सेवा की है।
इस अवधि के दौरान श्री सेवा के प्रत्येक 24 घंटों में से 816 घंटे से अनुपस्थित
तक निगरानी के पूर्ण भारसाधक आफिसर थे।

इसके प्रतिरिक्त उन्होंने ने मछली पकड़ने के जलयान के अनुक्षण की बाबत सेवा के प्रत्येक 24 घंटों में से सेवा के 2 घंटों से अन्यून अवधि तक प्रतिरिक्त नैमित्त कर्तव्य भी नियमित रूप से किए।

*इस अवधि के दौरान श्री का निगरानी कर्तव्यों के संबंध में सहयोग श्री के अधीक्षण के अधीन लिया गया जो कि के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के धारक हैं। यह निगरानी कर्तव्य सेवा के प्रत्येक 24 घंटों में से से अन्यून अवधि के थे।

*निम्नलिखित अवधियों के दौरान किन्तु किसी अन्य अवधि में नहीं, पुल निगरानी का दुगुना कार्य किया गया था।

*इन अवधियों के दौरान श्री ने दो निगरानी आफिसरों के ज्येष्ठ/कनिष्ठ के रूप में सेवा की।

*ऊपर उल्लिखित सेवा की अवधि के दौरान श्री को तारीख से तारीख तक अनुपस्थिति रहने के लिए छुट मंजूर की गई थी/नहीं की गई थी।

*तारीख से तारीख तक अवधि के दौरान जलयान खूशक गोदी में था/हिल और डेक की मरम्मत में था।

आचरण की रिपोर्ट

योग्यता की रिपोर्ट

गांधीरष की बाबत रिपोर्ट

स्कीपर के हस्ताक्षर
नाम

परिशिष्ट (अ)

नियम 13, 26 (3), 47(2) और

परिशिष्ट-ड के पैरा 2,

15 और 19 देखिए

फीस

1. समुद्री सेवा का निर्धारण (सभी ग्रेडों के लिए) - 30 रुपए
2. मत्स्यन जलयान में परीक्षा के प्रत्येक भाग के लिए - 10 रुपए
3. मत्स्यन जलयान स्कीपर परीक्षा ग्रेड 2 के प्रत्येक भाग के लिए - 20 रुपए
4. मत्स्यन जलयान स्कीपर परीक्षा ग्रेड 1 के प्रत्येक भाग के लिए - 30 रुपए
5. दृष्टि परीक्षा - 10 रुपए
6. दृष्टि परीक्षा अपील - 100 रुपए
7. दृष्टि परीक्षा पुनः जांच - 200 रुपए
8. सक्षमता प्रमाणपत्र या प्राधिकार पत्र की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि दिए जाने के लिए - 50 रुपए

उपबंध - क्ष

नियम 14 देखिए

पोत पर काम करने के लिए अधिकारी के वास्ते स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र

परीक्षा की तारीख :

अभ्यर्थी का नाम :

अभ्यर्थी का स्थायी पता :

आयु :

संबाई :

पहचान चिह्न :

1.

2.

3.

स्वास्थ्य परीक्षा का परिणाम :

अधिकारी के हस्ताक्षर या अंगूठा चिह्न :

मूद्रा

स्थान

तारीख

पासपोर्ट/सी डी सी सं.

आंखों का रंग :

बास :

शरीर का रंग :

चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पण : यदि किसी अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जाता है, तो अयोग्यता के कारण दीजिए।

276 GI/87—4

परिशिष्ट - घ

नियम 38 देखिए

मछली पकड़ने के जलयान के मेट का पाठ्यक्रम

भाग - क

अंक : 150

3 घंटे

1. सुरक्षा, नौविकत्व और निगरानी

मूख्य आयामों की साधारण परिभाषा। मछली पकड़ने के जलयान के मुख्य भागों के नाम।

2. क. ब्लॉक गुणांक, विस्थापन और कुल भार पदों के अर्थ।

प्लवमान वस्तु के सिद्धांत। वात प्रवाह या फ्री बोर्ड से स्थिर या मिट्टी पत्थर के भार का अवधारण करने के लिए प्रति सेंटीमीटर डूबाव मापमान के आधार पर विस्थापन और टनों का उपयोग। वात प्रवाह या फ्री बोर्ड पर जल घनत्व का प्रभाव। ताजा जल छूट।

उत्प्लावन पदों के अर्थ।

ख. गुरुत्वाकर्षण केन्द्र, उत्प्लावन केन्द्र, अप्लाव ऊंचाई, राइटिंग लीवर और राइटिंग क्षण पदों के अर्थ।

स्थिर, अस्थिर और सामान्य संतुलन।

पोत, गुरुत्वाकर्षण केन्द्र, उत्प्लावन केन्द्र, अप्लाव ऊंचाई और लिस्ट पर भार में वृद्धि करने और भार हटाने का प्रभाव। मछली पकड़ने के जलयान को आपूर्ति किए गए स्थिरता और द्रव्य स्थैतिक आंकड़ों का उपयोग और उन पर आधारित संगणनाएं।

3. क. मछली पकड़ने के जलयान का रख-रखाव।

ख. सभी जीवन रक्षा और अग्नि सांकेतिक प्रकाश और ध्वनी संकेतों की सुरक्षा सावधानी तथा रखरखाव और मछली पकड़ने के समय अपनाई जाने वाली सुरक्षा पद्धतियां।

4. क. सेक्सटैंक - समुद्री सेक्सटैंक, जिसके अंतर्गत अंतर्ग्रस्त प्रकाशीय सिद्धांत भी हैं की संरचना और प्रयोग। सेक्सटैंक वृत्तियों का पता लगाना और सुधार करना। वरनियर और माइक्रोमीटर मापमानों के सिद्धांत और प्रयोग।

ख. क्रोनोमीटर - समुद्री क्रोनोमीटर का प्रयोग और देखभाल तथा उसकी वृत्तियां।

ग. चुम्बकीय दिशा सूचक - चुम्बकीय दिशा सूचक का प्रयोग और देखभाल। चुम्बकीय और चुम्बकीय सामग्री और धनकत दिशा सूचक पर प्रभाव। दिशा सूचकों की जांच पड़ताल। चुम्बकीय दिशा सूचक की व्यावहारिक सीमाएं।

घ. घूर्णा अस्थायी दिक्सूचक - समुद्री घूर्णा अस्थायी दिक्सूचक का बुनियादी ज्ञान, प्रयोग और देखभाल, जिसके अंतर्गत उसे चारु करने और रोकने की प्रक्रिया भी है। दिन प्रतिदिन तेल देना और सफाई। दिन प्रतिदिन संक्रियात्मक जांच। आवांशों का उपयोग तथा गति वृत्तियां।

ङ. दीर्घांग उपसाधन - दिग्गो दपण की संरचना और प्रयोग। दिग्गो दपण की पूर्णतः जांच की प्रक्रिया। पेलोरेस की संरचना और प्रयोग।

च. नौवहन अभिलेखों का रखा जाना।

अंक : 100

समय : 2 घंटे

2. मौसम विज्ञान

क. भूमि और समुद्र पर वायु ञ्जल के दैनिक परिवर्तन और वायुमंडलीय तापक्रम के मौसमी परिवर्तन का साधारण ज्ञान।

ख. वायुमंडल दबाव - अर्थ - दैनिक परिवर्तन और मौसमी परिवर्तनों बैरोमीटरी प्रवृत्ति वायुमंडलीय दबाव का संप्रेषण करके तूफान की पूर्व घोषणा। बैरोमीटरी संप्रेषणों और मौसमी संकेतों का किसी एकल स्टेशन पर उपयोग। अवदाव या तूफान के प्रारंभ होने की पूर्व घोषणा के लिए उपयोग।

ग. वायुमंडल में जल वाष्प। वाष्पीकरण, संघमन, वर्षण, आपेक्षिक आद्रता संतृप्ति, ओस बिन्दु, ओस का बनना। बूदा-बाढ़ी, वर्षा और ओलों के बीच अंतर।

घ. दृश्यता - परिभाषा, दृश्यता का निर्णय और सूचना। कुहारा, कोहरा, धुन्ध स्त्रे के अर्थ और दृश्यता पर उनका प्रभाव।

ङ. बादल - सामान्यतः पर देखे जाने वाले दस आधार भूत प्रकारों और ऊंचाई के अनुसार वर्गीकरण और परकटन तथा उनके सक्षेपक्षर।

च. दबाव प्रवणता और वात - समदाव और दबाव प्रवणता। दक्षिणवर्तन, वामावर्तन, झोंका बोर चंडावत के अर्थ वाइस बैलेट नियम और अरखसागर तथा बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों पर उसे लागू करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। उनका संभाव्य मार्ग और तूफान के बा-रबारता नियम। न्यू-फोर्ट वात मापमान और न्यूफोर्ट मौसम चिह्न। वास्तविक और आभासी वात-उनका अर्थ और अंतर। समुद्र में वात की दिशा और बल के प्राक्कलन की पद्धतियां वास्तविक और आभासी वात की साधारण समस्याएं।

ज. हिन्द महासागर में साधारण दबाव और वात विवरण।

- अ. मासिक और स्थानीय बातें—भूमि और समुद्री समीर, मानसून, नार्वेस्टर तथा एलिफेन्ट।
 ब. पोत परिवहन के लिए उपलब्ध मौसमी संदेशों का ज्ञान भारतीय तटों पर तूफान चेतावनी संकेत।
 ट. मछली पकड़ने के जलयानों पर सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाले मौसम विज्ञान संबंधी उपकरणों का विस्तृत ज्ञान।

समय : 3 घंटे

अंक : 200

3. व्यवहारिक नौवहन

- क. पृथ्वी का आकार। ध्रुव, भूमध्य रेखा, याम्प्रोत्तर, अक्षांशों का समानान्तर, अक्षांशों और रेखांशों के अनुसार स्थिति दिक्कोण दूरी माप के यूनिट आक्षांशों के अंतर, रेखांशों के अंतर, अक्षांतर, माध्य और मध्यम आक्षांशों, रेखांकित भागों के अंतर और उनके बीच संबंध। रेखा की रण सहित या रण रहित स्थिति।
 ख. सम, सामान्तर और मर्कटर तरण की व्यवहारिक समस्याएं।
 ग. अनुप्रस्थ सारिणियों का पोत की किसी समय स्थिति ज्ञात करने के लिए उपयोग, दिक्चालक मार्ग, फेर-फार मार्गान्तर और दीर्घगामी के आधार पर अभिलिखित या समय के आधार पर संगणित रन तथा प्राक्कलित गति, वात और प्रवाह, यदि कोई हो, के प्रभाव और छूट देना।
 घ. किसी खगोलीय पिंड की रेखांशिक ऊंचाई से आक्षांशों का पता लगाना।
 ङ. रेखांशिक से बाहर सूर्य का संश्लेषण करके स्थिति रेखा और उस स्थिति का पता लगाना जिससे होकर वह गुजरती है।
 च. किसी खगोलीय पिंड का वास्तविक दिक्कोण, दिक्सूचक वृत्तियों और पोत शीर्ष की दिशा का चुम्बकीय दिक्सूचक के जरिये मार्गान्तर।

समय : 2 घंटे

अंक : 150

4. चार्ट कार्य

- क. सही मार्गों को दिक्सूचक मार्गों में और दिक्सूचक मार्गों में परिवर्तित करने के लिए चुम्बकीय दिक्सूचक या धूर्ण संस्थाई दिक्सूचक की विभिन्नताएं और विचलन।
 * विचलनों के नमूना ट्यूब में से विचलनों का पता लगाना और तब सही मार्गों को चुम्बकीय और दिक्सूचक मार्गों में परिवर्तित करना। दो स्थितियों के बीच दिक्सूचक मार्ग। मार्ग का पता लगाना।
 ख. धारा का गति पर प्रभाव। अपमार्ग के लिए छूट। परिवर्तित भाग, पोत की गति और दिशा तथा धारा की दर देकर तय किए गए सही भाग का पता लगाना।
 धारा को ध्यान में रखते हुए परिवर्तित मार्ग का पता लगाना। परिवर्तित मार्ग और तन को गई पूरी देने पर दो स्थितियों के बीच अनुभव की गई धारा की स्थिति और गति।
 ग. समानान्तर अनुप्रस्थ दिक्मानों और रेंज से चार्ट पर स्थिति निश्चित करना, नौवहन में रेडियो की सहायता से या आवश्यक संशोधन करने के पश्चात् किसी और समुच्चय से स्थिति संबंधी जानकारी।
 घ. एक या अधिक वस्तुओं के बीच दूरी। दिक्मान की स्थिति, धारा को ध्यान में रखते हुए, स्थिति निश्चित करना और वह दूरी पता लगाना जिस पर पोत किसी निश्चित बिन्दु से गुजरेगा।
 ङ. किसी पद्धति द्वारा अभिप्राय रेखाओं और वृत्तों की स्थिति का उपयोग।
 च. मानक पत्तनों पर ऊंचे और निम्न जल का समय और ऊंचाई पता लगाना।
 छ. ग्रन्थियों की चार्ट या प्लान पर दी गई जानकारी के बारे में, विशेषकर निम्नलिखित की बाबत, मौखिक परीक्षा ली जाएगी :—
 बोया, प्रकाश, रेडियो बिबन, नौवहन सराय, गहराईयां और तल की प्रकृति गहराई नाम का उपयोग, तट की पहचान और रडार ग्राही लग्य, गहराई और ऊंचाई समीच्य रेखा।
 ज. ग्रन्थियों से निम्नलिखित की अपेक्षा की जाएगी, अर्थात् :—
 i. तरण विज्ञाओं, एडमिरेलिटि, सारिणियों या चार्टों और प्रकाश सूचियों के बुद्धिमत्पूर्ण उपयोग की बाबत योग्यता का प्रदर्शन।
 ii. नौवहन को सूचनाओं में उपयोग का ज्ञान और चार्ट शुद्धियों की प्रक्रिया से परिचित होना।
 iii. जल प्लावित नौवहन साहाय्यों पर प्रत्येक अस्पष्ट विश्वास के खतरों का ज्ञान।
 iv. डेका सेटिंग चार्टों का डेका शुद्धि शीटों के प्रयोग का प्रज्ञान।

भाग छ

मौखिक

- क. बेरोमीटर और थर्मामीटर को पढ़ना, समझना और प्रयोग। मौसम कार्यालय द्वारा दिए गए उपकरणों को मानक समझना।
 ख. दिगंशी दर्पण वेलेरस (दिक्मान प्लेट) या दिक्मान निकालने के अन्य उपकरणों का प्रयोग।
 ग. ऊर्ध्वधर और क्षैतिज कोणों का पता लगाने के लिए सेक्सटेन्ट का प्रयोग, चालू और बंद, दोनों स्थितियों में सेक्सटेन्ट को पढ़ना, ऐसे सेक्सटेन्ट को सही करना जिसमें लम्बर, साइड या इन्डक्स संबंधी एक या अधिक वृत्तियां हो गई हैं। सेक्सटेन्ट की इंडेक्स वृत्ति का पता लगाना।

- घ. मछली पकड़ने के जलयान की रिगिंग, रस्सों के, जिसके अंतर्गत संश्लिष्ट फाइबर और लोहे के रस्से भी हैं, प्रमाणभार प्रमाणपत्र के साथ या उनके बिना प्रमाण और सुरक्षित कार्यभार को अभिनिश्चित करने की पद्धतियाँ। रिगिंग त्रय और उनके उपयोग से प्राप्त होने वाली शक्ति तथित का ज्ञान। गाँठें, खाँचे और बेंड़ों का सामान्य प्रयोग सिरिंग, रैकिंग रखने और चैन स्टापर। समवन्धन संवर्धित और बहु-गुणित मनीला तथा संश्लिष्ट फाइबर रस्से और तार के रस्से—घारा प्रकृति के प्रति पूर्ण निर्देश सहित। किर्स अनुक्रम का समावेश, रिगिंग और बोसानवेयर तथा पाइलट लेडर।
- ड. सामान्य लोड साधनों का चिह्नानकन और प्रयोग।
- च. मार्गामी होने की तैयारियाँ। समुद्र पर अग्रसर होने से पूर्व के कर्तव्य। बन्दरगाह प्रवेश, घाट जैटी या अन्य पोत के किनारे लंगर डालना और बोया लगाना।
- छ. हेल्म आदेश, मछली पकड़ने के जलयान का पोत चालन। मछली पकड़ने के जलयान की स्टीयरिंग पर नौदलों का प्रभाव। रोकना, तारों के सहारे चालन, मछली पकड़ने के जलयान को घुमाने फिराने की क्षमता का ज्ञान, जिसके अन्तर्गत टनिंग सर्किट, रोकने की दूरियाँ आदि भी हैं; मछली पकड़ने के जलयान की सहाल पर वायु और धाराओं का प्रभाव। मछली पकड़ने के जलयान की सहाल पर वायु और धाराओं का प्रभाव। मछली पकड़ने के जलयान को छोटे चक्र से घुमाना। आपात अभ्यास। आपात की दशा में मछली पकड़ने के जलयान का एकल लंगर डालना। पोत के कार्मिक।
- ज. समुद्र पर, लंगर की स्थिति में और खुले मार्गों पर निगरानी आफिसर के कर्तव्य।
- झ. लंगर और केबल, उनका उपयोग और नौभार।
- ञ. सभी डेक साधनों के प्रयोग का ज्ञान जिसके अन्तर्गत आपात स्टीयरिंग गीयर भी हैं।
- ट. ध्वनिकारी साधनों का प्रयोग और रख-रखाव; प्रकाश ध्वनि संकेत उपस्कर जिसके अन्तर्गत पाइरों तकनीकी प्रकाश भी है, प्रयोग और रख-रखाव।
- ठ. जीवन रक्षा साधनों का, जिसके अन्तर्गत, सहाल विस्फेपणताएँ, सन्निर्माण और जीवन रेफ्टों का नौभरण भी है, प्रयोग और रख-रखाव। आपात संकेत, पोत परित्याग संकेत, उनका बेंडिंग, सेटिंग और प्रवेश, चप्पू, बादवान शक्ति की सहायता से चल रहे और विपरीत मौसम में नौकाओं का नियंत्रण समुद्र में से नौकाओं का निकालना, तट पर लगाता या लंगर डालना। जीवन नौकाओं और जीवन रेफ्टों पर बचाव की प्रक्रिया। राकेट और लाइन फेंकने वाले साधनों का प्रयोग और रख-रखाव।
- ड. अग्नि साधनों का, जिसके अन्तर्गत घुमाई हेल्मेट, आपात अग्नि पंप और स्वतःपूर्ण बवंशस साधन भी हैं, प्रयोग और रख-रखाव।
- ड. आग का पता लगाने पर की जाने वाली कार्रवाई—
- (i) पत्तनों में,
 - (ii) समुद्र में
- ण. समुद्र वातावरण में प्रदूषण रोकने के लिए अपमार्ई जाने वाली पूर्वाधानियों का ज्ञान
- त. टम्कर विनियमों की विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान और उपयोग।
- थ. संकट और पाइलेट संकेत; दुस्ययोग के लिए शास्ति। अन्तर्राष्ट्रीय जीवन रक्षा संकेत।
- द. वाणिज्य पोत सूचनाओं और नौवाहक सूचनाओं की विषय वस्तु का ज्ञान। नौवाहक और वाणिज्य पोत सूचनाओं, तलासी और रेड्यूम मैन्युअल (एन ई आर एस ए आर) का प्रयोग।
- ध. बोया की आई ए एल ए पद्धति, प्लवित नौवहन साहाय्यों जैसे, बोया, प्रकाश जलयान आदि का प्रयोग करते समय पूर्वाधानियाँ।
- न. यदि अभ्यर्थी द्वारा दर्शायी कमजोरी के कारण ऐसा करना आवश्यक समझा जाए तो परीक्षक अभ्यर्थी से लिखित कार्य में से उठने वाले प्रश्न भी सकता है।

भाग—ग

संकेत

1 संकेत भेजना और प्राप्त करना :

- क. सेमाफोर पे फ्राइ शब्द प्रति मिनट तक।
- ख. मोस कोड। फ्लैश लैम्प द्वारा छह शब्द प्रति मिनट तक।
- ग. अन्तर्राष्ट्रीय संकेत कोड।

2. मछली पकड़ने के जलयान पर रेडियो टेलिफोन का दिक्कालन, चेतावनी, आवश्यकता और संकट संदेशों का पोत में प्रेषित करने और प्राप्त करने के लिए प्रयोग।

मछली पकड़ने के जलयान के स्कीपर ग्रेड 2 का पाठ्यक्रम

भाग—क

समय : 3 घंटे

अंक : 200

1. व्यावहारिक नौपरिवहन और उसके सिद्धान्त

टिप्पण : मछली पकड़ने के जलयान के मेट के लिए पाठ्यक्रम के सिवाय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित का ज्ञान होने की अपेक्षा की जाएगी :

- (क) दिव्य गोल्फ, दिक्पात, कोण। श, नाक्षत्र समय कोण। दिव्य क्षेत्र में किसी पिंड की स्थिति—कोणांश और ऊँचाई, माध्य सूर्य के पार्श्व वास्तविक स्थानीय समय सहित दिक्पात, क्रांतिचलन भेष का प्रथम बिन्दु। ग्रीनविच और अन्य मानक समय, मध्य समय, आभासी समय, पार्श्व व्यावहारिक समय, समय का समीकरण, देशांतर और समय के बीच संबंध।

- (ख) ध्रुव तारे को देखकर, अक्षांश का पता लगाना।
 (ग) स्थित रेखा की दशा का और उस स्थिति से जिससे कि वह गुजर रही है, किसी तारीख या सत्र को ध्रुवगत देखकर अवधारित करना।
 (घ) तारों को देखकर या किसी तारे और सूर्य का दोनों के बीच रत को देखकर या किसी तारे तथा स्थलीय वस्तु का दिक्मान देखकर दोनों समानांतर परिवीक्षाओं के आधार पर पोत की स्थिति का अवधारण करना।

समय : 2 घंटे

अंक : 150

2. चार्ट कार्य :

- (क) तट तक पहुँचने में एकल स्थित रेखा का उपयोग।
 (ख) चार्टों की विश्वसनीयता
 (ग) दिक्मान के लिए या क्षैतिज कोणों के आधार पर पोत की स्थिति नियत करने के लिए उचित बिन्दुओं का चयन।
 (घ) लंगर स्थान तक पहुँच और तंग जल क्षेत्र में नौपरिवहन।
 (ङ) घने और साफ मौसम में भूमि तक पहुँचना या तट के किनारे प्रवेश करना।
 (च) सभी दशाओं में निबन्धित जल क्षेत्रों के भीतर मार्ग अंकित करके तब जब लिप्यता बाधापूर्ण हो, संवार पृथकरण स्कीमों और गहन ज्वार भाटा क्षेत्रों में नौबहन करना और यात्रा की योजना करना।
 (छ) ज्वार भाटों और जलधाराओं की मात्रत सही समुचित प्रकाशनों का प्रयोग तथा किसी दिए गए मानक परतन के किसी दिए गए समय पर ज्वार भाटा दशाओं की गणना करना।
 (ज) उपर्युक्त में से किन्हीं प्रश्नों का, जिन्हें परीक्षक आवश्यक समझता है, उत्तर देना।

समय : 3 घंटे

अंक : 150

3. निर्माण और स्थिरता :

क. अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह मछली पकड़ने के जलयान के मध्यपोत सेक्शन और देशांतरीय तथा अनुप्रस्थ फ्रेमिंग, बीम, और बीम नौ, जलरोधी स्पलशीव स्फुटन मार्ग और बन्द करने के साधन, जलरोधी विश्वसनीयता बनाए रखने की पद्धतियाँ, फीमिंग पत्तन, रडर स्टेयरिंग गियर, होल और डेक प्लेटिंग, विलज कोल, डबल काटम और पीक टैंक, दिसजेज स्टर्न फेम्स, छवनी पाइपों, वायु पाइपों, सरोकों, साधारण पम्पिंग व्यवस्थाओं, पेंटिंग के प्रतिरोध के लिए सुवृद्ध और मजबूती पैदा करना, पाउडिंग और देशांतरीय कर्षण से बने व्यावहारिक परिचय प्रकट करें।

ख. पोत के सनिर्माण में संरक्षण के थोड़ी संरक्षण की छोड़कर, कारण और बचाव की साधारण पद्धति :

ग. अलाई, रिबेट लगाना और रिटर्न करने के कार्य का साधारण ज्ञान तथा जब ऐसी प्रक्रियायें मछली पकड़ने के जलयान पर गुजरी हों तब साधारण प्रावधानियाँ।

घ. मछली पकड़ने के जलयान के संबंध में निम्नलिखित का ज्ञान :

- (1) जीवन रक्षा साधन
- (2) अग्नि साधन

ङ. लदान और स्मिस्क भार की विभिन्न दशाओं के लिए पोत की गुस्तवाकर्षण केन्द्र की स्थिति का अवधारण।

च. भार बढ़ाने, हटाने, स्थान परिवर्तन करने या लटकाने का या गुस्तवाकर्षण केन्द्र की स्थिति का प्रभाव अनुपस्थित प्राप्त केन्द्र, प्रारम्भिक स्थिरक और उसकी शुकाव के मामूली कोणों के संदर्भ में सीमाएं। तयौरा या ठोस मिट्टी पत्थर को स्थान परिवर्तन का प्रभाव भार की लदान घटाने और स्थान परिवर्तन करने के कारण ट्रिम और (डाउट वात प्रवाह) में परिवर्तन। साधारण परिकल्प।

छ. आई. एम. सी. ओ. की मछली पकड़ने के जलयानों के स्थिरीकरण की सिद्धांतों की बुनियादी ज्ञान और पोत पर उपलब्ध कराए गए स्थिरत्व आंकड़ों का ज्ञान।

ज. पोत पर, जिसके अन्तर्गत मत्स्य गियर भी है, शिकार का लदान और सुरक्षा।

झ. मछली पकड़ने के संक्रियाओं के दौरान गियर के कारण पहुँच के विशेष संदर्भ में लदान और उतराई संक्रियायें।

ञ. डेक, सुपर स्ट्रक्चर डेक, डेक ओपनिंग और सीढ़ियाँ तथा नौसेनियों पर नोकमौ दल के बचाव के लिए किए जाने वाले उपायों का साधारण ज्ञान।

समय : 2 घंटे

अंक : 100

4. नौबहन साहाय्य

क. चुम्बकीय दिक्सूचक :

कठोर और मृदु लोहे के अर्थ का साधारण ज्ञान। साधारण चुम्बक, चुम्बकीय आकर्षण। पृथ्वी का चुम्बकीय क्षेत्र, ऊर्ध्वाधर तथा सुपुच्छीय संबन्ध, दिक्सूचक को चुम्बकीय सामग्री के समीप के प्रति निर्देश से सेट करना और विद्युत साधन।

ख. इलेक्ट्रॉनिकी नौबहन साहाय्य :

(1) राडर का वर्णन और राडर का सिद्धान्त। संकटरोधी युनित तथा नौबहन साहाय्य के रूप में उसका उपयोग और उसकी सीमाओं का विश्लेषण राडर प्लाटिंग।

(2) डेका—साधारण सिद्धान्तों की समझ, सुनिश्चितता, वृष्टियाँ और सीमाएं।

- (3) प्रतिध्वनि—प्रतिध्वनि पद्धति का नौबहन के लिए साधारण प्रयोजन का वर्णन और मछली पकड़ने के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले विशेष इलेक्ट्रॉनिक सहाय्य ।

भाग—ख

मछली पकड़ने के जलयान के मेट की परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों को निम्नलिखित विषयों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और संतोषप्रद उत्तर देने चाहिए ।

- क. अग्रसर होना/वायु और जलधारा की विभिन्न दशाओं में बर्ध करना और बर्ध से हटना ।
- ख. जलयान को लंगर डालने के लिए ले जाना और लंगर से हटाना ।
- ग. खराब मौसम में सागर में पोत के शीर्ष को किस प्रकार साधा जाए यदि उसका मस्तूल हटाया जाए या उसके इंजन खराब हो जाए ।
- घ. झुकाव (ट्रिफ्ट) कम करने का अर्थ और तेल का प्रयोग ।
- च. मछली पकड़ने की सक्रियताओं के दौरान जलयान का घुमाव-फिराव विशेष रूप से जालों को फैलाने और समेटने की ओर ध्यान रखते हुए ।
- छ. खराब मौसम में नौकाओं या जीवन-रेफ्टों को उतारने के लिए अभ्यास संबंधी पूर्वानुमानियां और जीवित व्यक्तियों को पोत पर लाने की पद्धति, जीवन नौकाओं या जीवन रेफ्टों की बाबत प्रक्रियाएं । पोत पर व्यक्तियों से संबंधित प्रक्रियाएं ।
- ज. उचले जल और तंग जल-सारणी में कम गति पर नौबहन का महत्व जिससे कि अपने ही पोत की बो। स्टर्न द्वारा के कारण नुकसानी न हो ।
- झ. अग्नि अभ्यासों, कक्षाओं का आयोजन, अग्नि रसायन, अग्निशमन उपस्कर का प्रयोग ।
- ञ. जमीन से लगने, उतरते हुए या जमीन से लग गए जलयान की उक्त स्थिति से पूर्व और पश्चात् सहायता लेकर या सहायता के बिना कार्रवाई ।
- ट. आपातकाल में नौकर्मियों की रक्षा और बचाव के साधारण उपाय । पोत का परित्याग ।
- ड. यदि जलयान में रिसन होने लगे तब की जाने वाली कार्रवाई, जलयान को बीच करते समय बरती जाने वाली पूर्वानुमानियां ।
- ण. रिंगिंग और जूरी रडार का प्रयोग ।
- त. खराब मौसम में गहरे सागर की लीड का किस प्रकार पता लगाया जाए ।
- थ. जलयान के परिचलन पर पेशों का प्रभाव । नदियों और बन्दरगाहों में जलयान का घुमाव-फिराव ।
- द. मृत्यु, क्षति दुर्घटन, पोत पर दी जाने वाली सहायता और जलयान की दुर्घटना की दशा में अधिनियम के अधीन क्या किया जाना चाहिए । नौकर्मियों की सूची, करारों, मजदूरी या शेरों के खातों और सेवान्मुक्ति प्रमाण-पत्रों का, जो मछली पकड़ने के जलयान की बाबत लागू होते हों, का वापस किया जाना ।
- ण. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों का वहां तक ज्ञान जहां तक कि मछली पकड़ने के जलयानों को लागू है ।
- त. मछली पकड़ने के जलयान के स्कीकार के कर्तव्यों की बाबत कोई अन्य व्यवहारिक प्रश्न जिन्हें परीक्षक आवश्यक समझता है ।

भाग—ग

संकेत

1. संकेत भोजना और प्राप्त करना :

- क. आठ शब्द प्रति मिनट तक समाफोर ।
- ख. छह शब्द प्रति मिनट तक पलेश लैम्प द्वारा भासकौड ।
- ग. अंतर्राष्ट्रीय संकेत संहिता ।

2. मछली पकड़ने के जलयान पर रेडियो टेलीफोन उपस्कर का नौबहन चेतावनी, अभ्यावश्यकता और संकेत के संदेश आपात के समय देने में प्रयोग ।

मछली पकड़ने के जलयान के स्कीपर के ग्रेड-1 का पाठ्यक्रम

भाग—क

अंक : 200

समय : 3 घंटे

1. नौबहन का व्यवहारिक ज्ञान और सिद्धान्त

इस परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम वही होगा जो मछली पकड़ने के जलयान के ग्रेड-2 के लिए नौबहन में व्यवहारिक ज्ञान और सिद्धान्तों के लिए बिहित किया गया है ।

समय : 2 घंटे

2. चार्ट कार्य

इस परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम वही होगा जो मछली पकड़ने के जलयान के स्कीपर, ग्रेड-2 के लिए चार्ट कार्य के लिए बिहित किया गया है ।

अंक : 200

समय : 3 घंटे

अंक : 150

3. सन्निर्माण और स्थायित्व

अभ्यर्थी से मछली पकड़ने के जलयान के स्कीपर, ग्रेड-2 के लिए विहित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त निम्नलिखित के संबंध में अपना व्यवहारिक ज्ञान प्रदर्शित करने की अपेक्षा की जाएगी।

- क. द्रवस्थैतिक और स्थायित्व आंकड़ों का मछली पकड़ने के जलयान के स्थायित्व को धारण करने के लिए उसका उपयोग तथा आई एम सी ओ का इस संबंध में अनुपालन।
- ख. अग्निजलमय साधन और अग्नि को फैलने से रोकने के लिए व्यवस्थाएं।
- ग. जीवन रक्षक साधन।
- घ. जब बाहरी शक्तियों का जैसे किसी विशिष्ट मछली पकड़ने की पद्धति के कारण या तेज वायु और हिलने डुलने के कारण, डेक पर चलने के कारण मछली पकड़ने के होल्ड में पतझड़ के कारण आवश्यक हो तब मछली पकड़ने के जलयान का समुद्रगमन सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई डिजाइन और सन्निर्माण के पहलू।
- ङ. भ्रान्ति परीक्षण।
- च. मछली पकड़ने के जलयानों तथा उनका निरीक्षण और रखरखाव, जिसके अन्तर्गत हल, स्थलशीर्ष, डबल-बाटम, डीप और पीक टैंक, बिल्ज पाइपलाइन रडर, लंगर और केबल भी हैं। शुल्क डाकिंग प्रक्रिया, साधारण मरम्मत।

(छ) रंगों के विशिष्ट लक्षण और रंगों का प्रयोग, संघटन नियंत्रण को

(ज) नौदन मशीन और डेक मशीन, जिसके अन्तर्गत विद्युत, चरखियाँ, स्टीयरिंग गियर, अग्नि पंप, आदि भी हैं, साधारण। समुद्री इंजीनियरी का शब्दावली का साधारण ज्ञान।

समय : 2 घंटे

अंक : 100

नौवहन साहाय्य

4. (क) पृथ्वी का चुम्बकीय क्षेत्र, ध्रुव और भू-मध्य रेखा। पृथ्वी का कुल चुम्बकीय बल डबल कोण, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर संवतक।
- (ख) विचलन उसके कारण और प्रभाव अर्ध स्वायी और चुम्बकीय क्षेत्रों का दिकसूचक के विचलन पर प्रभाव का वास्तविक जानकारी। इन प्रभावों की क्षतिपूर्ति के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सिद्धांत।
- (ग) चुम्बकीय सामग्री और विद्युत साधनों के साम्यता के प्रतिनिर्देश से चुम्बकीय दिकसूचक का सेट किया जाना दिकसूचक के निकट विद्युत तार ले जाते समय बेरती जाने वाली पूर्वाधानियां।
- (घ) दूरस्थ वस्तु का चुम्बकीय दिक्मान का पता लगाना, समदूरस्थ शीर्षों का दिक्मान पता लगाना और विचलनों की सारणी तैयार करना।
- (ङ) मुक्त घूर्णाक्षस्थायी, सुकाव और डिप्ट पूर्वरोधी, नियंत्रण और अवमंदन के सिद्धांत, अक्षगांस, मार्ग और गति वृद्धि को शुद्ध करना, विभिन्न प्रकार के दिकसूचकों, आटो पायलट, रिपोर्ट और मार्ग अभिलेखों का रख-रखाव।
- (च) नौवहन के इलेक्ट्रॉनिकी का रेडियो साहाय्यों का व्यवहारिक प्रयोग (डेका प्रतिध्वनि, ध्वनि रडार विशा संकेतक) आंकड़ों की समझ और निर्वहन। स्थिति नियंत्रण करना, स्थिर और परिवर्तनीय वृद्धियां संभावना का क्षेत्र। रडार का टक्करों के निराकरण के लिए प्रयोग।

भाग—ख

संकेत मौखिक

इस भाग के लिए पाठ्यक्रम नहीं है जो मछली पकड़ने के जलयानों के स्कीपर ग्रेड-2 के लिए भाग-ख मौखिक के विहित किया गया है। अभ्यर्थी से, मछली पकड़ने के जलयानों के स्कीपर, ग्रेड-2 के स्तर की विषय का और अधिक गहरा ज्ञान प्रदर्शित करने की अपेक्षा की जाएगी।

भाग—ग

संकेत

इस भाग के लिए पाठ्यक्रम नहीं है जो मछली पकड़ने के जलयान के स्कीपर ग्रेड-2 के लिए संकेत परीक्षा के रूप में विहित किया गया है।

[सं. 'एस. डब्ल्यू/5 एम. एस. आर. (14)/82-एम. ए.]

जे. सी. पन्त, अवध सांचव

परिशिष्ट 8

नियम 43(3) देखिए

तारीख

आगत: उत्तीर्ण

अभ्यर्थी का नाम.....
 पत्राचारक स.

आँखों का रंग	बाल	शरीर का रंग
जन्म तिथि	सम्बाई	
पहचान चिन्ह		
दृष्टि परीक्षा		
पत्तन	तारीख	परिणाम
		हस्ताक्षर

परीक्षा का परिणाम

पत्तन	भाग	अगली पात्रता का मास	हस्ताक्षर
तारीख	क ख ग		

में प्रमाणित करता हूँ कि

1. अभ्यर्थी ने वर्ष मास दिन तक की अवधि को समुद्री सेवा। निगरानी सेवा के संतोषप्रद प्रशंसापत्र और सभूत पेश कर दिए हैं और तदनुसार उसे के रूप में सक्षमता के प्रमाणपत्र परीक्षा में प्रवेश दिया गया है।
2. परीक्षा का परिणाम ऊपर दर्शाए गए अनुसार है।
3. यद्यपि अभ्यर्थी ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है किन्तु उसे निम्नलिखित अतिरिक्त प्रमाणपत्रों के अभाव में सक्षमता प्रमाणपत्र या प्राधिकार पत्र नहीं दिया गया :
(क)
(ख)
(ग)
4. अभ्यर्थी में कतिपय गंभीर कमियाँ पाई गई हैं अतः उससे मास की अवधि तक किसी अनुमोदित संस्थान में अनुदेश अनुक्रम में भाग लेने की अपेक्षा की जाती है।
5. अभ्यर्थी में कतिपय गंभीर कमियाँ पाई गई हैं अतः उससे मास तक समुद्र पर सेवा करने की अपेक्षा की जाती है।

मास्टर और मेट परीक्षक,
वाणिज्यिक समुद्री विभाग,
जिला

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

† जो लागू नहीं हो उसे काट दीजिए।

परिशिष्ट--ठ

नियम 44 (2) देखिए

प्राधिकार पत्र

आवेदक का नाम

उत्तीर्ण ग्रेड

आँखों का रंग

पहचान चिन्ह

जन्म तिथि

सम्बाई

बाल

शरीर का रंग

आवेदक के हस्ताक्षर

ऊपर उल्लिखित व्यक्ति को, उसके द्वारा कार्यालय विनियम का अनुपालन किए जाने पर, मुख्य परीक्षक द्वारा आपको भेजे गए सक्षमता प्रमाणपत्र, दे दीजिए।

तारीख 10

परीक्षक के हस्ताक्षर

सेवा में

प्रधान आफिसर,
वाणिज्यिक समुद्री विभाग
जिला

परिशिष्ट-ड

नियम 47 (1) देखिए

सक्षमता प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन

(क)

आवेदक का नाम

पूर्व प्रमाणपत्र का छेड़

जन्म तिथि

पहचान चिन्ह

(ख)

गत वर्ष का विशिष्टता

ग्रन्थि पोत का नाम

रजिस्ट्री पत्तन और
शासकीय सं.

रैंक

यात्रा विवरण

आरम्भ की
तारीखसमाप्ति की
तारीखआरम्भ की
गईसमाप्ति की
गई

अथ जलयानों पर सेवा, जिन पर आवेदक ने खोये हुए प्रमाणपत्रों को प्राप्त करने के पूर्व और पश्चात् सेवा की है।

पोत का नाम

रजिस्ट्री पत्तन और
शासकीय सं.

रैंक

यात्रा विवरण

आरम्भ की
तारीखसमाप्ति की
तारीख

आरम्भ की गई

समाप्ति की गई

आवेदक की घोषणा

मैं निवासी घोषणा करता हूँ कि,

(i) के रूप में मेरा सक्षमता प्रमाणपत्र सं स्थान पर
खो गया हो/है/ नष्ट हो गया है.(ii) ऊपर दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास
के अनुसार सही तथा सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवृत्ति तारीख 19 को मेरे समक्ष घोषणा की गई और उस पर हस्ताक्षर किए गए।

प्रधान आफिसर
वाणिज्यिक समुद्री विभाग
जिला

मेरे व्योरे और उनके समर्थन में दस्तावेज, जैसे पुलिस रिपोर्ट, समाचार पत्र में विज्ञापन आदि, दीजिए।

(घ)

प्रमाणपत्र का शतव्य स्थान

मैं चाहता हूँ कि नवीकृत प्रमाणपत्र मुझे पत्तन पर दिया जाए।

आवेदक के हस्ताक्षर

(क)

वाणिज्यिक समुद्री कार्यालय का पृष्ठांकन

सं.

पोत परिवहन महाविदेशालय, मुम्बई को भेजा जाता है।

यह सिफारिश की जाती है कि

रूप की फीस प्रभारित की जाए।

तारीख

19

प्रधान आफिसर,

वाणिज्यिक समुद्री विभाग

जिला

(घ)

मुख्य परीक्षक का निर्देश

प्रमाणपत्र संलग्न है,

रूप की फीस प्रभारित की जाए

तारीख, मुम्बई

19

सेवा में,

प्रधान आफिसर

वाणिज्यिक समुद्री विभाग

जिला

प्रधान परीक्षक

(छ)

वाणिज्यिक समुद्री कार्यालय की टिप्पणी

आज तारीख

को

रूप की फीस प्राप्त की और प्रमाणपत्र जारी किया।

प्रधान आफिसर

वाणिज्यिक समुद्री विभाग

जिला

*टिप्पणी: यह रूप प्रधान परीक्षक को वापिस किया जाएगा

MINISTRY OF SURFACE & TRANSPORT (TRANSPORT WING)

New Delhi, the 18th May, 1987

NOTIFICATION (MERCHANT SHIPPING)

G.S.R. 509(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b), (c) and (d) of section 87 read with Section 83 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) and in supersession of the Merchant Shipping (Examination for Skippers and Second Hand of a Fishing Vessel) Rules 1964, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title, commencement and application :—

- (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Examination of Skippers and Mate of Fishing Vessels) Rules, 1987.
- (2) They shall come into force six months after the date of their publication in the official Gazette subject to sub rule (3).
- (3) They shall apply to :—

(a) any candidate who is a citizen of India:

(b) any other candidate permitted to be examined under these rules by the Central Government.

2. Definitions:—In these rules, unless the context otherwise requires :—

- (a) 'Act' means the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958).
- (b) 'Appendix' means Appendix Annexe to these rules.
- (c) 'Approved' means approved by the Director General of Shipping.
- (d) 'Chief Examiner' means the Chief Examiner of Master and Mate.
- (e) 'Continuous Certificate of Discharge' means a Certificate issued under Merchant Shipping (continuous Discharge Certificate) Rules 1960.
- (f) 'Effective charge' in relation to watch-keeping service means assuming full responsibility for the watch but does not preclude occasional supervision by a senior officer.
- (g) 'Examiner' means the examiner appointed under section 79 of the Act.
- (h) 'Non-trading ship' means ship not going to any foreign country or not trading in home—trade.

(i) 'Ordinary trading ship' means a foreign going or home trade ship as defined in the Act.

(j) 'Qualifying Sea Service' means the service performed in the deck department of any fishing vessel or trading ship at sea or of any sea going ship of the Indian Navy or Coast Guard while such vessel is commissioned into service including reasonable time spent in dry-dock, or while undergoing hull or deck repairs unless expressly provided otherwise.

(k) 'Record of Service' means the record of service on fishing vessels as prescribed in Appendix 'A'.

(l) 'Watch-keeping service' means :

(i) the service on a fishing vessel during which a candidate has been in charge or, as the case may be, in effective charge of a watch for not less than eight hours out of every twenty four hours of service claimed, or,

(ii) the service on a fishing vessel during which a candidate has been in full charge or, as the case may be in effective charge of a watch for not less than six hours out of every twentyfour hours, if he has carried out additional routine duties in connection with fishing operations or the maintenance of the fishing vessel for not less than two hours in every twenty four hours period of service claimed and, in either case, such service shall include reasonable time spent in dry dock or while undergoing hull or deck repairs.

(m) Words and expressions used in these rules but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Act :

3. Grades of examination for Certificates of Competency :—

(1) Examinations in accordance with these rules shall be held for Certificates of Competency of the following grades, namely :—

(i) Mate Fishing Vessels;

(ii) Skipper of Fishing Vessel Grade II ;

(iii) Skipper of Fishing Vessel Grade I.

(2) Every successful candidate shall be granted a Certificate of Competency in the form prescribed in Appendix B for the respective grades in accordance with the provisions of these rules.

(3) The Certificate of Competency shall be prepared in duplicate and the original shall be issued to the successful candidate holding a letter of authority prescribed in sub-rule (2) of rule 44. The duplicate shall be retained by the Chief Examiner.

(4) The Chief Examiner shall maintain a register wherein the details of the Certificate of Competency issued shall be recorded. Such a register shall also

record any cancellation or suspension of the Certificate of Competency made under the Act and any endorsement made thereon within the meaning of rule 46.

4. Mate of fishing vessel :—

(1) Examination for the Certificate of Competency as Mate of fishing vessel shall be held in three parts namely :—

(i) Part 'A' : Written

(ii) Part 'B' : Oral

(iii) Part 'C' : Signals.

(2) Every candidate for this examination shall be not less than 19 years of age as on the first day of the month of the examination.

(3) Subject to rules 17 and 19 every such candidate shall have three years of qualifying service of which :—

(a) at least 6 months service shall have been performed on a fishing vessel of not less than 15 meters in length; and

(b) at least 3 months service shall have been performed in fishing vessels in the 18 months immediately preceding the month of examination.

(4) Every such candidate shall be in possession of the following certificates :—

(a) Approved Radar observer's certificate ;

(b) Approved First aid at Sea certificate ;

(c) Approved Lifeboatman's certificate ; and

(d) Elementary fishing technology certificate granted under Rule 7.

Provided that a candidate may be permitted to appear for the examination before obtaining any of the above certificates in which case the Certificate of Competency or letter of authority shall not be issued until all the aforesaid certificates are produced.

5. Skipper of fishing vessel grade-II

(1) Examination for the Certificate of Competency as Skipper of fishing vessel grade II shall be held in three parts, namely :—

(i) Part 'A'—Written.

(ii) Part 'B'—Oral.

(iii) Part 'C'—Signals.

(2) Every candidate for this examination shall be not less than 20-1/2 years of age as on the first day of the month of the examination.

(3) Subject to rules 19, 23 and 24 every such candidate shall have after obtaining the Certificate of Competency as Mate of fishing vessel, at least 18 months watch keeping service on a fishing vessel of which :—

(a) At least 6 months watch keeping service shall have been performed on a fishing vessel of not less than 15 metres in length, and

- (b) at least 3 months service shall have been performed on fishing vessels in the 18 months immediately preceding the month of examination.

(4) Every such candidate shall be in possession of following additional certificates :—

- (a) Approved First aid at sea certificate.
- (b) Approved Life boatmen's certificate.
- (c) Elementary fishing technology certificate granted under rule 7.
- (d) Approved Certificate of proficiency in fire fighting.
- (e) Approved Radar Observer's certificate.
- (f) Advanced fishing technology certificate granted under rule 7.
- (g) Certificate of proficiency as Radio Telephone Operator (restrictive) granted under the Indian Wireless Telegraphy (Commercial radio Operator's certificate of proficiency and licence to operate wireless telegraphy) Rules 1954.

Provided that a candidate may be permitted to appear for the examination before obtaining any of the above certificates in which case the Certificate of Competency or Letter of authority shall not be issued until all the aforesaid certificates are produced.

6. Skipper of fishing vessel grade—I :—

(1) Examination for the Certificate of Competency as Skipper of fishing vessel grade-I, shall be held in three parts, namely :—

- (i) part 'A' : written
- (ii) part 'B' : oral
- (iii) part 'C' : signals

Provided that a candidate who holds Certificate of Competency Skipper of fishing vessel grade II shall be exempted from examination in Practical and Principles of Navigation and Chart Work in Part 'A' and the examination in part 'C'.

(2) Every candidate for this examination shall be not less than 21-1/2 years of age as on the first day of the month of examination.

(3) Subject to rules 19, 23 and 24 every such candidate shall have at least 30 months watch keeping service on board fishing vessels as holder of Certificate of Competency as Mate of fishing vessel, of which—

- (a) at least 6 months watch keeping service shall have been performed on a fishing vessel of not less than 24 metres in length, and
- (b) at least 3 months service shall have been performed on fishing vessels in the 18 months immediately preceding the month of examination.

(4) Every such candidate shall be in possession of following additional certificates.

- (a) Approved First Aid at sea certificate.
- (b) Approved Life boatmen's certificate.
- (c) Elementary fishing technology certificate granted under rule 7.
- (d) Approved Certificate of proficiency in fire fighting.
- (e) Approved Radar Observer's certificate.
- (f) Advanced fishing technology certificate granted under rule 7.
- (g) Certificate of proficiency as Radio Telephone Operator (Restricted) granted under the Indian Wireless Telegraphy (commercial radio operator's certificate of proficiency and licence to operate wireless telegraphy) Rules 1954, and
- (h) Approved Radar simulator course certificate. Provided that a candidate may be permitted to appear for the examination before obtaining the above certificates in which case the certificate of Competency or Letter of authority shall not be issued until all the aforesaid certificates are produced.

7 (1). Elementary Fishing Technology Certificates :—

(a) Every candidate who has performed the qualifying service wholly on fishing vessels and is eligible to appear for examination for Certificate of Competency as Mate of fishing vessel shall be granted the elementary fishing technology certificate on successful passing of an examination. If such a candidate has successfully undergone an approved pre-sea institutional training at the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training and has passed the examination at the end of such training, he shall be deemed to have passed the examination for this certificate.

(b) Every candidate who has served on ordinary trading ship and/or on sea going ships of the Indian Navy or Coast Guard shall be permitted to appear for this examination after he has completed an approved course under the guidance of an approved institution. The duration of such course shall be not less than 2 months training in the institution and not less than 4 months training on board fishing vessels.

(c) The examination for this certificate shall be conducted by the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training or other approved institutions as per syllabus prescribed in Appendix 'C'.

(2) Advanced Fishing Technology Certificate :—

(a) Every candidate eligible for Certificate of Competency as Skipper of fishing vessel grade II or grade I and who has wholly served on fishing vessels shall be granted the advanced fishing technology certificate on successful passing of an examination.

(b) Every candidate who has served on ordinary trading ships and/or on sea going ships of the Indian Navy or Coastguard shall be permitted to appear for this examination after he has completed an approved course under the guidance of an approved institution. The duration of such course shall be not less than 2

months
months

(c) T
conduct
cal and
such oth
cribed,

8. Sight

(1) E
cate of
rule (2)
before a

(2) E
cate of
tion to t
appropri
fore app

(3) E
test shal

9. Appl

(1) A
rules 4,
examina
he is eli
dix 'T'.

(2) A
ed in a
vice, wa
candidat
in the a
shall cor
support
kars shal
such disc
the cand

(3) T
Officer c
of exam
not later
ment of

(4) E
part or
date wi

10. Doc

(1) E
Certifica
nials co
record o
certificat
service,
the requ
of havin
with the

Provi
citizen c
of natur
of natio

11. Tes

(1)
cate of

months training in the institution and not less than 4 months training on board fishing vessels.

(c) This examination for this certificate shall be conducted by the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin (CIFNET) or such other approved institution as per syllabus prescribed in Appendix 'D'.

8. Sight Tests :—

(1) Every candidate for examination for a Certificate of Competency of any grade shall, subject to sub-rule (2), pass the letter test specified in Appendix E before appearing for the examination.

(2) Every candidate for examination for a Certificate of Competency as Mate of fishing vessel in addition to the letter test specified in sub-rule (1), pass the appropriate lantern test specified in Appendix B, before appearing for the examination.

(3) For the purposes of this rule a pass in sight test shall be valid for a period of 6 months.

9. Application forms :

(1) Any candidate satisfying the requirements of rules 4, 5 and 6 may apply for appearing for the examination for Certificate of Competency for which he is eligible in the prescribed form set out in Appendix 'F'.

(2) All entries in the application form shall be filled in accurately. Particulars in respect of sea service, watch keeping service and the rank held by the candidate while performing such service as specified in the appropriate columns of the application form shall correspond with documentary proof produced in support thereof. Any discrepancy in such particulars shall render the application invalid, unless any such discrepancy or gap in sea service is explained by the candidate to the satisfaction of the Examiner.

(3) The application shall be made to the Principal Officer of Mercantile Marine Department at the port of examination as early as possible and in any case not later than 10 days before the date of commencement of the examination.

(4) Every such application shall clearly state the part or parts of the examinations in which the candidate wishes to appear in any particular month.

10. Documents to accompany application :—

(1) Every application shall be accompanied by Certificate of nationality, certificate of birth, testimonials complying with the requirements of these rules, record of service on fishing vessel and/or continuous certificate of discharge, Certificate of competency or service, if any, additional certificates complying with the requirements of rules 4, 5, 6, and 7 and evidence of having passed in appropriate sight tests complying with the requirement of rule 8.

Provided that in the case of a candidate who is a citizen of India, the certificate of birth or a certificate of naturalisation shall also be accepted as a certificate of nationality.

11. Testimonials :—

(1) Every candidate for examination for Certificate of Competency for any grade shall produce the

certificate specified in sub-rule (2) duly signed and attested. The certificate shall comment on the conduct, including sobriety, ability and experience of the candidate as assessed by the Master or the Skipper on the basis of the candidate's performance on board a fishing vessel for full period of the qualifying sea service, or as the case may be, watch keeping service. In the case of watch keeping service such certificates shall be in the prescribed form as set out in Appendix "D" stating in addition the exact nature of service and rank on board for the period to which the certificate relates.

(2) Testimonials for any such service shall when performed on an Indian ship or fishing vessels be signed by the Master or the Skipper, provided where the Skippers on a fishing vessel are employed on a voyage basis, the certificate with respect to conduct, sobriety, ability and experience shall be recorded by a Skipper in the service record at the conclusion of the month. Such entry in the record shall be countersigned by the owner or his authorised manager/superintendent. Where any Skipper desires to report adversely on any such candidate with respect to his conduct, ability and sobriety he shall cause an entry to that effect being made in the record giving details of the same.

12. Enquiries in respect of sea service

(1) Where any candidate desires to have his sea service or as the case may be, watch keeping service assessed under these rules, he may submit his application in accordance with rule 9 to the Principal Officer of the Mercantile Marine Department of any district for such assessment.

(2) Where any candidate is not satisfied with assessment of his sea service or, as the case may be, watch keeping service under sub-rule (1) he may apply to the Chief Examiner through the Principal Officer, Mercantile Marine Department of any district for re-assessment of his service citing reasons which lent ground for his dis-satisfaction. Every such request shall be accompanied by an application prescribed under rule 9 and documents, testimonials etc. required under rule 10. Every such application shall be considered on its merits by the Chief Examiner whose decision shall be final.

12. (3) Other enquiries :—

All other enquiries pertaining to any aspect of the examinations shall be addressed to the Principal Officer of the Mercantile Marine Department of any district stating the point on which clarification is sought. Such enquiries shall be accompanied by necessary documents for verification.

13. Fees.—Every application shall be accompanied by appropriate fees specified in Appendix 'H'.

14. Medical fitness :

Every candidate appearing for examination for any grade of Certificate of Competency shall produce a Certificate of Physical fitness from a registered Medical Practitioner as prescribed in Appendix 'I'.

15. Unsatisfactory conduct :—

Where by reason of testimonial produced under rule 10, or otherwise a candidate is considered to have

neglected to join a ship or a fishing vessel or to have been found guilty of gross misconduct on board, he may be required to produce satisfactory proof of good conduct at sea for a subsequent period of service not exceeding two years; provided that the Chief Examiner may, after such investigations as he may deem fit, waive the requirement of this rule in the case of any candidate or, as the case may be, reduce the period of subsequent sea service to such extent as he may deem proper.

16. Fraud, Misrepresentations and Bribery :

(1) Any person who makes, or causes to be made, or aids in making, any false representation for the purpose of obtaining or for any other person any certificate of competency under these rules shall be liable to be proceeded against in a criminal court.

(2) Any candidate who offers or attempts to offer any gratification to any officer of the Directorate General or the Mercantile Marine Department for the purpose of being shown any favour in the examination shall not be allowed to take the examination; nor shall he be allowed to be examined again until a period of at least twelve months has elapsed from the date of the rejection of his candidature.

17. Remissions in sea service :

(1) A candidate for the examination for Certificate of Competency as Mate of Fishing vessel shall be eligible for remission in qualifying sea service as specified in sub-rules (2), (3) and (4) subject to a maximum remission of 12 months. Such remission shall not however be applicable to service on fishing vessels as specified in sub-rule (3) (a) of rule 4.

(2) Any candidate who produces a certificate from the Director, Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, testifying to his attendance at an approved course, good conduct and proficiency shall be eligible for remission of full time spent in the Institute subject to a maximum of 12 months.

(3) A candidate who has spent time under training for the examination of a fishing vessel in the Lal Bahadur Shastri Nautical and Engineering College, Bombay shall on production of a certificate from the Principal of the College in respect of his period of attendance, conduct and proficiency while in college, be eligible for remission to the extent of half the time spent in the college, subject to a maximum of 3 months.

(4) A candidate who has obtained an approved Radar Observer's certificate, an approved Life Boatman's Certificate and an approved First Aid certificate shall, on production of such certificates be eligible for a remission of two weeks in the qualifying sea service :

Provided that a candidate who has not completed the above courses before appearing for the examination of Certificate of Competency of fishing vessel may be allowed such remission for the purpose of appearing for that examination.

18. Recognition of other Training Ships and Shore Based Schools and Colleges :

(1) Any training ship of a shore based Nautical School or College other than those specified in rules

17 or 25 may apply to the Chief Examiner for grant of remission in qualifying sea service in lieu of time spent by a candidate in the said training ship, or, as the case be, Nautical School or College.

(2) On receipt of such application the Chief Examiner may require the syllabus, curriculum and the mode of Training of such institutions to be inspected and investigated as may be deemed necessary and direct the extent of remission that may be permitted in lieu of time spent by any candidate in any such institution.

19. General Assessment :

(1) Qualifying sea service, or as the case may be watch keeping service shall count from the date of engagement to the termination of such engagement after deducting the period of leave therefrom. Where a ship or a fishing vessel is laid up in a port for an unreasonably long period, that is to say that she has been laid up in a port for a period exceeding one third of the total period of service or for 4 weeks whichever ever is the less, such period shall not count towards qualifying service or, as the case may be watch keeping service.

(2) Entries in the record of service or Continuous Discharge Certificate shall constitute evidence of sea service. Any tampering with such entries shall render a candidate disqualified for appearing for examination for a Certificate of Competency of any grade for a period of 12 months subject to the approval of Chief Examiners.

(3) Qualifying sea service or, as the case may be, watch keeping service on any fishing vessels of not less than 15 metres in length shall be assessed at full rate.

(4) Qualifying sea service or, as the case may be, watch keeping service on fishing vessels of less than 15 metres in length shall be assessed at full rate towards the qualifying service required, to a maximum of 30 months for the examination for the Certificate of Competency as Mate fishing vessel and at two-third rate to a maximum of 12 months watch keeping service for the examination for Certificate of Competency as Skipper of fishing vessel grade-I or grade-II.

(5) Qualifying sea service on mechanised fishing vessels not registered under the Act may be assessed at half the rate to a maximum of 12 months provided the record of service is properly authenticated by an officer in the port or the custom department from where such vessels normally operate.

(6) Qualifying sea service rendered on a trading-ship shall be assessed in accordance with rule 20. Service in non-trading ships shall be assessed in accordance with rule 21. Where a candidate renders mixed service, that is to say he renders a part of such service on trading ships, a part on non-trading ships and a part on fishing vessels, all such service shall be counted towards qualifying sea service.

(7) Where watch keeping service of any officer includes doubled watches during a voyage, only two-thirds of the actual watch keeping time so served shall count, subject to a maximum of 9 months.

(8) The qualifying sea service or as the case may be, watch keeping service will be reckoned calendar

months in any month shall first days shall the odd 30 days 20. Serv (1) Qu rules for of fishing count in 19.

(2) Wh other than assessed in rule, prov monials in

21. I, Ser

(1) Sea are fitted and which Chief Exam garding acc to which in

(a) Ship dredgers, sels etc;

(b) Li

(c) Ca

(d) Occa

(e) Offsh operations;

(f) Ex

(g) Tugs smooth wa

(h) Power

(2) Sea ing into ac

(a) area

(b) length

(c) actual nature of g

and

(d) natur officer beyo

(3) Appl such ships

Officer, Men with testimo

by sub-rule by the Mas

22. Seame

(1) Sea department

ed by deck

that commu

months i.e. the time included between any given date in any month and the preceding day of the following month inclusive. The number of completed months shall first be computed, after which the number of odd days shall be counted. When computing total service the odd days shall be added together and reckoned at 30 days a month.

10. Service on Trading Ships

(1) Qualifying sea service required under these rules for examination for Certificate of Competency as fishing vessel, shall if rendered on a trading ship, count in full, subject to the provisions of rules 4 and 9.

(2) Where a candidate has served on a trading ship other than an Indian ship, his sea service shall be assessed in accordance with the provisions of this rule, provided that such service is supported by testimonials in accordance with the provisions of rule 11.

11. I. Service on Non-Trading Ships

(1) Sea service in the following types of ships which are fitted with mechanical means of propulsion and which go to sea, shall be submitted to the Chief Examiner for consideration. Any decision regarding acceptance of such service and the extent up to which it may be so accepted, shall be final :—

(a) Ships employed by port authorities such as dredgers, hopper barges pilot vessels, survey vessels etc.;

(b) Light house tenders;

(c) Cable ships;

(d) Oceanographic, exploration or research vessels;

(e) Offshore supply ships used in offshore drilling operations;

(f) Excursion ships;

(g) Tugs employed beyond smooth and partially smooth waters; and

(h) Power propelled yachts.

(2) Sea service on such ships shall be assessed taking into account :—

(a) area of operation;

(b) length of voyage;

(c) actual period of stay in port and at sea and the nature of operations performed in port and at sea; and

(d) nature of duties performed by the concerned officer beyond watch-keeping duties if any.

(3) Application for assessment of sea service on such ships shall be submitted through the Principal Officer, Merchantile Marine Department of any district with testimonials giving details of particulars required by sub-rule (2). Such testimonials shall be endorsed by the Masters and the owner.

22. Seamen and Naval Sailors

(1) Sea service performed by seamen in the deck department of a trading ship and sea service performed by deck sailors or by visual signalling sailors in that communication branch of the Indian Navy and

Coast guard shall be assessed in accordance with sub-rules (2), (3) and (4) subject to a maximum of 30 months. The period so assessed shall count towards qualifying service for examination for Certificate of Competency as Mate of fishing Vessel and the candidate shall be permitted to appear for this examination, provided he fulfils the requirement of rule 4.

(2) Sea service performed in the capacity of a seaman in the deck department or as member of general purpose crew of a trading ship shall be counted in full.

(3) Sea service performed by sailors in the deck department on board sea going ships of the Indian Navy and Coast guard shall be assessed at two-thirds of the actual service claimed.

(4) Sea service performed by visual signalling sailors in the communication branch on board sea going ships of the Indian Navy and Coast guard shall be assessed at one-half of the actual service claimed.

23. Merchant Navy Officers

(1) Notwithstanding anything contained in sub-rule (3) of rule 5, any candidate who holds the Certificate of Competency as Second Mate of a foreign going ship or Navigational Watch Keeping Officer granted under the Merchant Shipping (Examination of Masters and Mates) Rules, 1979 shall be eligible for the examination for Certificate of Competency as Skipper of fishing vessel grade II, provided that he has at least 18 months watch keeping service on trading ships and has served at least 6 months on a fishing vessel of not less than 15 metres in length on duties associated with fishing and bridge watch keeping under the supervision of a qualified officer.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (3) of rule 6, any candidate who holds Certificate of Competency as First Mate of a foreign going ship or Mate of a home trade ship granted under the Merchant Shipping (Examination of Masters and Mates) Rules, 1979 shall be eligible for the examination for Certificate of Competency as Skipper of fishing vessel grade I, provided that he has at least 30 months watch keeping service on trading ships and has served at least 6 months on a fishing vessel of not less than 24 metres in length on duties associated with fishing and bridge watch keeping under the supervision of a qualified officer.

(4) Every such candidate shall also comply with sub-rules (1), (2) and (4) of rule 5 or 6, as the case may be, but he shall be exempted from the examination in parts A and C as specified in sub-rule () of rules 5 and 6.

24. Indian Navy Officers

(1) Any midshipman or commissioned special duty officer in the executive branch of the Indian Navy who has served on a seagoing ship of the Indian Navy or Coast guard but does not possess a full Naval watch keeping certificate shall be eligible for the examination for Certificate of Competency as Mate of fishing vessel, provided he complies with rule 4. Sea service of such officers shall be assessed in full towards qualifying service, subject to a maximum of 30 months.

(2) Any commissioned officer in the executive branch on the Indian Navy including a special duty officer, in possession of a full Navy watch keeping certificate shall be eligible for the examination for Certificate of Competency as Skipper of fishing vessel grade I or Grade-II, subject to sub-rule (3).

(3) (a) Notwithstanding anything contained in sub-rule (3) of rule 5, every such candidate shall be eligible for examination for Certificate of Competency as Skipper of fishing vessel grade II, provided he has at least 18 months watch keeping service after obtaining the full Naval watch keeping certificate and he has served at least 6 months on a fishing vessel of not less than 15 metres in length on duties associated with fishing and bridge watch keeping under the supervision of a qualified officer.

(b) Notwithstanding anything contained in sub-rule (3) of rule 6, every such candidate shall be eligible for examination for Certificate of Competency as Skipper of fishing vessel grade I, provided he has at least 30 months watch keeping service after obtaining the full Naval watch keeping certificate and he has served at least 6 months on a fishing vessel of not less than 24 metres in length on duties associated with fishing and bridge watch keeping under the supervision of a qualified officer.

(c) Every such candidate shall also comply with sub-rules (1) (2) and (4) of rule 5 or 6, as the case may be.

25. Remission in sea service for Indian Navy Officers

(1) Any midshipman or executive officer of the Indian Navy appearing for examination for any Certificate of Competency as Mate of fishing vessel shall be eligible for remission in qualifying sea service as specified in sub-rule (2), subject to a maximum of 12 months. Such remission shall however not be applicable to service on fishing vessels as specified in sub-rule (3) (a) of rule 4.

(2) (a) Time spent by Naval cadets at the National Defence Academy, Khadakvasla shall be counted as sea service of 6 months, provided the candidate has completed the training and has successfully passed the final examination conducted by the National Defence Academy.

(b) Time spent by Naval cadets or Sub-Lieutenants under training at the Naval Academy, Cochin shall count at one half rate towards sea service required subject to a maximum of 6 months, provided the candidate produces a certificate from the Naval Headquarters showing his satisfactory attendance at the Naval Academy.

(c) Time spent in training courses by an officer not below the rank of acting Sub-Lieutenant at the I.N.S. 'Venduruthy' shall count at one half rate towards sea service required, subject to a maximum of 6 months, provided the candidate produces a certificate from the Naval Headquarters showing his satisfactory attendance at such courses.

(d) Remissions in sea service claimed under this rule shall be in addition to those provided in rule 17; subject to a maximum of 12 months.

26. Application of Indian Navy Officers

(1) Any midshipman or executive officer in the Indian Navy including a special duty officer satisfying the requirements of rule 22 may apply for appearing for the examination in the prescribed form set out in Appendix 'F'.

(2) Every such application shall be accompanied by certificate of birth, certificate from Chief of Naval Staff or any other person appointed by him on his behalf stating the full particulars of Qualifying sea service or, as the case may be, watch keeping service performed by the candidate in the Indian Navy along with particulars in respect of the Naval watch keeping certificate and of any training undergone in the training establishments within the meaning of rule 25, testimonials in accordance with rule 11 in respect of sea service in the Merchant Navy and on board fishing vessels if any and Certificate of Competency or service, if any.

(3) Application shall be made to the Principal Officer, Mercantile Marine Department of the port of examination opted by the candidate through the Chief of Naval Staff so as to reach him not later than one month before the date of commencement of examination. Fee specified in Appendix 'H' shall be forwarded to the Principal Officer directly.

27. Places and dates of examinations

(1) Examination for Certificate of Competency prescribed in these rules shall be held in the Mercantile Marine Department at Bombay, Calcutta, Madras, Visakhapatnam and Cochin and at any other port notified by the Chief Examiner in this behalf.

(2) Written examination for each grade shall be held on the dates and times to be notified by the Chief Examiner.

(3) Date and time for oral and signals examinations shall be fixed by the Examiner and sufficient advance notice thereof shall be given to the candidates.

28. Punctuality

Every candidate shall present himself in the examination hall prior to the commencement of examination at the appropriate hour. Late comers shall not be admitted for examination except under special circumstances where the Examiner is satisfied that detention was caused by reasons beyond the control of the candidate. The decision of the Examiner in such matters shall be final.

29. No person other than those whose duties require them to be present will be allowed in the examination hall.

30. Loose papers and books

Save as provided in rule 31, no candidate shall keep any loose papers, reference books or other notes or publications in the examination hall. Any such paper, books, publications or notes shall be cleared out of the examination hall before commencement of the examination. Any default by any candidate shall be deemed to be a misconduct within the meaning of these rules and the defaulter shall be deemed

to have
debarred
these
subject

31. Pr

(1)

appropr

ing ta

(6)

(1)

(6)

(6)

(6)

(6)

(2)

Nautic

time

shall

submi

comm

shall

ing of

to hav

debar

period

of Ch

table

appro

32. In

Can

Exam

instru

Candi

nation

fishing

or an

tions

date s

33. D

An

other

suppl

to re

ments

docur

retain

denie

in th

appea

replac

34. I

No

out p

paper

a can

his e

deem

276

to have failed in the examination. He may also be debarred from appearing for any examination under these rules for a period not exceeding 6 months, subject to the approval of Chief Examiner.

31. Provision of publications and tables

(1) Every candidate shall, at the time of the appropriate examination be supplied with the following tables and books, namely :—

- (a) Admiralty Tide Tables for the Atlantic Ocean and Indian Ocean.
- (b) Indian Tide tables for Indian ports.
- (c) Nautical Almanac.
- (d) International Meteorological Codes for weather reports; and
- (e) Trim and Stability particulars of a selected fishing vessel.

(2) Candidates shall be required to bring their own Nautical tables including Logarithmic tables at the time of the appropriate examination. Such tables shall be free of any hand-written notes and shall be submitted to the Examiner for scrutiny before the commencement of the examination. Any default shall be deemed to be a misconduct within the meaning of these rules and the defaulter shall be deemed to have failed in the examination. He may also be debarred from appearing for any examination for a period not exceeding 3 months, subject to the approval of Chief Examiner. Nories and Burtons Nautical tables shall normally be permitted for use at the appropriate examination.

32. Instruments

Candidates may, subject to prior permission of the Examiner, bring into the examination hall their own instruments and use them for answering papers. Candidates other than those appearing for the examination for Certificate of Competency as Mate of fishing vessel may be permitted to use a slide rule or an electronic calculator having four basic functions and a single memory. In either case the candidate shall be required to show the full working.

33. Damage to tables, books or instruments

Any candidate who defaces, blots, over writes or otherwise damages any tables, books or instruments supplied by the Examiner for his use shall be liable to replace such damaged tables, books or instruments by new ones. Until such replacement is made documents submitted by him under rule 10 shall be retained by the Examiner and if such replacement is denied the candidate shall be deemed to have failed in the examination and shall not be permitted to appear for any examination subsequently until such replacement is made.

34. Leaving examination hall

No candidate shall leave the examination hall without permission and without handing over his answer paper to the Examiner. Under no circumstances will a candidate be allowed to leave the building while his examination is in progress. Defaulters shall be deemed to have failed in the examination.

276 GI/87—6

35. Answer papers

(1) No candidate shall work out problems on any paper except the answer papers supplied to him. Blotting paper supplied to candidates shall not be used for rough working. Such blotting papers shall be returned to the Examiner at the end of each day. Defaulters shall be deemed to have failed in the examination.

(2) All work on answer papers shall be in ink but sketches may be drawn in pencil.

(3) Answer shall be written in clear and legible hand. At the commencement of answer for every question its serial number shall be written in the left hand margin of the answer paper.

36. Copying during examination

Copying from answer papers of other candidates or use of unauthorised books, publications, rules for other manuscripts whatsoever or affording any other candidate assistance for copying from his own answer papers or otherwise communicating with any other candidate any information shall be strictly prohibited. Any such defaulter shall be deemed to have failed in the examination. He may be also be debarred from appearing for any examination under these rules for a period not exceeding 6 months subject to the approval of Chief Examiner.

37. Misconduct

Save as otherwise provided in these rules, a candidate found guilty of any misconduct, including insolence to Examiner or other examination staff or improper or disorderly conduct in the examination shall on a breach of any of these rules may be liable for punishment in one or more of the ways specified herein under, namely :—

- (1) Where the examination has not commenced or is not completed the candidate may be debarred from appearing for or, as the case may be, to take further part in the examination.
- (2) Where the result of the examination is declared, the result of the candidate may be amended subject to the approval of the Chief Examiner.
- (3) Where the candidate has been declared successful in the examination but has not been granted the necessary certificate, the certificate may be withheld for such period as may be decided by the Chief Examiner.
- (4) In addition the candidate may be debarred from appearing in any examination under these rules for such period as may be specified by the Chief Examiner.

38. Syllabus

Subject to the provisions of rule 48, a candidate may apply for examination in any part or parts of the examination for the Certificate of Competency for which he is eligible, as specified in sub-rule (1) of rules 4, 5 and 6. Syllabus for the examination for all parts shall be as specified in Appendix 'T'.

39. Written examination :

- (1) Subjects in written part of the examination for each grade, time allowed for answering question paper for each subject total marks allotted to each subject and the percentage of marks required to be obtained for passing that paper and the written part shall be as specified in the following tables :—

Fishing vessel	Hours	Total Marks.	Passing percentage
(a) Seamanship, safety & watchkeeping	3	150	50
(b) Meteorology	2	100	50
(c) Navigation	2	200	70
(d) Chart work	2	150	70
TOTAL		600	60
Skipper of fishing vessel grade-II			
(a) Practical and Principles of Navigation.	3	200	70
(b) Chart work	2	150	70
(c) Construction and Stability	3	150	50
(d) Navigation Aids	2	100	50
TOTAL		600	60
Skipper of fishing vessel grade-I			
(a) Practical and Principles of Navigation	3	200	70
(b) Chart work	2	150	70
(c) Construction and Stability	3	150	50
(d) Navigational Aids	2	100	50
TOTAL		600	60

(2) Any candidate failing in this examination for any Certificate of Competency through serious weakness shown may, subject to the approval of the Chief Examiner, be required to attend a course of instruction at an approved institution for a period not exceeding 6 months; before the permitted to re-appear for this examination.

(3) A certificate from the head of the approved institution concerned showing period of attendance, conduct and proficiency attained during such a course shall be considered to be adequate proof for permitting the candidate to re-appear.

40. Oral examinations :—

(1) Every candidate for the Oral part of the examination shall present himself for such examination at the appointed time. Any candidate failing to do so without reasonable grounds shall be deemed to have failed in the examination.

(2) Any candidate failing in this examination for any Certificate of Competency through serious weakness in practical knowledge may be required :—

(a) to perform further sea service for a period not exceeding 6 months and/or

(b) to attend a course of instruction at an institution for a period not exceeding 6 months before being permitted to re-appear for this examination.

(3) Such sea service may be performed in any capacity on deck of a fishing vessel and provision of rules 17 and 25 shall not apply to such additional service. Attendance at the approved institution shall have to be proved by a certificate from the head of the approved institution concerned showing period of attendance, conduct and proficiency attained during such period.

41. Signals examinations

(1) Every candidate for the signals part of the examination shall present himself for such examination at the appointed time. Any candidate failing to do so shall be deemed to have failed in the examination.

(2) (a) In the morse flashing test specified in the syllabus two-third of a mark for each correct letter or numerical of the test card and five marks for each correct word of the spelling message shall be allotted. The spelling message shall consist of 12 words.

(b) In the semaphore receiving test consisting of 25 words four marks for each correct word shall be allotted.

(3) A candidate obtaining 90 per cent of the total marks separately in morse flashing and semaphore tests shall be deemed to have passed in the examination subject to his satisfying the Examiner of his proficiency in the remaining topic specified in the syllabus for the appropriate grade.

42. Re-examination :—

Any candidate may present himself for re-examination after one month has elapsed since his last attempt subject to provisions of rules 39 and 40.

43. Partial passes :—

(1) Where a candidate passes in any one or more parts of the examination, he shall be deemed to have passed the examination partially and such partial pass shall remain valid for a period of 12 months from the date of examination.

Provided that the Chief Examiner may, in special circumstances, extend the period of validity of partial passes by a period not exceeding 2 months.

(2) Where any candidate fails to pass in all the remaining parts of the examination during the period of validity of a partial pass he shall be required to appear for that part or parts again as his next attempt.

(3) The results of a candidate who passes the examination partially shall be indicated in the form set out in Appendix 'F'. The candidate may also be given the results of the examination in the form set out in Appendix 'K' if he so desires. Both the forms prescribed shall specify the date on which the candidate has passed in the respective part of the examination, the date on which he is eligible to appear for his next attempt and, where a candidate is required to per-

form further, the such

(4) For mination the exam

44. Lett

(1) A rules 39, cates as ed to ha

(2) Su of author addressed by the Compet certificate

(3) Un Examiner

(2) shall cate of C issued un cate of C

45. Insuffi

(1) If a tion it is to have p appear for the case m of Compet issued to

(2) Suc examined vice, or, a

Provided is satisfied service or was not du on the par examination petency or candidate service.

46. Endors

(1) Any issued und from the such awar Certificate ment on

(2) An tency issu of the ce same to t lating to cate of C

(a) C

form further sea service or attend a course of instruction, the period of such sea service or attendance at such course.

(4) For the purposes of this rule the date of examination means the first day of the month in which the examination was held.

44. Letter of Authority :—

(1) A candidate who passes examination under rules 39, 40 and 41 (and holds the additional certificates as required by rules 4, 5 and 6), shall be deemed to have passed the whole examination.

(2) Such successful candidate shall be given a letter of authority in the form prescribed in Appendix 'L' addressed to the Principal Officer of the port opted by the candidate for delivery of the Certificate of Competency in exchange thereof as and when the certificate is ready for issue.

(3) Unless cancelled by or on behalf of the Chief Examiner, Letter of authority referred to in sub-rule (2) shall have the same effect as if it were a Certificate of Competency for the respective grade properly issued under these rules until such time as a Certificate of Competency is issued to the candidate.

45. Insufficient service :—

(1) If after declaration of result for any examination it is discovered that candidate who is declared to have passed the examination was not entitled to appear for it for want of sufficient sea service or, as the case may be, watch-keeping service the Certificate of Competency or Letter of authority shall not be issued to him.

(2) Such candidate shall be required to be re-examined after he has completed necessary sea service, or, as the case may be, watch keeping service.

Provided that the Chief Examiner may where he is satisfied that the error in the calculation of sea service or as the case may be, watch keeping service was not due to any fault or wilful mis-representation on the part of the candidate, dispense with the re-examination and in such case the Certificate of Competency or Letter of authority may be issued to the candidate after he has made up the deficiency in the service.

46. Endorsement of Certificate of Competency :—

(1) Any person holding Certificate of Competency issued under these rules may, on receiving any award from the Government, submit evidence relating to such award to the Chief Examiner together with his Certificate of Competency for an appropriate endorsement on the Certificate.

(2) Any person holding a Certificate of Competency issued under these rules may, on obtaining any of the certificates specified herein under submit the same to the Chief Examiner for an endorsement relating to such Certificate being made on his Certificate of Competency, namely :—

(a) Certificate of Competency granted under Merchant Shipping (Examination of Masters and Mates) rules 1979.

(b) Certificate of Proficiency as Radio Officer issued by the Ministry of Communications.

(c) Radar Maintenance Certificate issued or approved by the Ministry of Shipping and Transport.

(d) Certificate of Service granted under section 80 of the Act.

47. Issue of Certified true copy of Certificate of Competency :—

(1) Where a Certificate of Competency or a letter of authority issued under these rules is destroyed or defaced or otherwise lost the holder may obtain a certified copy thereof from the Chief Examiner. Application for such certified copy shall be made in the form prescribed in Appendix 'M' to the Chief Examiner through the Principal Officer of the Mercantile Marine Department of any district. Such application shall be accompanied by a declaration explaining the circumstances in which the original Certificate of Competency or the Letter of authority was destroyed, defaced or otherwise lost. The declaration shall be made in the presence of the Principal Officer to whom the application is made for onward transmission to the Chief Examiner.

(2) Every such application shall be accompanied by appropriate fees specified in Appendix 'H'.

Provided that no fee shall be payable where the cause of loss of Certificate of Competency or Letter of authority is a shipwreck or a fire on board a ship.

48. Removal of difficulties :—

(1) Any candidate who has passed the examination for Certificate of Competency under the provisions of Merchant Shipping (Examinations for Skippers and Second Hand of fishing vessels) Rules 1964 shall be eligible for the examination for Certificate of Competency under these rules as detailed in the table below :—

Grade of Certificate of Competency under 1964 rules held by the candidate	Grade of Certificate of Competency under these rules for which eligible.	Condition precedent
(a) Second Hand F.V.	Skipper of fishing vessel grade-II	Full compliance with rule 5
(b) Skipper F.V.	Skipper of fishing vessel grade-I	Full compliance with rule 6

Provided that, at the time of coming into force of these rules, any candidate with 24 months service in effective command of fishing vessel of not less than 24 metres in length or 36 months service in effective command of fishing vessels of less than 24 metres in length after obtaining the Certificate of Competency as Skipper F. V. under 1964 rules, shall be exempted from the written and Signals parts of the examination for the Certificate of Competency as Skipper of fishing vessel grade-I as specified sub-rule (1) of rule 6.

(2) Any candidate who has appeared for an examination for Certificate of Competency under 1964 rules and is not successful in that examination on the date when these rules come into force, shall be permitted to appear for an examination for Certificate of Competency as detailed below:

Certificate of Competency under 1964 Rules	Equivalent grade of Certificate of Competency under these rules	Condition precedent
(a) Second Hand (F.V.)	Mate of fishing vessel	Full compliance with rule 4.
(b) Skipper (F.V.)	Skipper of fishing vessel grade-II	Full compliance with rule 5.

(3) A partial pass in signals and oral parts of the examination under 1964 rules shall be considered to

be a partial pass in the respective examination for the equivalent Certificate of Competency specified in sub-rule (2) and the candidate shall be permitted to appear for the written part of the examination for the equivalent Certificate of Competency specified in sub-rule (2)

(4) Any candidate who has passed in the written part of the examination under 1964 rules but has not passed either the oral or the signals part of the examination shall be permitted to complete the signals or oral part of the examination for the equivalent Certificate of Competency specified in sub-rule (2) but such candidate shall be granted a Certificate of Competency under 1964 Rules.

(5) A valid partial pass in written, signals or oral parts of the examination referred to in sub-rules (3) and (4) of this rule shall be valid for a further period of 6 months from the date when these rules come into force.

APPENDIX-A

See Rule 2 (j)

RECORD OF SERVICE

S. No.

Signature of holder _____

Signature of attesting authority _____

Name .. _____

Address _____

(Please see notes on last page)

Photograph
of holder

Name and seal of issuing
authority

Name of holder in full _____

(BLOCK LETTERS)

Rank/Rating _____

Name of Father/local guardian _____

Permanent home address _____

Date of birth _____ Place _____

Nationality _____

Colour of hair _____ Eyes _____ Complexion _____

Identification marks _____

Academic qualifications _____

Sl.
No.

1. Th
2. Th
3. Th
fis
4. Th
5. Th
or

Issued
Govern
India.
To

CERTIFICATES

Type of Certificates	No.	Date of issue & Place	Date of issue
1. Continuous Discharge Certificate			
2. Passport			
3. Naval Sea Service Certificate			
4. Pre-sea Training Certificate			
5. Radar Observer's Certificate			
6. Life Boatmen's Certificate			
7. First Aid at Sea Certificate			
8. Survival at Sea Certificate			
9. Fire Fighting Certificate			
10. Radar Simulator Certificate			
11. Radio Telephone Operator Certificate			
12. Elementary Fishing Technology Certificate			
13. Advanced Fishing Technology Certificate			
14. _____			
15. _____			
16. _____			
17. Watch Keeping Certificate			
18. _____			
19. _____			
20. Mate of Fishing vessel Certificate of Competency			
21. Skipper of Fishing Vessel Grade-II Certificate of Competency.			
22. _____			
23. _____			

FISHING VESSEL SERVICE

Sl. No.	Name O. No. & length of vessel	Date & place of		Rank	Conduct	Ability	Sobriety	Remarks	Signature
		Engage-ment	Discharge						

NOTES

1. This record shall be prepared and issued by the employer to the rating before joining the fishing vessel.
2. The entries regarding Certificates shall be filled by the rating as and when he acquires them.
3. The entries regarding fishing vessel service shall be made by the Skipper at the time of discharge from the fishing vessel. Any corrections in this table shall be duly attested by the Skipper who made the original entry.
4. This record shall remain in possession of the rating regardless of change of employment.
5. The employer and Skipper should maintain a record of entries made in this document for further verification or confirmation if any.

APPENDIX-B

(See rule-3(2))

GOVERNMENT OF INDIA
CERTIFICATE OF COMPETENCY

AS

SKIPPER OF FISHING VESSEL GRADE I

Issued by the
Government of
India.
To

Whereas you have been found duly qualified to fulfil the duties of Skipper of Fishing Vessel Grade I on

a fishing vessel, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) hereby grants you this CERTIFICATE OF COMPETENCY.

Dated this _____ day of _____

Countersigned :
Chief Examiner,
Registered in the
Directorate General
of Shipping,
Bombay.

DIRECTOR GENERAL OF SHIPPING

GOVERNMENT OF INDIA
CERTIFICATE OF COMPETENCY

AS

SKIPPER OF FISHING VESSEL GRADE II

Issued by the
Govt. of India.
To _____

Whereas you have been found duly qualified to fulfil the duties of Skipper of Fishing Vessel Grade II on a fishing vessel, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) hereby grants you this CERTIFICATE OF COMPETENCY.

Dated this _____ day of _____

Countersigned :
Chief Examiner,
Registered in the
Directorate General
of Shipping,
Bombay.

DIRECTOR GENERAL OF SHIPPING

GOVERNMENT OF INDIA
CERTIFICATE OF COMPETENCY

OF

MATE OF FISHING VESSEL

Issued by the
Govt. of India.
To _____

Whereas you have been found duly qualified to fulfil the duties of Mate of Fishing Vessel on a Fishing Vessel, the Central Govt. in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) hereby grants you this CERTIFICATE OF COMPETENCY.

Dated this _____ day of _____

Countersigned :
Chief Examiner,
Registered in
the Directorate
General of Shipping,
Bombay

DIRECTOR GENERAL OF SHIPPING

APPENDIX—C

[See rule 7 (1)]

SYLLABUS FOR ELEMENTARY FISHING TECHNOLOGY

I. FISHING GEAR AND DESIGN

1. Introduction to Fishing Gear
2. Classification of indigenous fishing gear
3. Modern Fishing Gear and classification
4. Basic principles of designing different types of fishing gear—gill nets, trawks, seines, lines, bag nets traps etc.
5. Mesh and mesh selectivity
6. Netting—knotted and knotless webbing
7. Hanging ratio

II. FISHING GEAR MATERIALS

1. Introduction to fishing gear materials and selection of materials in relation to the fish and fishing methods.
2. Classification of fishing gear materials—Natural fibres and man made fibres—description and details. Properties of materials—density, strength, abrasion resistance etc.—Hard ware materials.
3. Numbering system of twines and ropes—Denier, Tex, metric and conversion.
4. Construction of twines and ropes—fibre, yarn, twisting, brading etc.
5. Steel ropes—material and construction—combination ropes
6. Floats—purpose and types—buoyancy, extra buoyancy
7. Sinkers—purpose and types

III. FISHING TECHNIQUES

1. Principles of catching fish
2. Description of different fishing methods with respect to the type of fish to be caught
 - a. Gill netting—Basic principle
 - a.1. Simple gill net
 - a.2. Trammel net
 - a.3. Combination gill nets (vertical and horizontal combinations)
 - a.4. Fishing depth—surface, midwater and bottom—net and drift.
 - b. Seining (encircling)—Basic principle
 - b.1. Beach seine or shore seine
 - b.2. Boat seine—Lampara, purse seine
 - c. Trawling—Basic principle
 - c.1. Classification of trawls—Beam trawl, otter trawl, out rigger trawl and mid water trawling.
 - d. Fishing with lines
 - d.1. Simple line, multiple hand line and long line.
 - d.2. Tuna long lining
 - d.3. Sharp and other fish long lining
 - e. Set bag nets—basic principle
 - e.1. Stake nets
 - f. Trap fishing—Basic principles

IV. DECK EQUIPMENTS

1. Introduction to deck equipment and their purpose
2. Different types of deck equipments for various types of fishing
 - 2.1. Trawl winch
 - 2.2. Purse seine winch

- 2.3. Combination winch
- 2.4. Net winch (net drum)
- 2.5. Line haulers/gill net hauler and gurdie long line hauler
- 2.6. Hand reels
- 2.7. Fair leads
- 2.8. Power block and transfer blocks
3. Working principles of the above

V. FISHING ACCESSORIES

1. Otter-boards, kites or elevators, suppressors, beams, trawl heads—purpose
2. Floats, sinkers, Danleno—purpose
3. Purse rings, shackles, thimbles, G. link, Kelly's eye, with—stopper Link
4. Chafing gear

VI. DECK LAYOUT

Various types of deck layouts for different types of fishing including combinations.

1. Gill netters—
Bow pickers, stern picker and reel gill netter
2. Trawler—
Stern trawler, side trawler and out-rigger trawler
3. Purse-seiner
4. Long-liner
5. Combination vessels etc. (Trawler-purse seiner, trawler gill netter, multipurpose)

VII. FISHING BIOLOGY AND FISH HANDLING

1. Marine environment
2. Migration of fishes
3. Marine Fisheries of India
4. Handling of fish on board

VIII. OCEANOGRAPHY AND MARINE METEOROLOGY

1. Atmosphere, Atm. pressure, water vapour in the atmosphere, visibility, clouds
2. Pressure gradient and wind. General pressure and wind distribution in the Indian Ocean—periodic and local winds
3. Weather messages
4. Net instruments normally used in fishing vessels

IX. FISH FINDING

1. Elementary acoustics
2. Electronic equipments used in fishing

X. FISHING GEAR PRACTICALS

1. Basic netting—meshbar, mesh size—stretch mesh and cross mesh (Run with the mesh and across mesh)
2. Net making implements—Needle and gauge
3. Basic net making—practice with trawl knot reef knot (square knot double knot etc.)
4. Shaping of netting by traidding—creasing, baiting
5. Shaping of netting by tailoring
6. Hanging (mounting) of netting, Top & side mounting, different methods Hanging ratio.
7. Joining of netting
8. Mending
9. Splicing—rope splicing and wire rope splicing

APPENDIX—D

(See rule 7 (2))

SYLLABUS FOR ADVANCED FISHING TECHNOLOGY COURSE

I. FISHING GEAR AND DESIGN

1. Introduction to fishing gear—Basic principles of catching fish
2. Classification of modern fishing gear
3. Principles of designing different types of fishing gear
 - a. Gill net
 - a.1 Surface gill net } Set and drift
 - a.2 Bottom gill net }
 - a.3 Trammel net }
 - a.4 Vertical combination and horizontal combination net
4. Netting—mesh, bar, stretch mesh, cross mesh
5. Shaping of netting braiding, tailoring
6. Importance of hanging ratios for different types of fishing gear, with respect to the type of fish

II. FISHING GEAR MATERIALS

1. Different kinds of netting materials—natural and synthetic
2. Selection of materials in relation to fish and fishing methods—specific gravity, abrasion resistance diameter twist, strength sinking speed etc.
3. Selection of steel wire ropes and combination ropes—construction, flexibility strength

III. FISHING TECHNIQUE

1. Modern fishing methods
 - 1.1 Description of the important types of modern fishing methods
 - 1.2. Recent developments and improvements on modern fishing methods like aimed trawling, purse-seining with light, electric fishing etc.
 - 1.3. Mid water trawling—single boat and two boat
2. Gill nets

Simple gill net, trammel net, gill net with vertical and horizontal combinations—surface, bottom and column—set and drift.
3. Hook and line fishing
 - 3.1. Reel hand lines for kalava
 - 3.2. Tuna long lining
 - 3.3. Shark long lining
 - 3.4. Lining for other fishes
 - 3.5. Squid jigging
 - 3.6. Trap fishing

IV. DECK EQUIPMENTS

1. General deck equipment, winches, gurdies, line haulers, power blocks. Heaving net winches—net drums, reels, fair leads, bollards etc.
2. Deck fishing equipment
 - (a) Trawl which (in line and parallel drum)—description, working, capacity (wire capacity and load taking capacity) speed and selection
 - (b) Purse-seince winch (as above)
 - (c) Combination winches—(as above)
 - (d) Split winches—(as above)
 - (e) Net winches—(as above)
 - (f) Gurdie—Description, working, speed, load taking capacity, selection
 - (g) Line hauler— -do-

- (h) Hand line reels—description, working capacity and selection
- (i) Transfer block—description, working and selection
- (k) Trawl eye winch (cable winch)
- (l) Net cable winch
- (m) Tripler net winch—description and function

V. FISHING ACCESSORIES

1. Otter boards
 1. (a) Rectangular
 1. (b) Oval
 1. (c) V-Form
 1. (d) Vertical curved
 1. (e) Horizontal curved—selection of other boards
2. Beams (for beam trawls) description, size.
3. Trawl head (for beam trawls) description, working and shapes
4. Kites/elevators—description, working and types
5. Supressors—description, working and types
6. Danleno—function, types and description
7. Floats, sinkers, bobbins, ground rope etc. function, description, types, selection
8. Purse-rings, cod end rings, shackles, swivels, thimbles—function, description, type and selection
9. Fair leads—function, description and shapes
10. Bollards, cleats, capstan etc.
11. Hydrographic winch-purpose

VI. DECK LAYOUT

1. Gill netter

Type and size of vessel, deck space, position of engine, deck layout for efficient operation, installation of the appropriate deck equipment for handling the gear (bow picker, stern picker, reel gill netter).

2. Trawler

2. (a) Stern trawler

Type of winch, type of fairleads, type of gallows, positioning and installation, arrangements for ramp type stern trawling, leading of towing warps, arrangements for heaving cod ends, arrangements for out-rigger trawling.

- (b) Side trawler—

Winch, fair leads, gallows, towing blocks—type, size selection, positioning and installation

- (c) Out-rigger trawler

Type of winch, fairleads, outrigger beams (size and length), selection, positioning and installation.

- (d) Purse-seiner

- (d) 1 Purse-seine winch (type, capacity, speed—selection, positioning and installation)

- (d) 2 Purse davit—type, positioning and installation (Port-side or starboard side—direction of encircling—clockwise/anticlockwise)

- (d) 3 Bow thruster, stern thruster—function

- (d) 4 Net hauling winch (triplex net winch)—function, type, positioning and installation.

- (d) 5 Power blocks—capacity, speed, type, positioning and installation

- (d) 6 Transfer block—type, positioning and installation

- (d) 7 Net chute—positioning

[Part II—

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

VII. FI

1. Intern

2. Impo

3. Fish

4. Fish

VIII. FI

1. Electr

2. Fish

3. Intern

IX. OCE

1. Fish

2. Weath

X. FLEE

1. Organ

2. Shog

2. (a)

2. (b)

2. (c)

2. (d)

- d. 2

- (d) 3

- (d) 4

2. (c)

3. Manag

1. Pn

to enable h
purpose he

(b) T

test is a test

(c) T

lantern test

long liner—size of vessel and endurance in relation to fishing ground.

- (a) Long line hauler—type, size, speed (variable speed) selection, positioning and installation
- (b) Shooting tray and chute—positioning
- (c) Bait—bait container—storage
- (d) Conveyor system while hauling
- (e) Rail roller—type function, position and installation
- (f) Positioning of fish hold and capacity
- (g) Processing facility
- (h) Typical deck arrangements for the above with possible alternatives Combination vessels—best type of combination for efficient operations.

VII. FISHING BIOLOGY AND FISH HANDLING

1. Interrelationship between plankton and, pelagic fisheries benthic organisms and bottom fisheries.
2. Important commercial fishery resources of India
3. Fish behaviour in relation to fishing gear.
4. Fish handling.

VIII. FISH FINDING

1. Electronics in fishing
2. Fish sounder, Sonar and Net sonde, Practical application
3. Interpretation of echo grams

IX. OCEANOGRAPHY AND METEOROLOGY

1. Fish behaviour in relation to environmental conditions
2. Weather warning

X. FLEET MANAGEMENT

1. Organisation of fishing fleet
 - (a) Type and size of vessel required vis-a-vis resources/fishing grounds/methodology
2. Shore facilities
 - (a) Berthing-loading/unloading
 - (b) Bunkering
 - (c) Fresh water
 - (d) Storage 2.d.1 Cold storage/ice plant
- d. 2 Fishing gear
- (d) 3 Engine spares
- (d) 4 General
2. (c) Processing-freezing/canning
3. Management of personnel.

APPENDIXES—E

[See Rule—(8)]

SIGHT TESTS

PART—I

1. Preliminary :— (a) The purpose of these tests is to ensure that the candidate's eye-sight is sufficiently good to enable him to pick up and identify correctly the lights of distant ships at sea. Experience has shown that for this purpose he must be able to reach certain minimum standards in both form and colour vision.

(b) The tests employed are a "letter test" and a "lantern test" details of which are given below. The letter test is a test of form vision only and the lantern test is one of form and colour vision combined.

(c) The Examiner shall keep a record of all mistakes made by the candidate both in the letter test and in the lantern test.

2. Application :— (a) Every candidate who is going out to sea to serve in the deck department of any vessel for the first time and any other candidate who desires to undergo the sight test other than as part of the examination for a Certificate of Competency, shall apply in the form prescribed in Annexure to this Appendix and shall pay the fees prescribed in Appendix 'H'.

(b) A candidate for examination for Certificate of Competency shall not be required to make a separate application for sight test and no fees shall be paid by him other than the fees prescribed in Appendix 'H' for the examination for a Certificate of Competency.

PART—II

LETTER TEST

3. Apparatus :— The first test which the candidate shall be required to undergo shall be the letter test conducted on Scellen's principle by means of sheets of letters. On each sheet the fifth, sixth and seventh lines correspond to standards 6/12, 6/9 and 6/6 respectively.

4. Artificial aids :—Before the commencement of the test, the candidate who is not a new entrant shall advise the Examiner whether or not he intends to use artificial aids to form vision. Such aids shall constitute of either spectacles or contact lenses. Tinted lenses shall not be permitted.

5. Standards of vision required :

(a) Candidate will be tested in each eye separately

(b) A candidate, other than a new entrant, who attempts the sight test without the use of artificial aids shall be required to read down to and including the seventh line with the better eye and down to and including the sixth line with the other eye.

(c) A candidate, other than a new entrant, who attempts the sight test using artificial aids shall be required.—

(i) with artificial aids, to read down to and including the seventh line with the better eye and down to and including the sixth line with the other eye; and

(ii) without artificial aids, to read down to and including the fifth line with the better eye and down to and including the third line with the other eye.

(d) A candidate who is a new entrant shall be required to read down to and including the seventh line with the better eye and down to and including the sixth line with the other eye. He shall also be required to read all letters in the seventh line with both the eyes. He shall not be permitted to use artificial aids.

6. Method of testing

(a) The test card shall be mounted at a convenient height and shall be properly illuminated. Daylight shall not be used. The testing room shall be moderately lighted so that extreme contrast between the test card and background is avoided.

(b) The candidate shall stand exactly 6 metres from the card facing it squarely. He shall then be required to read the letters on the sheet from left to right beginning at the top and going downwards.

(c) Care shall be taken, by varying the order of the test sheets, to guard against the possibility of any deception on the part of the candidate.

7. Failure :—If the candidate fails to reach the standard required on the first sheet, he shall be tested with sheets. If he fails to reach the standard in atleast 3 of the 4 sheets the following alternatives may be explained to him.

(a) He may break off the test and present himself for retesting in not less than three months; in which case a certificate of failure shall be issued to him in form prescribed in Annexure-II to this Appendix; or

(b) If he is not a new entrant and has not used artificial aids at his first attempt, he may present himself for retesting any time with artificial aids, or

- (c) He may proceed to the lantern test. In this case, a record of all mistakes made in the letter test and all mistakes, if any, made in the lantern test shall be forwarded to the Chief Examiner who shall decide whether the candidate has passed or failed in the sight test.

PART—III

LANTERN TEST

8. Apparatus :—

- (a) A special lantern and a mirror shall be provided for this test. The test is to be conducted in a room so darkened as to exclude all light.
- (b) The lantern shall be placed directly in front of the mirror so that the front part of the lantern shall be exactly 3.05 metres from the mirror and in such a position that the light reflected in the mirror show clearly when viewed by the candidate on the left of the lantern.

9. Artificial aids :

A candidate, other than a new entrant, who has used artificial aids in the letter test may continue to use such aids in the lantern test.

10. Darkness adaptation :

If a candidate makes mistakes at the beginning of the lantern test, he shall be kept in a completely or partially darkened room for at least a quarter of an hour and shall then begin the test again.

11. Method of testing :

- (a) The lantern supplied for the test shall be so constructed as to allow 1 large or 2 small lights to be visible and is fitted with glasses of 3 colours viz. red, white and green. At the beginning of the test the candidate shall be shown a series of lights through the large apertures and he shall be required to name the colours as they appear.
- (b) Subsequently 4 full circuit and 1 broken circuit with the 2 small apertures shall be shown to the candidate who will name the colours of each set of 2 lights from left to right.

12. Result :

- (a) If a candidate does not make any mistake in the lantern test after passing the letter test, he shall be deemed to have passed the whole test and the Examiner shall issue a certificate to that effect in the form prescribed in Annexure II to this Appendix.
- (b) If, with either the large or small aperture of the lantern, a candidate mistakes red for green or green for red, he shall be deemed to have failed in the lantern test and a certificate shall be issued to him in the form prescribed in Annexure-II to this Appendix.
- (c) If a candidate makes any other mistakes in the lantern test i.e. if he calls white as "Red" or red as "White" or confuses between green and white, his case shall be submitted to the Chief Examiner and he shall be informed that the decision as to whether he has passed or failed or must undergo a further test, shall be communicated to him in due course. Pending the receipt of the Chief Examiner's instructions the candidate may be allowed to proceed with his examination for a Certificate of Competency on the express understanding that this examination will be cancelled in the event of his failure in the sight test.

13. Re-testing of unsuccessful candidates :

A candidate who fails in the lantern test shall not again be tested locally, unless the Chief Examiner directs that he may be so tested.

PART—IV

SPECIAL EXAMINATION AND APPEALS

14. Special examination :—

In the case of any candidate who is referred to the Chief Examiner under the provisions of sub-paragraph (c) of paragraph 12, the Chief Examiner may make arrangements for a special examination.

15. Appeals :—A candidate who is adjudged to have failed in the lantern test may appeal for a review. In every such case, the Chief Examiner shall make arrangements for examination of the candidate. Every such appellant shall pay appropriate fee as prescribed in Appendixes which shall be refunded to him if he is declared to have passed the examination.

16. Examination Board : The special and appeal examinations shall be conducted by a Board consisting of Chief Examiner or his nominee and a specialist adviser on eye sight appointed by the Chief Examiner.

17. Punctual attendance :

- (a) Whenever any special or appeal examination by Board is arranged, the Chief Examiner shall give sufficient advance notice of the date and time of such examination to the candidate.
- (b) Any candidate who is unable to attend the examination shall immediately inform the Chief Examiner of his inability and reasons therefore. If satisfied, the Chief Examiner may alter the programme of examination and give notice to the candidate of revised time schedule of the examination.
- (c) If any candidate for special examination under paragraph 14, fails to appear for the examination at the appointed date and time, the Chief Examiner may defer his examination by an indefinite period.
- (d) If a candidate, being an appellant under paragraph 15, fails to appear for the examination at the appointed date and time, the fee paid by him shall be forfeited. Arrangement for his examination by the Board on any other date may be made on payment of a further fee under paragraph 15.

18. Failures :—

- (a) Where, on examination any candidate appearing before the Board under paragraph 14 for 15 as found to have a permanent defect in his eyesight which renders him unfit for a sea career, such candidate shall be finally rejected and may not be permitted to appear for sight test on any occasion in future except under paragraph 19.
- (b) Any candidate who fails in the examination but is not finally rejected by reason of being found to be free from any permanent eye defect, may, at his choice appear before the Board for examination as an appellant under paragraph 15 after a lapse of three months from the date of examination or seek re-examination under paragraph 19.

19. Re-examination :—

- (a) Any candidate who fails in the appeal examination whether due to permanent defect in eye or not may seek re-examination by the Board in the presence of an ophthalmic surgeon appearing on his behalf on payment of fee prescribed in Appendix (E). This fee shall not be refunded whether the candidate is finally adjudged to have passed or failed.
- (b) The date and time of the re-examination shall be fixed by the Chief Examiner in consultation with candidate and ophthalmic surgeon. If the candidate fails to appear for the re-examination, the fee shall be forfeited. Arrangement for re-examination on any other date shall be made only on payment of further fee under this paragraph.

ANNEXURE—I

Rotation No.
(official use only)

APPLICATION FOR SIGHT TEST

A.	(1) Place of Examination	:	_____
	(2) (a) Surname	:	_____
		:	(BLOCK LETTERS)
	(b) full name	:	_____
		:	(BLOCK LETTERS)
	(3) Permanent address	:	_____
		:	_____
	(4) Discharge Book No. (if any)	:	_____
	(5) Notionality	:	_____
	(6) Date of Birth	:	_____
	(7) Place of Birth	:	_____
	(8) Height (cms)	:	_____
	(9) Colour of eyes	:	_____
	(10) Complexion	:	_____
	(11) Identification Marks	:	_____
	(12) Rank (if serving at sea)	:	_____
	(13) If about to go to sea	:	_____
	(a) Name of company	:	_____
	(b) Capacity	:	_____
	(14) (a) Date of previous eye sight test	:	_____
	(b) Results	:	PASSED/FAILED

Declaration of candidate :

I hereby declare that the particulars stated above are correct and true to the best of my knowledge and belief. I further declare that except as stated in Column 14. I was not examined in an eyesight test held in any Mercantile Marine Department, I wear/do not wear artificial aids to vision.

Signature of Candidate

The above declaration was signed in presence of

Examiner of Masters and Mates, Mercantile Marine Department.....District.

B. A fee of Rs. was received for examination in sight test

Signature

Date :

Place :

C. EXAMINERS CERTIFICATE :

I hereby certify that the candidate described above was examined in sight test under the provisions of Appendix 'B' of the Merchant Shipping (Examination of Skippers and Mate of Fishing Vessel) Rules, 1981.

* The result of the test was as follows :—

	With or without aids to vision	Form	Colour	Results
Standard				
New Entry				

- †1. He may be examined at any time with artificial aids to vision
2. He may be examined after a lapse of three months.
3. He may not be examined again without the prior approval of the Chief Examiner

EXAMINER

Note : If failed or to be referred for further advise, one copy of this application form shall be forwarded to the Chief Examiner with detailed report.

*Where not examined, indicate by stating N.E.

†Delete if not applicable.

ANNEXURE—II

SIGHT TEST CERTIFICATE

Full Name :
(BLOCK LETTERS)

Date of birth Place Rank Height
Colour of eyes Hair Complexion

Identification Marks

Result of examination *with/without artificial aids to vision

- * 1. May be examined locally any time with artificial aids
2. May be examined locally in three months time
3. May not be examined locally except by order of the Chief Examiner

* Delete the words that do not apply.

I hereby certify that the particulars contained above are correct.

Dated at District, this day of 19

Signature of examiner :

Signature of candidate :

Note : The candidate should produce this Certificate when applying for re-examination.

1. Gr

2. Pla

3. (a)

(b)

4. (a)

(b)

(c)

5. Disc

6. Nat

7. Date

8. Plac

9. Hei

10. Col

11. Cor

12. Per

13. Det

(a)

(b)

(c)

14. Wa

Giv

276 GI

APPENDIX F

See Rules 9 (1), 26 (1), 43 (3)

Rotation No.

(Official use only)

APPLICATION FOR EXAMINATION OF SKIPPERS & MATE OF FISHING VESSEL

1. Grade of Examination

2. Place of Examination : BOMBAY/CALCUTTA/
MADRAS/VISAKHAPATNAM/COCHIN3. (a) Surname:
(IN BLOCK LETTERS)(b) Full name:
(as on records BLOCK LETTERS)

Photo

(Stick one copy and attach
one certified copy)

4. (a) Permanent address:

(b) Present address:

(c) Telephone No. (if any)

5. Discharge Book or Record of service:

No. :

6. Nationality:

7. Date of birth

(proof to be produced)

8. Place of birth

9. Height

Cms.

10. Colour of eyes

Hair

11. Complexion:

12. Personal marks

13. Details of previous Certificate of Competency/Service (if any)

(a) Grade:

FG/HT

(b) Certificate No.

(c) Date passed

14. Was your certificate cancelled or suspended by any authority?

Give details:

15. Details of scholastic education and professional training:—

- (a) Scholastic Education : School/College
Examination passed
- (b) Pre-sea training:—LBS N&E College/Indian Navy others.
- (c) Period of attendance at
CIFNET/AIDC/RAJENDRA/DIRECT/SEAMAN } From
prior to first attempt. (Certificate to be produced) } To

Take notice—Any person who makes, procures to be made or assists in making any false representation for the purpose of obtaining for himself or any other person, a Certificate of Competency or service is for each offence liable to be punished for cheating under Section 420, of the Indian Penal Code and also for knowingly giving false information to the public servant under Section 182 of the Indian Penal Code.

16. Full particulars of sea service

Testimonial	Name of vessel	Length	Port of Registry and O. No.	Capacity	From	To	Period Y.M.D.	Remarks
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

17. FOR OFFICIAL USE ONLY:

Certificate	Particulars No.	Date issued	Total service at sea for which proof is now produced
Sea Service			(1) Candidate's record book scrutinised and found
Birth			/not to be satisfactory
Watch Keeping			(2) Candidate described above is eligible to appear
(total nos)			for examination for Certificate of Competency
Competency/Service			as
First Aid at sea			
Life Boat			
Radar Observer			
Radar Simulator			Subject to remarks in Section
Course			
Radio Telephone			
Operator			
Elementary Fishing			
Technology			
Advanced Fishing			
Technology			

EXAMINER

18. Declaration to be made by the candidate

"I hereby declare that the particulars contained in paras 1 to 16 of this form are correct and true to the best of my knowledge and belief and that the documents whose particulars are contained in para 17 and submitted with this form are true and genuine, given and signed by the persons whose name appear on them."

further declare that the statement in para 16 contains a true and correct account of the whole of my sea service without exception, and I make this declaration conscientiously believing the same to be true".

Signature of candidate

The above declaration was signed in my presence

EXAMINER

Mercantile Marine Department

BOMBAY/MADRAS/CALCUTTA/VISAKHAPATNAM/COCHIN

19. Request for allotment of seat for examination

No. of attempt	Month	Fees paid		Examination parts			Signature of candidate with date
		Amount	date Recd. by	A	B	C	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

20. Result of examination:

Sight Test Port/Date	Result	Signature	Examination part			Remarks	Signature
			A	B	C		
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

21. Under the provision of rules.....and.....this candidate is required to attend course of instruction/perform further sea service as follows:—

Month	Port of examination	Requirement	Next eligible	Signature of examiner	Signature of candidate
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

22. Certificate of examiner :

I hereby certify that

(a) The candidate has produced satisfactory testimonials and proofs of sea service/watch keeping service.

- (b) The candidate complies with the requirement of M.S. (examination of Skippers and Mate of Fishing vessel) Rules with the exception of the following. He has however been permitted to appear for the examination under the provisions of rules.....

1.
2.
3.
4.
5.

- (c) The candidate has passed the examination for the Certificate of Competency as..... and letter of authority No.....date.....was issued to him. His certificate of Competency may be forwarded to Mercantile Marine Department.....for issue subject to compliance with sub-para (b) above.

Examiner
Mercantile Marine Department
.....District

APPENDIX-G

[See Rule 11 (1)]

WATCHKEEPING CERTIFICATE

This is to certify that Shri.....has served on..... from.....to.....in the capacity of Ist/2nd/3rd/4th Watch keeping Officer under my command.

*During this period Shri.....was an officer in full charge of a watch for not less than Eight/Six hours out of every twenty four hours of service.

In addition he has regularly carried out additional routine duties in connection with the maintenance of the fishing vessel for not less than two hours out of every twenty four hours of Service:

*During this period Shri.....was associated with watch keeping duties under the supervision of Shri.....holding Certificate Competency as.....for not less than.....hours out of every twenty four hours of service.

*Bridge watches were doubled during the following periods and at no other times.

.....

*During these periods Shri.....served as Senior/Junior of the two watch-keeping officers.

*During the period of engagement stated above Shri.....was/was not granted leave of absence from.....to.....

*During the period from.....to.....the vessel was in dry dock/undergoing hull and deck repairs.

Report on conduct

Report on ability

Report on sobriety

Signature of Skipper

*Delete if not applicable

Name.....

APPENDIX-(H)

See Rules 13, 26(3), 47 (2) and paras 2, 15 and 19 of Appendix-E

FEES

1. Assessment of Sea service (for all grades)	Rs. 30/-
2. Examination for Mate of Fishing vessel each part	Rs. 10/-
3. Examination for Skipper of Fishing Vessel grade II each part	Rs. 20/-
4. Examination for Skipper of Fishing Vessel grade I each part	Rs. 30/-
5. Sight Test	Rs. 10/-
6. Sight Test appeal	Rs. 100/-
7. Sight Test re-examination	Rs. 200/-
8. Issue of certified true copy of Certificate of Competency or Letter of authority	Rs. 50/-

APPENDIX-I

Sec Rule-14

CERTIFICATE OF MEDICAL FITNESS FOR AN OFFICER TO WORK ON BOARD SHIP

Date of examination: Passport/CDC No.

Name of the Candidate: Colour of eyes:

Permanent Address of the candidate : Hair :
Complexion :

Age :

Height :

Identification marks:

- 1.
- 2.
- 3.

Result of the medical examination:

Signature or thumb impression of officer:

Seal

Place

Date

Signature of the Medical Officer

Note : In case a candidate is declared unfit reasons for unfitness to be indicated.

APPENDIX-J

See Rule-38

SYLLABUS OF MATE OF FISHING VESSEL

PART-A

Time : 3 hours

Marks : 150

1. SAFETY, SEAMANSHIP AND WATCHKEEPING

1. General definition of main dimensions. The names of the principal parts of a fishing vessel.

2. (a) The meaning of the terms Block coefficient, Displacement and Deadweight.

Use of displacement and tonnes per centimetre immersion scales to determine weights of cargo or ballast from draught or freeboard.

Effect of density of water on draught and freeboard.

Fresh water allowance.

The meaning of the terms Buoyancy and Reserve buoyancy.

- (b) The meaning of the terms Centre of gravity, Centre of buoyancy, Metacentric height, Righting lever and Righting moment.

Stable, unstable and neutral equilibrium.

The effect of adding and removing weights on ship's centre of gravity, centre of buoyancy, metacentric height and list. Use of stability and hydrostatic data as supplied to fishing vessels and calculations based thereon.

3. (a) Maintenance of fishing vessels.

- (b) Safety care and maintenance of all life saving and fire appliances, light and sound signals and safe practices to be followed when fishing.

4. (a) Sextant—The construction and use of the marine sextant, including the optical principles involved. The detection and correction of sextant errors. The principles and use of the vernier and micrometer scales.

- (b) Chronometer—The use and care of marine chronometer and its errors.

- (c) Magnet Compass—The use and care of magnetic compasses. Magnetic and non-magnetic materials and their effect on the compass. Checking compasses. Practical limitation of the magnetic compass.

- (d) GYRO COMPASS—An elementary knowledge of the use and care of marine gyro compasses, including the procedure for starting and stopping. Routine oiling and cleaning. Routine operational checks. Application of latitude and speed error.

- (e) Bearing Instruments—The construction and use of azimuth mirrors. Procedure for checking accuracy of azimuth mirrors. The construction and use of a Pelorus.

- (f) Maintenance of navigational records.

Time : 2 hours

Marks : 100

2. METEOROLOGY

- (a) General idea of the atmosphere. Diurnal variation and seasonal variation of atmospheric temperature over land and sea.

- (b) Atmospheric pressure—Semi-diurnal variation and seasonal variation Barometric tendency. Storm prediction by observations of atmospheric pressure—The use of barometric observations and weather signs at a single station to predict the onset of a depression or storm.

- (c) Water vapour in the atmosphere. Evaporation, condensation precipitation, relative humidity, saturation, dew point. Formation of dew. The differences between drizzle, rain and hail.

- (d) Visibility—definition, judging and reporting visibility. Meaning of mist, fog, haze, spray and their effect on visibility.

- (e) Clouds—Classification due to height and appearance of the ten basic types commonly seen and their abbreviations.

- (f) Pressure gradient and wind—Isobars and pressure gradient Meaning of veering, backing, gust and squall, Buys Ballot's Law and cautions when applying it to cyclones in the Arabian sea and Bay of Bengal. Their probable tracks and frequencies Laws of storms. The Beaufort wind scale and Beaufort weather notation.

- (g) True and apparent wind—their meaning and difference. Methods of estimating direction and force of wind at sea. Simple problems on true and apparent wind.

- (h) General pressure and wind distribution in the Indian Ocean.

- (i) Periodic and local winds—Land and sea breezes, monsoons, Nor-western and Elephantas.

- (j) A knowledge of the weather messages available for shipping. Storm warning signals on the Indian Coasts.
- (k) A detailed knowledge of the meteorological instruments normally used on fishing vessels :

Time : 3 hours

Marks : 200

3. PRACTICAL NAVIGATION

- (a) The shape of the earth. Poles, equator, meridians, parallel of latitude. Position by latitude and longitude. Bearing distance, units of measurement. Difference of latitude difference of longitude, departure, mean and middle latitude, difference of meridional parts and the relationship between them. Use of position lines with or without run.
- (b) Practical problems on plane, parallel and Mercator sailing.
- (c) The use of the traverse tables to obtain the position of the ship at any time, given compass courses, variation deviations and the run recorded by log or calculated by time and estimated speed, allowing for the effects of wind and current, if any.
- (d) To find the latitude by meridian altitude of a heavenly body.
- (e) To find position line and position through which it passes from an observation of sun out of the meridian.
- (f) To find the true bearing of a heavenly body, the compass error and thence the deviation of the magnetic compass of the direction of the ship's head.

Time : 2 hours

Marks : 150

4. CHART WORK

- (a) Given variation and deviation of the magnetic compass or gyro error, to convert true courses into compass courses and vice-versa.
To extract the deviation from sample table of deviations, thence to convert true courses into magnetic and compass courses.
To find the compass course between two positions.
- (b) The effect of current on speed. Allowance for leeway. Given compass course steered, the speed of the ship and direction and rate of currents to find the true course made good.
To find the course to steer allowing for a current. Given the course steered and distance run, to determine the set and rate of the current experienced between two positions.
- (c) To fix a position on a chart by simultaneous cross bearings bearing and range, positional information from radio aids to navigation or by any combination applying the necessary correction.
- (d) To fix the position by bearings of one or more objects with the run between, allowing for a current and to find the distance at which the ship will pass a given point.
- (e) The use of position lines and circles obtained by any method.
- (f) To find the time and height of high and low water at standard ports.
- (g) Candidates will be examined orally on the information given on a chart or plan particularly about :—
Buoys, lights, Radio Beacons, Navigational Aids, depths and nature of bottom, use of soundings, recognition of the coast and Radar responsive targets, depth and height contours.
- (h) Candidates will be required :—
(i) To demonstrate the ability to make intelligent use of sailing directions, Admiralty catalogue of charts and list of lights.
(ii) To understand the use of Notices to Mariners and to be familiar with the process of chart correction
(iii) To understand the dangers of placing implicit reliance upon floating navigational aids
(iv) To understand the use of Decca lattice charts and Decca correction sheets.

PART B

ORALS

- (a) To read, understand and make use of a barometer and thermometer. The instruments supplied by the Meteorological Office will be taken as standard.
- (b) To use an azimuth mirror, pelorus (bearing plate) or other instrument for taking bearings.
- (c) To use a sextant for taking vertical and horizontal angles, to read a sextant both on and off the arc, to correct a sextant into which has been introduced one or more errors of perpendicularity, side or index; to find the index error of a sextant.
- (d) The rigging of fishing vessels, methods of ascertaining proof and safe-working loads of ropes including synthetic fibre and wire ropes with and without certificates of proof loads. Rigging purchases and a knowledge of the power gained by their use. Knots, hitches and bends in common use. Seizings, rackings, rope and chain stoppers. Splicing plaited and multi-strand manila and synthetic fibre rope and wire rope with strict reference to current practice. Slings a stage, rigging and bosun's chair and pilot ladder.
- (e) Marking and use of ordinary lead lines.
- (f) Preparations for getting under way. Duties prior to proceeding to sea, making harbour, berthing alongside quays, jetties, or other ships and securing to buoys.
- (g) Helm orders, conning the fishing vessel. Effects of propellers on the steering of a fishing vessel. Stopping, going astern knowledge of manoeuvring capabilities of fishing vessels including turning circles, stopping distances etc. Effects of wind and currents on handling of fishing vessels. Turning a fishing vessel short round. Emergency manoeuvres. Bringing a fishing vessel to single anchor in an emergency. Man overboard.
- (h) The duties of the watch keeping officer at sea, at anchor and at open roads.
- (i) Anchors and cables: their use and stowage.
- (j) Knowledge of the use of all deck appliances including emergency steering gear.
- (k) Use and upkeep of sounding appliances; Use and care of light and sound signalling equipment including pyrotechnic light.
- (l) The use and care of life-saving appliances including handling characteristic, construction and stowage of life-rafts, Emergency signal, abandon ship signal, Bending, setting and taking in lifeboat sails, management of boats under oars, sails power and in heavy weather, recovering boats at sea, Beaching or landing. Survival procedure in life-boats and life rafts. The use and care of rocket and line throwing apparatus.
- (m) The use and care of fire-appliances including the smoke helmet, emergency fire pump and self-contained breathing apparatus.
- (n) Action to be taken on discovering a fire:—
 - i. in port
 - ii. at sea
- (o) Knowledge of the precautions to be observed to prevent pollution of the marine environment.
- (p) A full knowledge of the content and application of the Collision Regulations.
- (q) Distress and pilot signals; penalties for misuse. International life-saving signals.
- (r) A knowledge of the contents of 'Merchant Shipping Notices' and 'notices to Mariners'. The use of Notices to Mariners and Merchant ship search and resume manual (MERSAR)
- (s) The I.A.L.A. system of buoyage, Precautions while using floating navigational aids e.g. buoys, light vessels etc.
- (t) The examiner may ask the candidate question arising out of the written work, if it is deemed necessary on account of weakness shown by the candidate.

PART-C

SIGNALS

1. To send and receive signals:—

- (a) Semaphore upto eight words per minute
- (b) Morse-code by flash lamp up to six words per minute

- (c) International code of signals.
2. Use of Radio telephony on board a fishing vessel for transmission and reception of navigation warning, urgency and distress messages in emergency.

SYLLABUS OF SKIPPER OF FISHING VESSEL GRADE II

PART A

Time : 3 hours

Marks : 200

1. PRACTICAL AND PRINCIPLES OF NAVIGATION

Note: In addition to the syllabus for Mate of a fishing vessel the candidates shall be required to have knowledge of the following:—

- The celestial sphere, Declination, Azimuth, sidereal hour angle. The position of a body on the celestial sphere; azimuth with the altitude, declination with sidereal or local hour angle of mean sun. Ecliptic, first point of aries. Greenwich and other standard times, mean time, apparent time, sidereal time, equation of time, relationship between longitude and time.
- To find latitude by observation of the pole star.
- To determine the direction of the position line and a position through which it passes from an observation of a star or sun out of the meridian.
- To determine the position of the ship from two simultaneous observation of stars or by observation of a star and sun with a run between or a star and the bearing of a terrestrial object.

Time : 2 hours

Marks : 150

2. CHART WORK

- The use of a single position line in approaching the coast.
- Reliability of charts.
- Selection of suitable points for bearing or for fixing the ship's position by means of horizontal angles.
- Approaching an anchorage and navigating in narrow waters.
- Making landfall or proceeding along a coast in thick and clean weather.
- Navigation and voyage planning in all conditions by plotting courses within restricted waters, in restricted visibility, in traffic separation schemes and in areas of intensive tides.
- Use of all appropriate publications on tides and currents and to calculate tidal conditions at any given time of any given standard port.
- To answer any questions on above, which the examiner deems necessary.

Time : 3 hour

Marks : 150

3. CONSTRUCTION AND STABILITY

- The candidate will be expected to show his practical acquaintance with midship section of a fishing vessel and longitudinal and transverse framing, Beams and beam knees, watertight bulkheads, Hatchways and closing appliances, Methods of maintaining watertight integrity, Freeing ports, rudders, Steering gear-shaft and deck plating, Bilge keels, Double bottoms and peak tanks, Bilges, Stern frames Sounding pipes, Air pipes, ventilators, General pumping arrangements, the stiffening and strengthening to resist panting pounding and longitudinal stresses.
- Sauses and simple methods of prevention of corrosion in a ship's structure excluding cathodic protection
- General ideas on welding, riveting and turning and the precautions to be taken when such processes are carried out on board fishing vessel.
- Knowledge of the following as related to fishing vessels.

(i) Life saving appliances

(ii) Fire appliances

- Determination of the position of the centre of gravity of a ship for different conditions of loading and ballasting. The effect on the position of the centre of gravity of adding, removing, shifting or suspending

weights. Transverse metacentre, metacentric height. Initial stability and its limitation to small angles of inclination. Effect of a shift of cargo or solid ballast.

- (f) Changes of trim and draught due to loading discharging and shifting weights. Simple calculation.
- (g) Basic knowledge of IMCO recommendations concerning stability of fishing vessels and use of the stability data provided on board.
- (h) The loading and securing of catch on board ships, including fishing gear.
- (i) Loading and discharging operations with special regards to heeling moments due to gear during fishing operations.
- (j) General knowledge of the measures designed for the protection of the crew on decks, superstructure decks, at deck opening and on stairways and ladders.

Time : 2 hours

Marks : 100

4. NAVIGATIONAL AIDS

(a) Magnetic Compass:—

A simple knowledge of the meaning hard and soft iron. Simple magnet, magnetic induction. The earth's magnetic field horizontal and vertical components, setting of compasses with particulars reference to the proximity of magnetic material and electrical appliances.

(b) Electronic Navigational Aids

- (i) Radar description and principle of radar. Its use as an anticollision device and navigational aid and an appreciation of its limitations, Radar plotting.
- (ii) Decca-An understanding of the general principles, accuracy, errors and limitation.
- (iii) Echo sounder Description of the general purpose navigation echo sounding system, and the special electronic aids used for fishing purposes.

PART-B

ORAL

In addition to the syllabus for the Mate of fishing vessel examination candidates must understand and give satisfactory answers on the following subjects:—

- (a) Getting under way. Berthing and unberthing under various conditions of wind and tide.
- (b) Tending a vessel at anchor mooring and unmooring.
- (c) How to keep a ship head to sea in heavy weather, if dismasted or with engines broken down. Means of lessening drift and use of oil.
- (d) Manoeuvring the vessel during fishing operations with special attention to shooting and hauling nets.
- (e) Precautions in manoeuvring for launching boats or liferafts in bad weather and methods of taking on board survivors procedures from lifeboats or liferafts. Man over board procedures.
- (f) Importance of navigating at reduced speed in shallow waters and in narrow channel to avoid damage caused by own ship's bow/stern wave.
- (g) Organisation of fire drills, classes and chemistry of fire, use of fire fighting equipment.
- (h) Action to be taken prior to and after grounding, floating a grounded vessel with or without assistance.
- (i) Measures for the protection and safety of crew in emergencies. Abandoning ship.
- (j) Action to be taken if a vessel has sprung a leak, precautions when beaching a vessel.
- (k) The rigging and use of a jury rudder.
- (l) How to get a cast of the deep sea lead in heavy weather.
- (m) Effects of screws on steering of a vessel. Manoeuvring a vessel in rivers and harbours.
- (n) What is to be done according to the Act in cases of death, injury, ill-treatment, punishment inflicted on board and casualty to a vessel. Return of a list of crew, agreements, accounts of wages or shares and certificates of discharge as applied to fishing vessels.

- (o) Knowledge of the MS Act and International conventions to the extent applicable to fishing vessels.
- (p) Any other practical questions relating to the duties of a Skipper of a fishing vessel which the Examiner may think necessary.

PART C

SIGNALS

- To send and receive signals:—
 - Semaphore upto eight words per minute.
 - Morse-code by flash lamp up to six words per minute
 - International code of signals
- Use of radio telephony equipment on board a fishing vessel for transmission and reception of navigation warning, urgency and distress messages in emergency.

SYLLABUS OF SKIPPER OF FISHING VESSEL GRADE I

PART A

Time : 3 hours

Marks : 200

1. PRACTICAL AND PRINCIPLES OF NAVIGATION

Syllabus for this examination shall be the same as prescribed in practical and principles of Navigation for Skipper of fishing vessel grade : II

Time : 2 hours

Marks : 150

2. CHART WORK

The syllabus for this examination shall be the same as prescribed in chart work for skipper of Fishing vessel Grade : II

Time : 3 hours

Marks : 150

3. CONSTRUCTION AND STABILITY

* In addition to the syllabus prescribed for Skipper of fishing vessel grade II the candidate shall be expected to show his practical acquaintance with—

- Hydrostatic and stability data and its use for determining the stability of a fishing vessel and its compliance with IMCO
- Fire fighting appliances and arrangements to arrest the spread of fire.
- Life saving appliances.
- Design and construction aspects incorporated to ensure seaworthiness of a fishing vessel when external forces such as due to particular fishing methods, severe wind and rolling; water on deck, flooding of fish hold etc, are experienced. Advantages of bow height.
- Inclining tests
- Inspection and maintenance of fishing vessels and their equipment including hull, bulkheads, double bottom, deep and peak tanks, bilges, pipelines, rudder, anchor and cables. Drydocking routine, general repairs.
- Properties and uses of paints, methods of corrosion control.
- General knowledge of propulsion machinery and deck machinery including winches, windless, steering gear, fire pumps etc. general knowledge of marine engineering terms.

Time : 2 hours

Marks : 100

4. NAVIGATIONAL AIDS

- The earth's magnetic field, poles and equator. The earth's total magnetic force, angle of dip, horizontal and vertical components.

- (b) Deviation, its cause and effect. An understanding of the effect of semi-permanent and induced magnetic fields on the deviation of the compass. The means used to compensate for these effects.
- (c) Setting of magnetic compasses with reference to proximity of magnetic material and electrical appliances. Precautions to be taken with electric wiring in vicinity of the compass.
- (d) To find the magnetic bearing of a distant object from compass bearings taken on equidistant heading construct a table of deviations:
- (e) The principle of the free gyroscope, Tilt and drift, precession, Control and damping. Correction for latitude, Course and speed error, Care and maintenance of different types of compasses, Auto pilot, repeaters and course recorders.
- (f) The practical application of electronic and radio aids to navigation. (Dacca, Echo sounder, Radar Direction Finder). Appreciation and interpretation of data. Position fixing, fixed and variable errors, area of probability. The use of radar as an aid to collision avoidance.

PART B

ORAL

The syllabus for this part shall be the same as prescribed for the part 'B' orals, for the Skipper of fishing vessel Grade II. The candidates shall be required to show a more thorough understanding of the subject than that at the level of Skipper of fishing vessel Grade II.

PART C

SIGNALS

The syllabus in this part shall be the same as prescribed in Signal examination for Skipper of fishing vessel grade-II.

[No. SW/5-MSR (14)/82—MA].
J.C. PANT, Under Secy.]

APPENDIX—K

See Rule 43 (3)

Date

PARTIAL PASS

Name of candidate.....

Rotation No.....Grade.....

Colour of eyes.....Hair.....Complexion.....

Date of birth.....Height.....

Identification marks.....

Sight Test

Port	Date	Result	Signature
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Result of examination

Port date	Parts			Month next eligible	Signature
	A	B	C		

I hereby certify that : *

1. The candidate has produced satisfactory testimonials and proof of sea service/watch keeping service for a period of years months and days and was accordingly admitted for the examination for the Certificate of Competency as
2. The result of the examination is as indicated above.
3. Though the candidate has passed the examination, he has not been issued with a Certificate of Competency or a Letter of Authority for want of the following additional Certificates :
 - a. _____
 - b. _____
 - c. _____
4. The candidate due to serious weakness shown is required to attend a course of instructions at an approved Institute for a period of months.
5. The candidate due to serious weakness shown is required to serve a further period of months at sea.

EXAMINER OF MASTER AND MATES
MERCANTILE MARINE DEPARTMENT.....Dist.

Signature of candidate

*Delete words that are not applicable.

APPENDIX-L

Sec Rule 44 (2)

LETTER OF AUTHORITY

Name of the Applicant.....
 Grade for which passed : Height..... Cms
 Colour of Eyes..... Hair..... Complexion.....
 Identification Marks.....
 Date of Birth.....

Signature of applicant

Please deliver to the above named person, on his complying with the office regulation, the Certificate of Competency forwarded to you by the Chief Examiner.

Signature of Examiner

Dated at this day of 19

To

The Principal Officer,
 Mercantile Marine Department,
 District.

APPENDIX—M

See Rule 47 (1)

APPLICATION FOR RENEWAL OF CERTIFICATE OF COMPETENCY

(A)

Name of applicant :

Grade of former Certificate : No.

Date of Birth :

Identification marks :

(B)

PARTICULARS OF LAST SERVICE

Name of last ship	Port of Registry & Official No.	Rank	Description of Voyage	From	To	Commenced	Ended

SERVICE ON SOME OTHER VESSELS IN WHICH APPLICANT HAS SERVED BEFORE AND AFTER OBTAINING THE CERTIFICATE NOW LOST

Name of ship	Port of Registry & Official No.	Rank	Description of voyage	From	To	Commenced	Ended

DECLARATION OF APPLICANT

I,, of, do hereby declare,

* (i) That my Certificate of Competency as was lost/destroyed at

(ii) That the statements made above are correct and true to the best of my knowledge and belief.

Applicant's Signature

Declared and subscribed at this day 19..... before me.

Principal Officer

Mercantile Marine Department

District

* Give full details supported by documents like Police reports, newspaper advertisements etc.

(D)

DESTINATION OF CERTIFICATE

I wish the renewed Certificate to be issued to me at the port of

Applicant's Signature

(E)

ENDORSEMENT BY THE MERCANTILE MARINE OFFICE

No. ✓

Forwarded to the Directorate General of Shipping, Bombay. It is recommended that a fee of Rs may be charged.

Dated.....

the.....19

PRINCIPAL OFFICER
MERCANTILE MARINE DEPARTMENT
.....DISTRICT

(F)

DIRECTION BY THE CHIEF EXAMINER

The Certificate is enclosed the Fee to be charged is.....

Dated Bombay, this.....day.....19

To

The Principal Officer
Mercantile Marine Department,
.....District

CHIEF EXAMINER

(G)

NOTE BY MERCANTILE MARINE OFFICE

CERTIFICATE issued and the fee of.....received this.....
day of.....19.....

PRINCIPAL OFFICER
MERCANTILE MARINE DEPARTMENT
.....DISTRICT

Note : This form is to be returned to the Chief Examiner.